



सूचना विवरण पुस्तिका
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005



उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल-5
(भाग-i)

(वर्ष 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक)

निदेशालय
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

वैब साइट-www.schooleducation.uk.gov.in

ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in

प्रेषक,

डॉ. एस. एस. सन्धु,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अग्र मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/सचिव(प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त,
गढ़वाल/कुमाऊ, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 14 मार्च, 2022

विषय: उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत 'मिनिस्ट्रीयल संवर्ग' के कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि आई.एफ.एम.एस. (I.F.M.S) पोर्टल पर वर्ष 2021-22 से ऑन लाइन अंकित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्या 78/XXX(2)/2022-55(26)/2002 दिनांक 11 फरवरी, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत श्रेणी 'क', 'ख' एवं 'ग' के कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021-22 से 'ऑन लाईन' अंकित किए जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। तदक्रम में सूच्य है कि उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत सभी विभागों के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021-22 से 'ऑन लाइन' अंकित किये जाने के सम्बन्ध में आई.एफ.एम.एस. (I.F.M.S) पोर्टल के अन्तर्गत प्रारूप/साफ्टवेयर एवं प्रक्रिया निर्धारित/विकसित कर ली गयी है। वार्षिक चरित्र प्रविष्टि का प्रारूप (Hard copy) संलग्न है।

2. उक्त पृष्ठभूमि में, अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु विषयगत निम्न दिशा-निर्देश निर्गत किए जाते हैं :-

- (1) सभी विभागों के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 से मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि संलग्न प्रारूप पर 'ऑन लाईन' आधार पर ही अंकित की जायेगी।
- (2) आई.एफ.एम.एस. (I.F.M.S) पोर्टल के अन्तर्गत 'ऑन लाईन' व्यवस्था/विकसित साफ्टवेयर में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकन के सम्बन्ध में निम्न समय-सारणी निर्धारित निर्धारित है:-

प्रशासकीय विभाग के अधिष्ठान द्वारा 'ऑन लाईन- मूलभूत सूचनाएं/Work Flow निर्गत किए जाने की अंतिम तिथि	सम्बन्धित कार्मिक द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या अंकित किये जाने की अंतिम तिथि।	प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकित किये जाने की अंतिम तिथि।	समीक्षक प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकित किये जाने की अंतिम तिथि।	स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकित किये जाने की अंतिम तिथि।	सम्बन्धित कार्मिक को वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि संसूचित किये जाने की अंतिम तिथि।
31 मई	30 जून	31 जुलाई	31 अगस्त	30 सितम्बर	15 अक्टूबर

उपरोक्त समय सारणी के अनुसार यदि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या निर्धारित समयावधि में अंकित नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि पोर्टल द्वारा स्वतः ही प्रतिवेदक अधिकारी को और तदनुसार ही समीक्षक एवं स्वीकर्ता प्राधिकारी को भी निर्धारित समय सारणी के उपरान्त अग्रसारित हो जायेगी। अतः प्रत्येक स्तर पर निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का अंकन पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के उपरोक्तानुसार संचरण की पोर्टल जनित सूचना SMS/E-mail के माध्यम से सम्बन्धित कार्मिक/अधिकारी को भी प्राप्त होगी। यहाँ यह स्पष्ट करना समीचीन होगा कि यदि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियत तिथि के अन्दर स्वमूल्यांकन आख्या अंकित नहीं की जाती है तो प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा इसका उल्लेख अपने मन्तव्य में किया जाएगा और ऐतद्विषयक टिप्पणी सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी/अधिष्ठान द्वारा सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुस्तिका/व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित की जाएगी। इसी प्रकार, यदि प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता प्राधिकारी समय से प्रविष्टि अंकन सम्बन्धी अपने दायित्व निर्वहन में विफल रहते हैं तो, ऐतद्विषयक टिप्पणी भी सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी/अधिष्ठान द्वारा सम्बन्धित प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता प्राधिकारी, यथालागू, की सेवा पुस्तिका/व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित की जाएगी।

3. वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के अंकन की सामान्य प्रचालन प्रक्रिया (SOP) निम्नवत् होगी:-

- (1) वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के अंकन/मन्तव्य हेतु सम्बन्धित कार्मिक <https://ifms.uk.gov.in> (IFMS-Uttarakhand) पर अपने कर्मचारी कोड (Employee Code) के द्वारा लॉग-इन कर सकते हैं।
- (2) सम्बन्धित कार्मिक उक्त पोर्टल के अंतर्गत डाटा एन्ट्री > ए.सी.आर.> सेल्फ डिक्लेरेशन से अपना स्वमूल्यांकन अंकित कर सकते हैं।

(2)

- (3) संबंधित कार्मिक को (यथा लागू) अपनी स्वमूल्यांकन आख्या अंकित करने से पूर्व 31 मार्च को समाप्त/पूर्ण हुए वित्तीय वर्ष तक की स्थिति के अनुसार अपना अचल सम्पत्ति विवरण (आई.पी.आर.) अपलोड करना अनिवार्य है। सम्बन्धित कार्मिक डाटा एन्ट्री > ए.सी.आर. > आई.पी.आर. में जाकर अपना अचल सम्पत्ति विवरण अपलोड कर सकते हैं।
- (4) प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकर्ता प्राधिकारी उक्त पोर्टल पर अपने कर्मचारी कोड (Employee Code) द्वारा लॉग-इन कर, डाटा एन्ट्री ए.सी.आर. > ए.सी.आर. अप्रूवल से अपने अधीनस्थ कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि/अपना मन्तव्य अंकित कर सकते हैं।
4. उपरोक्तानुसार वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि को सम्बन्धित कार्मिक को संसूचित करने और ऐतद्विषयक प्रत्यावेदनों, यदि कोई प्राप्त हो, का निस्तारण करने हेतु उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरुद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2015 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
5. अतः अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्मिकों को उक्त नवीन व्यवस्था/पोर्टल से अवगत कराते हुए वर्ष 2021-22 से उक्त निर्धारित समय सारणी के अनुसार आई.एफ.एम.एस. (I.F.M.S) पोर्टल में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित करने तथा तदनुसार ही वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि को ससमय पूर्ण कराने के सम्बन्ध में अपेक्षित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
- संलग्नक : यथोक्त.

भवदीय,


(डॉ. एस. एस. सन्धु)
मुख्य सचिव।

संख्या : / XXX(2)2022-55(26)2002 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून को अध्यक्ष महोदय के संज्ञानार्थ।
5. एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,


(अरविन्द सिंह ह्यौकी)
सचिव।

Annual Confidential Report: Uttarakhand Ministerial Cadre

वार्षिक गोपनीय आख्या : उत्तराखण्ड लिपिकीय संवर्ग
Period (Year----- From Date----- To Date-----)
अवधि (वर्ष.....दिनांक.....से दिनांक.....)

Section I : Basic Information

भाग I : मूलभूत सूचना

(To be filled in by the Establishment Section/Administrative Department)
(अधिष्ठान अनुभाग/प्रशासकीय विभाग द्वारा भरा जायेगा)

- Name of the Employee :**
कार्मिक का नाम -----
- Service Cadre:**
सेवा संवर्ग -----
- Office of the present posting :**
वर्तमान तैनाती का कार्यालय -----
- Date of substantive appointment in the service:**
सेवा में मौलिक नियुक्ति की तिथि -----
- Date of Birth:**
जन्मतिथि -----
- Present Pay scale:**
वर्तमान वेतनमान -----
- Present Post:**
वर्तमान पद -----
- Date of appointment to the present post:**
वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि -----
- Reporting, Reviewing and Accepting Authorities:-**
प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकर्ता प्राधिकारी :-

	Name & Designation नाम एवं पदनाम	Period समयावधि
1-Reporting Authority प्रतिवेदक प्राधिकारी		
2-Reviewing Authority समीक्षक प्राधिकारी		
3-Accepting Authority स्वीकर्ता प्राधिकारी		

Date:
दिनांक :

Signature on behalf of-----
Administrative department.
(अधिष्ठान अनुभाग/प्रशासकीय विभाग की ओर से हस्ताक्षर)

Section II : Self Appraisal:

भाग II : स्व-मूल्यांकन
Year----- From Date----- To Date-----
(वर्ष.....दिनांक.....से दिनांक.....)

- Summary of the responsibilities allotted in the period under review :**
आलोच्य अवधि में आवंटित उत्तरदायित्वों का सार :

Sr. क्र०	Period समयावधि	Allotted Responsibility आवंटित उत्तरदायित्व
1		
2		

- Brief description of Achievements/work done during the period:**

अवधि के दौरान प्राप्त उपलब्धियों/कार्यों का संक्षिप्त विवरण:
(In this part self appraisal will be written in maximum 100 words about the work done by the concerned employee)
(इस भाग में संवन्धित कार्मिक द्वारा कृत कार्य के सम्बन्ध में स्वतः मूल्यांकन अधिकतम 100 शब्दों में अंकित किया जायेगा)

Name Of The Officer Reported upon.....

Period Year..... From Date..... To Date.....

3. Declaration (As applicable): घोषणा (यथा लागू)

(i) Have you filed your immovable property return, as due? If yes, please mention date. क्या आपने अवल सम्पत्ति विवरण, जो देय हो, उपलब्ध कराया है? यदि हां, तो तिथि अंकित करें।	Yes/No हाँ/नहीं	Date(दिनांक)
(ii) Have you undergone the prescribed medical checkup? क्या आपने निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया है? For employees above 50 years of age (50 वर्ष से अधिक आयु के कर्मियों के लिये)	Yes/No हाँ/नहीं	Date(दिनांक) + Upload a copy of medical report. (स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करें)

Date:

दिनांक :

Signature of the employee reported upon :

मूल्यांकन से सम्बन्धित कर्मिक के हस्ताक्षर

Section III : Appraisal

भाग III : मूल्यांकन

Remarks of Reporting Officer

प्रतिवेदक प्राधिकारी की अम्युक्ति

(1) Assessment of personal Attributes:

व्यक्तिगत गुणों का मूल्यांकन

Personal Attributes: व्यक्तिगत गुण		Grade(1-10) :	Remarks :
(i)	Attitude to work : कार्य के प्रति दृष्टिकोण	ग्रेड(1-10)	(टिप्पणी)
(ii)	Initiative : पहल शक्ति		
(iii)	Decision making ability : निर्णय लेने की क्षमता		
(iv)	Ability to inspire and motivate : प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने की क्षमता		
(v)	Behaviour with public & relation with associates/ subordinates: लोक व्यवहार एवं सहयोगियों/अधीनस्थों से सम्बन्ध		

(2) Assessment of work output :

किये गये कार्यों का मूल्यांकन

Items: पद		Grade(1-10) :	Remarks :
(i)	Accomplishment of work plan : कार्य योजना का निष्पादन	ग्रेड(1-10)	(टिप्पणी)
(ii)	Quality of work output : कार्य परिणाम की गुणवत्ता		

(3) Pen picture by Reporting Authority (maximum 100 words):
प्रतिवेदक प्राधिकारी की टिप्पणी (अधिकतम 100 शब्द)

(4) Integrity : सत्यनिष्ठा

(5) Over all Grade(on a score of 1-10) :
समग्र ग्रेड (अंक 1 से 10 तक)

Date:

दिनांक :

Signature of the Reporting Authority:

प्रतिवेदक प्राधिकारी के हस्ताक्षर

Name Of The Officer Reported upon:.....

Period Year..... From Date..... To Date.....

Section IV: Review

भाग IV: समीक्षा

Remarks of Reviewing Officer
समीक्षक प्राधिकारी की अभ्युक्ति

(1) Do you agree with the assessment made by the Reporting Officer?
क्या आप प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा किये गये मूल्यांकन से सहमत हैं ?

Yes/हाँ

No/नहीं

(2) In case of difference of opinion, reasons thereof and comments:
मत भिन्नता की स्थिति में कारण तथा टिप्पणी :

(3) Over all Grade (on a score of 1-10):
समग्र ग्रेड (अंक 1 से 10 तक)

Date:
दिनांक:

Signature of the Reviewing Authority:
समीक्षक प्राधिकारी के हस्ताक्षर.

Section V : Acceptance

भाग V : स्वीकृति

Remarks of Accepting Officer
स्वीकर्ता प्राधिकारी की अभ्युक्ति

(1) Do you agree with the remarks of the Reporting/Reviewing authorities?
क्या आप प्रतिवेदक/समीक्षक प्राधिकारी के मतव्य से सहमत हैं ?

Yes/हाँ

No/नहीं

(2) In case of difference of opinion, reasons thereof and comments:
मत भिन्नता की स्थिति में कारण एवं टिप्पणी :

(3) Over all Grade(on a score of 1-10):
समग्र ग्रेड (अंक 1 से 10 तक)

Date:
दिनांक:

Signature of Accepting Authority:
स्वीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्रेषक,

ऑ. एस. एस. संघ,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 11 फरवरी, 2022

विषय: राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत श्रेणी 'क', 'ख' एवं 'ग' के कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021-22 से 'ऑन लाईन' अंकित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के अंकन की वर्तमान ऑफ लाईन व्यवस्था के अनुसार कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां विभिन्न स्तरों पर यदा-कदा समयबद्ध रूप से अंकित न हो पाने के फलस्वरूप कार्मिकों की पदोन्नति एवं अन्य सेवा सम्बन्धी प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण में कठिनाई होती है। इस प्रकार की समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु विगत में शासन स्तर पर सम्पन्न बैठकों में यह निर्णय लिया गया था कि सभी विभागों में कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकन की व्यवस्था को ऑन लाईन करते हुए उसे समयबद्ध किया जाएगा। तदक्रम में, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या 1000/XXX-3-21-19(15)/2016 दिनांक 17.11.2021 के द्वारा उत्तराखण्ड प्रान्तीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि ऑन लाईन अंकित किए जाने हेतु अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों हेतु प्रचलित SPARROW के प्रारूप में ही आवश्यक न्यून संशोधन करते हुए IFMS पोर्टल के अन्तर्गत प्रारूप एवं प्रक्रिया निर्धारित कर उसे लागू कर दिया गया है।

2. उक्त पृष्ठभूमि में, राजकीय विभागों के द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकन की ऑन लाईन व्यवस्था लागू करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही/तैयारी की समीक्षा हेतु दिनांक 08 फरवरी, 2022 को सम्पन्न बैठक में यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि कुछ विभागों को छोड़कर अधिकांश विभागों में इस विषय पर विशेष प्रगति नहीं हुई है, जो कि उचित नहीं है। बैठक में प्रकरण के विभिन्न आयामों एवं अपेक्षित कार्यवाहियों के सम्बन्ध में विस्तार से हुई चर्चा के आलोक में विषयगत अग्रोत्तर कार्यवाही के सम्बन्ध में निम्नवत् दिशा-निर्देश निर्गत किए जाते हैं :-

- (1) सभी विभागों के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 से श्रेणी 'क', 'ख' एवं 'ग' के कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि 'ऑन लाईन' आधार पर ही अंकित की जायेगी और मात्र समूह 'घ' के कार्मिकों की ही वार्षिक प्रविष्टि पूर्ववत् ऑफ लाईन अंकित की जायेगी।
- (2) सभी विभागों के द्वारा IFMS पोर्टल के अन्तर्गत अथवा विभागीय सुविधानुसार अपने विभागीय/अन्य पोर्टल पर ऑन लाईन वार्षिक प्रविष्टि अंकन हेतु 28 फरवरी, 2022 तक साफ्टवेयर विकसित किया जायेगा और उसे विभाग अन्तर्गत लागू करने विषयक आदेश/दिशा-निर्देश/SOP दिनांक 10 मार्च, 2022 तक निर्गत कर दिया जायेगा। किसी विभाग के द्वारा IFMS पोर्टल से भिन्न पोर्टल पर 'ऑन लाईन' व्यवस्था/साफ्टवेयर विकसित किए जाने की दशा में उसे IFMS पोर्टल के साथ भी लिंक कराया जायेगा। वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकन के सम्बन्ध में निम्न समय-सारणी निर्धारित की जायेगी :-

प्रशासकीय विभाग के अधिष्ठाता द्वारा 'ऑन लाइन' मूलभूत सूचनाएं/Work Flow निर्गत किये जाने की अंतिम तिथि।	सम्बन्धित कार्मिक द्वारा स्वपूर्वक/अन्य आख्या अंकित किये जाने की अंतिम तिथि।	प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकित किये जाने की अंतिम तिथि।	समीक्षक प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकित किये जाने की अंतिम तिथि।	स्वीकृता प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकित किये जाने की अंतिम तिथि।	सम्बन्धित कार्मिक को वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि संसूचित किये जाने की अंतिम तिथि।
31 मई	30 जून	31 जुलाई	31 अगस्त	30 सितम्बर	15 अक्टूबर

(2)

- (3) उक्त निर्धारित समय-सारणी के अनुसार स्वमूल्यांकन/प्रविष्टि अंकन की प्रक्रिया नियत तिथि तक न किए जाने की दशा में प्रक्रिया को पोर्टल द्वारा स्वतः ही अगले चरण को अग्रसारित कर दिए जाने तथा प्रत्येक चरण की प्रगति/संचरण की पोर्टल जनित सूचना SMS/E-mail के माध्यम से सम्बन्धित को प्रेषित करने की व्यवस्था की जायेगी। पोर्टल द्वारा स्वतः अग्रसारित कर दिए जाने के उपरान्त पूर्ववर्ती चरण की कार्यवाही हेतु अबसर समाप्त समझा जायेगा।
- (4) नमूने के रूप में प्रान्तीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों के लिए वर्तमान में निर्धारित प्रारूप तथा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पूर्व प्रचलित प्रारूप की छायाप्रतियां संलग्न हैं जिनकी सहायता विभागों के द्वारा अपने विभाग की आवश्यकता के अनुसार विभागान्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के कार्मिकों के लिए उनके जॉब कार्ड के अनुरूप भिन्न-भिन्न प्रारूप तैयार करने हेतु ली जा सकती है।
- (5) विभागान्तर्गत श्रेणी 'क' एवं 'ख' के कार्मिकों के साथ-साथ श्रेणी 'ग' के तकनीकी/विशिष्ट प्रकृति वाले सेवा संवर्गों (यथा कनिष्ठ अभियंता/लेखा आदि) के लिए ऑन लाईन वार्षिक प्रविष्टि के प्रारूप/साफ्टवेयर सम्बन्धित विभाग द्वारा ही तैयार किए जायेंगे किन्तु समूह 'ग' के अन्तर्गत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के सम्बन्ध में सभी विभागों के लिए कार्मिक विभाग द्वारा एक सामान्य प्रारूप/साफ्टवेयर निर्धारित/विकसित कर उसे सभी विभागों के लिए लागू/निर्गत किया जायेगा।
- (6) पूर्व में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 408/नि.स./प्र.स.का./2014 के द्वारा समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के कार्मिकों द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण प्रतिवर्ष 31 जुलाई तक की स्थिति के अनुसार दिनांक 31 अगस्त तक नियुक्ति प्राधिकारी को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया था। वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि की 'ऑन लाईन' व्यवस्था के अन्तर्गत कार्मिक के द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या अंकित किए जाने के पूर्व अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत कर दिए जाने की पूर्वपेक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व नियत समयवाधि में संशोधन कर यह निर्देश दिए जाते हैं कि कार्मिकों के द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण प्रत्येक वर्ष पूर्ववर्ती तिथि 31 मार्च की स्थिति के आधार पर दिनांक 30 अप्रैल तक नियुक्ति प्राधिकारी को निर्धारित प्रारूप पर पृथक से प्रस्तुत किया जायेगा अथवा विलम्बतम वार्षिक प्रविष्टि के अन्तर्गत अपनी स्वमूल्यांकन आख्या अंकित करने के अयसर पर नियत प्रक्रिया अनुसार ऑन लाईन अपलोड किया जायेगा।
- (7) 'ऑन लाईन' व्यवस्था/साफ्टवेयर अन्तर्गत स्वमूल्यांकन आख्या अंकित किए जाने हेतु निर्धारित प्रारूप/भाग में सम्बन्धित अधिकारी के द्वारा यह भी उल्लेख किए जाने की व्यवस्था की जायेगी कि उनके द्वारा अपने अधीनस्थ कार्मिकों के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती वर्ष की देय वार्षिक प्रविष्टियां अंकित कर दी गयी हैं अथवा नहीं? इस बिन्दु पर की जाने वाली टिप्पणी का प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकृता प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक के मूल्यांकन हेतु अपनी अभ्युक्ति अंकित करते समय उचित संज्ञान लिया जायेगा।
- (8) विभागों के द्वारा ऑन लाईन वार्षिक प्रविष्टि अंकन की व्यवस्था लागू करते समय तत्सम्बन्धी एक स्पष्ट सामान्य परिचालन प्रक्रिया (SOP) भी निर्गत की जायेगी ताकि विभागीय कार्मिकों को इस व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य करने में कठिनाई न हो।

3. अनुरोध है कि कृपया उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए वर्ष 2021-22 से विभागान्तर्गत वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकन की ऑन लाईन व्यवस्था लागू कराना सुनिश्चित करायें। ऐतद्विषयक पूर्ण तैयारी के उपरान्त विभागीय आदेश निर्गत होने तक साप्ताहिक प्रगति आख्या अधोहस्ताक्षरी के संज्ञानार्थ कार्मिक विभाग को उपलब्ध करायें।

संलग्नक : यथोक्त.

महदीय,

(डॉ. एस. एम. संघु)
मुख्य सचिव।

(3)

संख्या: /XXX(2)/2022-55(26)/2002 तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मा. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा को मा. अध्यक्ष जी के संज्ञानार्थ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,
(अरविन्द सिंह ह्यौकी)
सचिव।

प्रेषक,

डॉ. एस. एस. सन्धु,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/सचिव(प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त,
गढ़वाल/कुमाऊं, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्यक एवं सतर्कता अनुभाग-3

देहरादून दिनांक 17 नवम्बर, 2021

विषय: उत्तराखण्ड प्रान्तीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि आई.एफ.एम.एस. (I.F.M.S) पोर्टल पर ऑन लाइन अंकित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तराखण्ड प्रान्तीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों के सम्बन्ध में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का अंकन वर्ष 2021-22 से ऑन लाइन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में आई.एफ.एम.एस. (I.F.M.S) पोर्टल के अन्तर्गत प्रारूप एवं प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। ताकि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण की जा सकें। वार्षिक चरित्र प्रविष्टि का प्रारूप (Hard copy) संज्ञानार्थ संलग्न है।

2. वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि को पूर्ण करने हेतु वार्षिक समय सारिणी (Annual Calender) निम्नवत् होगी :-

प्रशासकीय/कार्यक विभाग द्वारा ऑन लाइन मूलभूत सूचनाएं/Work flow निर्गत किये जाने की अंतिम तिथि।	सम्बन्धित अधिकारी द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या अंकित किये जाने की अंतिम तिथि।	प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकित किये जाने की अंतिम तिथि।	समीक्षक प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकित किये जाने की अंतिम तिथि।	स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकित किये जाने की अंतिम तिथि।	सम्बन्धित अधिकारी को वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि संसूचित किये जाने की अंतिम तिथि।
31 मई	30 जून	31 जुलाई	31 अगस्त	30 सितम्बर	15 अक्टूबर

उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार यदि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या निर्धारित समयावधि में अंकित नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि पोर्टल द्वारा स्वतः ही प्रतिवेदक अधिकारी को और तदनुसार ही समीक्षक एवं स्वीकर्ता प्राधिकारी को भी निर्धारित समय सारिणी के उपरान्त स्वतः ही पोर्टल द्वारा अग्रसारित हो जायेगी। अतः प्रत्येक स्तर पर निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का अंकन पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के उपरोक्तानुसार संचरण की पोर्टल जनित सूचना SMS/E-mail के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारियों को भी प्राप्त होगी। यहाँ यह स्पष्ट करना समीचीन होगा कि यदि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नियत तिथि के अन्दर स्वमूल्यांकन आख्या अंकित नहीं की जाती है तो प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा इसका उल्लेख अपने मन्तव्य में किया जाएगा और ऐतद्विषयक टिप्पणी सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी/अधिष्ठान द्वारा सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका/व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित की जाएगी। इसी प्रकार, यदि प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता प्राधिकारी समय से प्रविष्टि अंकन सम्बन्धी अपने दायित्व निर्वहन में विफल रहते हैं तो, ऐतद्विषयक टिप्पणी भी सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी/अधिष्ठान द्वारा सम्बन्धित प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता प्राधिकारी, यथा लागू की सेवा पुस्तिका/व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित की जाएगी।

3. वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के अंकन की सामान्य प्रचालन प्रक्रिया (SOP) निम्नवत् होगी:-

- (1) वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के अंकन/मन्तव्य हेतु संबंधित अधिकारी <https://cts.uk.gov.in> (IFMS-Uttarakhand) पर अपने कर्मचारी कोड (Employee Code) के द्वारा लॉग-इन कर सकते हैं।
- (2) सम्बन्धित अधिकारी उक्त पोर्टल के अंतर्गत डाटा एन्ट्री> ए.सी.आर.> सैल्फ डिक्लेरेशन से अपना स्वमूल्यांकन अंकित कर सकते हैं।

(2)

- (3) संबंधित अधिकारी को अपनी स्वमूल्यांकन आख्या अंकित करने से पूर्व 31 मार्च को समाप्त/पूर्ण हुए वित्तीय वर्ष तक की स्थिति के अनुसार अपना अचल सम्पत्ति विवरण (आई.पी.आर.) अपलोड करना अनिवार्य है। सम्बन्धित अधिकारी डाटा एन्ट्री > ए.सी.आर.> आई.पी.आर. में जा कर अपना अचल सम्पत्ति विवरण अपलोड कर सकते हैं।
- (4) प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकर्ता प्राधिकारी उक्त पोर्टल पर अपने कर्मचारी कोड (Employee Code) द्वारा लॉग-इन कर, डाटा एन्ट्री ए.सी.आर.> ए.सी.आर. अभूयाल से अपने अधीनस्थ अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि/अपना मन्तव्य अंकित कर सकते हैं।

4. उपरोक्तानुसार वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि को सम्बन्धित अधिकारी को संसूचित किये जाने और ऐतद्विषयक प्रत्यावेदनों, यदि कोई प्राप्त हों, का निस्तारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरुद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध नामलों का निपटारा) नियमावली, 2015 के अनुसार किया जायेगा।

5. अतः अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यरत सनस्त प्रान्तीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों को उक्त नवीन व्यवस्था/पोर्टल से अवगत कराते हुए वर्ष 2021-22 से उक्त निर्धारित समय सारणी के अनुसार आई.एफ.एम.एस. (I.F.M.S) पोर्टल में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित करने तथा तदनुसार ही वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि को संसमय पूर्ण करने के सम्बन्ध में पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त.

भवदीय,


(डॉ. एस. एस. सन्धु)
मुख्य सचिव।

संख्या : 1000/XXX-3-21-19(15)/2016 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्य परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून को अध्यक्ष महोदय के संज्ञानार्थ।
5. समस्त सदस्य प्रान्तीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा), उत्तराखण्ड।
6. एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. भीडियः सेक्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,


(अरविन्द सिंह ह्यौकी)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2
संख्या: /XXX-2/2022
देहरादून: दिनांक: 15 अप्रैल, 2022

अधिसूचना संख्या: I/29484/2022 दिनांक 13 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रख्यापित 'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974) (संशोधन) नियमावली, 2022' की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण, उत्तराखण्ड
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. मा0 महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
9. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
12. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग-4 में मुद्रित कराकर इसकी 500 प्रतियों कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
17. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर।
18. गार्ड फाईल।

संलग्नक :- यथोक्त।

आज्ञा से,

Signed by Arvind Singh
Hyanki

Date: 13-04-2022 17:37:43
(अरविन्द सिंह ह्यांकी)

सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2
संख्या: /XXX(2)/2022
देहरादून: दिनांक: 13 अप्रैल, 2022

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974) (संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974) (संशोधन) नियमावली, 2022 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन 2. उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम 2 के खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(ग) "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :-

- (1) पत्नी या पति;
- (2) पुत्र;
- (3) पुत्री;
- (4) मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(ग) "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :-

- (1) पत्नी या पति;
- (2) पुत्र;
- (3) पुत्री;
- (4) मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था;

परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के उपरोक्त सम्बन्धियों में से कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिये पात्र ना हो तो ऐसी दशा में शब्द "कुटुम्ब" के अन्तर्गत उस सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्री भी सम्मिलित होंगे।

**Signed by Arvind Singh
Hyanki**

Date: 13-04-2022 17:40:19

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of notification no. I/29489/2022 dated 13 April, 2022 for general information.

Government of Uttarakhand
Personnel and Vigilance Section-2
No. /XXX(2)/2022
Dehradun, Dated 13 April, 2022

Notification

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of "the Constitution of India" the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Recruitment of Dependents of Government Servants dying in Harness Rules, 1974 (Adaptation and Modification) order, 2002 :-

The Uttarakhand (Uttar Pradesh Recruitment of Dependents of Government Servants dying in Harness Rules, 1974) (Amendment) Rules, 2022

- | | |
|------------------------------|---|
| Short title and Commencement | 1.(1) These rules may be called the The Uttarakhand (Uttar Pradesh Recruitment of Dependents of Government Servants dying in Harness Rules, 1974) (Amendment) Rules, 2022.
(2) It shall come into force at once. |
| Amendment of rule 2 | 2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependents of Government Servants dying in Harness Rules, 1974 (Adaptation and Modification order, 2002) for the existing clause (c) of rule 2, as set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be substituted, namely:- |

Column-1 Existing Clause	Column-2 Clause hereby Substituted
(c) "Family" of a Deceased Government Servant dying in harness includes the following relatives:- (1) Wife or husband; (2) Son; (3) Daughter; (4) Unmarried brother, unmarried sister and widow mother dependent on deceased Government servant, if in case the deceased Government servant was unmarried.	(c) "Family" of a Deceased Government Servant dying in harness includes the following relatives:- (1) Wife or husband; (2) Son; (3) Daughter; (4) Unmarried brother, unmarried sister and widow mother dependent on deceased Government servant, if in case the deceased Government servant was unmarried.

File No. PVD2-AR/SR/2/2022-XXX-2-Personnel and Vigilance Department (Computer No. 21217)
1/29489/2022
1/29489/2022

Provided that if any person from above mentioned relatives of the deceased Government servant is not available or is found to be physically and mentally unfit and thus ineligible for employment in Government service, then in such situation the word "Family" shall also include the grandson and the unmarried granddaughter of the deceased Government servant dependent on him.

By Order,
Signed by Arvind Singh
Hyanki
Date: 13-04-2022 17:42:23
(Arvind Singh Hyanki)
Secretary.

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०),
उत्तरकाशी।

पत्रांक—प्रा०शि०/सेवायें-1/2299/172(व्यक्तिगत)/2021-22 दिनांक 12 जुलाई, 2021
विषय— श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय, सेवा निवृत्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी के चयन
वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: /2589-90/लेस०/ 2020-21 दिनांक
24-8-2020 के साथ संलग्न श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय, सेवा निवृत्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी का
प्रत्यावेदन दिनांक 21-7-2020 जो 8/14/19 तथा 24 वर्ष की सेवा पर वेतन वृद्धि/चयन वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान
अनुमन्य किये जाने का अनुरोध किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण के निस्तारण किये जाने हेतु निदेशालय
स्तर पर, एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति ने दिनांक 28-6-2021 को बैठक
आहूत कर प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में अपना निर्णय/मन्तव्य से अवगत कराया है कि श्री गिरीश चन्द्र
पाण्डेय, सेवा निवृत्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, की सेवा पुस्तिका एवं के प्रार्थना पत्र के अवलोकन करने पर स्थिति
निम्नानुसार है—

- 1- श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय, की राजकीय सेवा में राजकीय बालिका इण्टर कालेज कुधान, मुजफरनगर, उत्तर प्रदेश में कनिष्ठ
सहायक पद वेतनमान रू० 60- 110 पर दिनांक 29-01-1962 को हुई थी।
- 2- वर्ष 1975 में बालाहार पोष्टिक योजना संचालित होने पर तदर्थ नियुक्ति स्टोर अधीक्षक तत्समय वेतनमान रू० 300-550 में
कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी, में हुई। प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश संख्या-4719
दिनांक 10-9-1985 द्वारा विनियमितीकरण किया गया है।
- 3- मण्डलीय सहायक निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी के आदेश सं०-21/88-89 दिनांक 18-7-1985 के द्वारा श्री गिरीश चन्द्र
पाण्डेय, को 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर 01-7-1985 से चयन वेतनमान रू० 680-920 की स्वीकृति प्रदान की
गई है। चयन वेतनमान किस शासनादेश के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया, का उल्लेख नहीं, जबकि इन्हे समयमान वेतन के
अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि दी जानी थी। चयन वेतनमान की व्यवस्था शिक्षको पर लागू है।
- 4- वर्ष 1990 में बालाहार योजना समाप्त होने के फलस्वरूप शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश, शिक्षा (निरीक्षण) अनुभाग,
इलाहाबाद के पत्रांक 1616 दिनांक 05-6-1991 एवं मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी के आदेश
सं०/91-92 दिनांक 14-6-1991 द्वारा श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय, का समायोजन समान वेतनमान (1400-2300) के पद पर प्रति

उप विद्यालय निरीक्षक/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी(परिवर्तित पदनाम) पद पर देहरादून में किया गया। समान वेतनमान में संशोधित वेतन निर्धारण भी किया गया है, जिसमें वेतन वृद्धि तिथि परिवर्तित की गई है।

5- श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय, दिनांक 30-6-1998 को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात सेवा निवृत्त हो गये हैं।

श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय के प्रार्थना-पत्र में समयमान वेतनमान अनुमन्य कराये जाने का अनुरोध किया गया है। जबकि पूर्व में चयन वेतनमान अनुमन्य किया गया। पूर्व में अनुमन्य चयन वेतनमान उचित प्रतीत नहीं होता है। समयमान की व्यवस्थानुसार 08/10 वर्ष नियमित सन्तोषजनक सेवा के आधार पर एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य किया जाना चाहिए था। इस आधार पर 14 वर्ष की सेवा पर प्रोन्नत/अगला वेतनमान जुलाई 1999 में देय होता, इससे पूर्व ही श्री पाण्डेय अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30-6-1998 को सेवा निवृत्त हो गये, इसलिए देयता नहीं बनती है। समयमान/चयन वेतनमान दोनों ही व्यवस्था में अनुमन्यता नहीं बनती है।

अतः श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय, की सेवा पुस्तिका (दो भाग) मूल में वापस करते हुए समिति के उक्त मन्तव्य से सम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न- उक्तवत।

भवदीय


(वी.ओ.सावत)

अपर निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक : सेवा-1(प्रश0शि0)/सेवा संयोजन/10301 /2021-22 दिनांक 15 दिसम्बर, 2021

विषय : श्री सुमेर सिंह, उप शिक्षा अधिकारी, जयहरीखाल, पौड़ी गढ़वाल की पूर्व में की गयी सेवाओं के संयोजन एवं वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किए जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशालय के पत्रांक-सेवा प्रशा0/6011/1/0(32)/2021-22 दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन के पत्र संख्या-679/XXIV-2/2021-07(36)/2014 दिनांक 09 सितम्बर, 2021 की प्रति संलग्न करते हुए श्री सुमेर सिंह, उप शिक्षा अधिकारी, जयहरीखाल, पौड़ी द्वारा वर्तमान राजकीय सेवा में आने से पूर्व की गयी राजकीय सेवाओं को वर्तमान राजकीय सेवा में जोड़े जाने संबंधी प्रकरण पर पांच बिन्दुओं पर स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। तदक्रम में निदेशालय के पत्र दिनांक 24 नवम्बर, 2021 द्वारा अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी को वांछित बिन्दुओं पर आख्या निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। निदेशालय के उक्त पत्र के क्रम में अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी के पत्र दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 द्वारा वांछित आख्या निदेशालय को उपलब्ध कराई गई है। महानिदेशालय द्वारा वांछित पांच बिन्दुओं की आख्या निम्नवत् है:-

क्रम संख्या	वांछित बिन्दु	आख्या
1	श्री सुमेर सिंह, स0अ0 एल0टी0 द्वारा राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति हेतु आदेश प्रति संलग्न नहीं की गयी है।	प्रथम नियुक्ति आदेश की छाया प्रति संलग्न है।
2	श्री सुमेर सिंह, स0अ0 एल0टी0 के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गयी है।	सहायक अध्यापक एल0टी0 के पद पर कार्यभार ग्रहण आदेश की प्रति संलग्न है।
3	क्या श्री सुमेर सिंह द्वारा उप शिक्षा अधिकारी के पद पर आवेदन करने हेतु विभाग से अनापत्ति ली गई थी? उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।	विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है।
4	क्या श्री सुमेर सिंह द्वारा उप शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु विधिवत कार्यमुक्त हुए हैं? उक्त कार्यमुक्त आदेश की छायाप्रति।	कार्यमुक्त आदेश की प्रति संलग्न है।
5	क्या श्री सिंह की दोनों सेवाओं के मध्य कोई व्यवधान है।	नहीं (दिनांक 06 जनवरी, 2015 को कार्यमुक्त होने एवं दिनांक 07 जनवरी, 2015 को उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।)

अतः महानिदेशालय के पत्रांक-सेवा प्रशा0/6011/1/0(32)/2021-22 दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 के क्रम में अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी के पत्र दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्राप्त आख्या संलग्नकों सहित मूल रूप में प्रेषित की जा रही है। संलग्नक-उक्तवत्।

स्वदीय
15/12/2021
(आर0के0 उनियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक : सेवा-1(प्रा0शि0)/सेवा संयोजन/15347-49 /2021-22 दिनांक 08 मार्च, 2022
विषय : सुश्री प्रेमा बिष्ट, उप शिक्षा अधिकारी, बाजपुर, ऊधमसिंह नगर की पूर्व में की गयी सेवाओं के संयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशालय के पत्रांक-सेवा प्रशा0/2486/1/O(16)/2019-20 दिनांक 01 जुलाई, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन के पत्र संख्या-219/XXIV-2/2018-07(50)/2014 दिनांक 21 सितम्बर, 2019 की प्रति संलग्न करते हुए सुश्री प्रेमा बिष्ट, उप शिक्षा अधिकारी, बाजपुर, ऊधमसिंह नगर द्वारा पूर्व में की गयी सेवाओं को वर्तमान सेवाओं में जोड़े जाने के संबंध में उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के प्रस्तर-4 के (2)(iii) के अनुसार कार्यवाही करते हुए सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। तदक्रम में निदेशालय के पत्र दिनांक 04 जुलाई, 2019 एवं पत्र दिनांक 01 सितम्बर, 2019 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, ऊधमसिंह नगर/नैनीताल को उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के प्रस्तर-4 के (2)(iii) के अनुसार कार्यवाही करते हुए सुस्पष्ट आख्या निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। निदेशालय के उक्त पत्रों के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, ऊधमसिंह नगर के पत्र दिनांक 26 फरवरी, 2021 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल के आदेश संख्या-235 दिनांक 16 नवम्बर, 2021 द्वारा निर्गत स्थायीकरण आदेश की प्रति संलग्नकों सहित निदेशालय को उपलब्ध कराई गई है।

अतः महानिदेशालय के पत्रांक-सेवा प्रशा0/2486/1/O(16)/2019-20 दिनांक 01 जुलाई, 2019 के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, ऊधमसिंह नगर के पत्र दिनांक 26 फरवरी, 2021 द्वारा प्राप्त स्थायीकरण आदेश की प्रति/आख्या संलग्नकों सहित मूल रूप में प्रेषित की जा रही है।
संलग्नक-उक्तवत्।

भवदीय

(बन्दना गार्मल)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पृ0सं0-सेवा-1(प्रा0शि0)/सेवा संयोजन/15347-49 /2021-22 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, ऊधमसिंह नगर।
- 2- सुश्री प्रेमा बिष्ट, उप शिक्षा अधिकारी, बाजपुर, ऊधमसिंह नगर।

(बन्दना गार्मल)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

9/6

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

1. मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड

2. जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
/2022-23 दिनांक: 04-मई, 2022

पत्रांक : प्रांशि०-दो(2)/419(IV)-2020/ 2100

विषय : सहायक अध्यापक प्राथमिक की जनपद स्तर पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय, उपर्युक्त विषयक दिनांक 02-05-2022 को कतिपय बेरोजगार युवक निदेशालय में उपस्थित होकर अनुरोध किया गया कि वर्ष 2020-2021 की भर्ती प्रक्रिया में वर्ष 2011 की अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र मान्य किया जाय। इस सम्बन्ध अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या-151/एस०एस०/2021 मनीषा जोशी व अन्य बनाम एन०सी०टी०ई० व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02-09-2021 को निर्णय पारित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है :-

.....Learned State Counsel would submit that if such a representation is made, it will be decided within a period of three weeks.
The Writ petition is disposed of with liberty to the petitioners to make representation to respondent no. 2 within a period of one week. The respondent no. 2 is further directed to decide the representation as may be made by the petitioners within a further period of three weeks.

उक्त के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-W 106/XXIV-A-1/2021-W-106/2021 दिनांक 27-09-2021 द्वारा याचीगणों के प्रत्यावेदन निस्तारित करते हुए निर्णय पारित किया गया कि ".....अध्यापक पात्रता परीक्षा-प्रथम (TET-1) प्रमाण पत्र की वैधता अवधि जनपदान्तर्गत निर्गत विज्ञप्तियों में उल्लिखित आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तत्समय माह जनवरी, 2021 तक समाप्त हो चुकी थी। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के अन्तरिम आदेश दिनांक 01-09-2021 के अनुपालन में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया के अन्तिम चरण में होने के दृष्टिगत याचीगणों को पूर्व निर्गत विज्ञप्ति के सापेक्ष आवेदन करने का लाभ नहीं दिया जा सकता है। अतएव उपरोक्त वस्तुस्थितिपरक आख्या के आलोक में रिट याचिका संख्या-151/एस०एस०/2021 मनीषा जोशी व अन्य बनाम एन०सी०टी०ई० व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-09-2021 के अनुपालन में याचीगणों के प्रत्यावेदन दिनांक 18-09-2021 को एतद्वारा निस्तारित किया जाता है।"

उपरोक्त के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिकाओं में पारित निर्णयादेशों के अनुपालन में शासन स्तर से पारित निस्तारण आदेश के अनुपालन में निदेशालय के पत्र संख्या/वि०प्र०-10(5)/151(21)/7390-403/2021-22 दिनांक 10-10-2021 द्वारा पूर्व में जनपदों को आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। अतः उक्त से अवगत होते हुए यथानियम आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(बन्दी मन्थान) 04/05/2022

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पत्रांक: वि०प्र०-10(5)/151(21)/न० 390-403 /2021-22 दिनांक 6 अक्टूबर 2021

विषय- मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका सं० 151/एस०एस०/2021 मनीषा जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका सं० 151/एस०एस०/2021 मनीषा जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 02.09.2021 को आदेश पारित किये गये। मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश का क्रियात्मकअंश निम्नवत् है-


..... Learned State counsel would submit that if such a representation is made, it will be decided within a period of three weeks.

The writ petition is disposed of with liberty to the petitioners to make representation to respondent no. 2 within a period of one week, The respondent no. 2 is further directed to decide the representation as may be made by the petitioners within a further period of three weeks.

मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के क्रम में याचिकाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्यावेदन दिनांक 18-09-2021 को उत्तराखण्ड शासन, बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा कार्यालय-ज्ञाप (निस्तारण आदेश) संख्या- W-106/XXIV-A-1/2021/W-106/2021 दिनांक 27 सितम्बर 2021 द्वारा निस्तारित किया गया है।

अतः उपरोक्त के क्रम में निस्तारण आदेश दिनांक 27-09-2021 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद स्तर पर वर्ष 2020-21 में प्रकाशित की गयी विज्ञप्तियों के सापेक्ष चयन/नियुक्ति की कार्यवाही को उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली-2012 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- यथोपरि।


(रामकृष्ण उनियाल)
प्रभारी निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

पृ०सं०/वि०प्र० 10(5)/151(21)/न० 390-403/2021-22 दिनांक उदत्तवत्।

प्रतिलिपि :- निर्माकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01- सचिव विद्यालयी शिक्षा, शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

- 03- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
- 04- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
- 05- उप निदेशक, सेवायें-2 प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 06- मनीषा जोशी पुत्री श्री कृष्ण चन्द्र, माला कुंज, अम्बा नगर, अमरावती कॉलोनी-3 तल्ली बमोरी, हल्द्वानी, नैनीताल। (पंजीकृत)
- 07- रेनू काण्डपाल पुत्री श्री चन्द्र शेखर काण्डपाल, समता आश्रम मार्ग, शिवाजी कॉलोनी म0न0 282/20 बरेली रोड, हल्द्वानी, नैनीताल। (पंजीकृत)
- 08- इन्द्र देवी काण्डपाल पुत्री श्री चन्द्र शेखर काण्डपाल, समता आश्रम मार्ग, शिवाजी कॉलोनी म0न0 282/20 बरेली रोड, हल्द्वानी, नैनीताल। (पंजीकृत)
- 09- हितेश कुमार पुत्र श्री घनश्याम सिंह, सी-408 न्यू आवस विकास, काशीपुर, उधमसिंह नगर। (पंजीकृत)
- 10- मो0 आरिफ पुत्र मो0 यामिन, ग्राम/पो0-जगदपुरी, तहसील-गदरपुर, उधमसिंह नगर। (पंजीकृत)
- 11- छाया चौहान, पुत्री श्री सिराज पाल सिंह, कवि नगर काशीपुर, उधमसिंह नगर। (पंजीकृत)
- 12- आभा पंत पुत्री श्री रमेश चन्द्र जोशी, मोहल्ला टीचर्स कॉलोनी, महेशपुरा, काशीपुर, उधमसिंह नगर। (पंजीकृत)
- 13- मो0 नफिस पुत्र मो0 यामिन, ग्राम/पो0-जगदपुरी, तहसील-गदरपुर, उधमसिंह नगर। (पंजीकृत)


प्रभाषी निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

657
30/9/21

मिडिया
30/9/21

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग-1
संख्या:- / /XXIV-A-1/2021-W-106/2021
देहरादून: दिनांक: 27 शिताम्बर, 2021

D.D. सेवा-2/2.06
कृ. अ. प्र. वि. ए.
J.D.
4/10/21

कार्यालय-ज्ञाप
(निरस्तारण आदेश)

अध्यापक पात्रता परीक्षा (T.E.T.) की वैधता अवधि को सात (07) वर्ष से बढ़ाकर आजीवन किये जाने के फलस्वरूप सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु माह अक्टूबर-नवम्बर-दिसम्बर, 2020 में जनपदवार निर्गत विज्ञप्तियों के सापेक्ष आवेदन करने का लाभ दिये जाने हेतु याचीगणों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में रिट याचिका संख्या-151/एस0एस0/2021 मनीषा जोशी व अन्य बनाम एन0सी0टी0ई0 व अन्य योजित की गयी।

2- उक्त रिट याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 02.09.2021 को आदेश पारित किये गये। मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है:-
.....Learned State counsel would submit that if such a representation is made, it will be decided within a period of three weeks.

The writ petition is disposed of with liberty to the petitioners to make representation to respondent no. 2 within a period of one week. The respondent no. 2 is further directed to decide the representation as may be made by the petitioners within a further period of three weeks.

3- मा0 न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के क्रम में याचीगणों द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड को अपना प्रत्यावेदन दिनांक 18.09.2021 प्रेषित किया गया। तदक्रम में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा के पत्रांक-वि0प्र0-10(5)/151(21)/6579/2021-22, दिनांक 23.09.2021 द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विभागीय आख्या उपलब्ध कराते हुए, याचीगणों के प्रत्यावेदन को निस्तारित किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया।

4- उल्लेखनीय है कि सहायक अध्यापक, प्राथमिक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जनपद स्तर पर माह अक्टूबर-नवम्बर-दिसम्बर, 2020 में निर्गत विज्ञप्तियों में आवेदन करने की अन्तिम तिथि माह जनवरी, 2021 निर्धारित थी। "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012, (समय-समय पर यथा संशोधित)" के नियम 9(क) में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद पर नियुक्ति हेतु दी गयी शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता के साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा कक्षा I-V के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा-प्रथम (UTET-I/CTET-I) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

5- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के पत्र संख्या 76-4/2010/NCTE/Acad. दिनांक 11.02.2011 में TET (अध्यापक पात्रता परीक्षा) परीक्षा अयोजन हेतु दी गई गाइड लाइन्स के विन्दु संख्या-11 के अनुसार -
"..... The Validity Period of TET qualifying certificate for appointment will be decided by the appropriate Government subject to a maximum of seven years for all categories."

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में, उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा-प्रथम व द्वितीय (UTET-I & II)

के आयोजन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-163/XXIV(1)/2016-15/2011, दिनांक 04.03.2016 के प्रस्तर-4(6) में प्राविधान किया गया है कि "..... अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण-पत्र की वैधता प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से 07 वर्ष की होगी। यदि कोई व्यक्ति अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से 07 वर्ष के भीतर सहायक अध्यापक प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक के पदों पर सेवायोजित होने में असफल रहता है तो उसे अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण-पत्र पुनः प्राप्त करना अनिवार्य होगा।" इस प्रकार स्पष्ट है कि तत्समय अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि, प्रमाण-पत्र के निर्गत होने की तिथि से 07 वर्ष तक निर्धारित थी।

6- तदोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के पत्र संख्या-NCTE-Reg1011/78/2020-US(Regulation)-HQ/99954-99992, दिनांक 09.06.2021 के अनुपालन में उपरोक्त शासनादेश दिनांक 04.03.2016 के प्रस्तर-4(6) को संशोधित करते हुए, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-889/XXIV-A-1/2021-15/2011Vol-I, दिनांक 28.06.2021 द्वारा उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा-प्रथम व द्वितीय (UTET I&II) हेतु निर्धारित की गयी वैधता अवधि को पूर्वगामी प्रभाव दिनांक 11.02.2011 से 07 वर्ष के स्थान पर आजीवन किया गया है।

7- यह भी उल्लेखनीय है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा की वैधता अवधि के सन्दर्भ में शासनादेश के निर्गत होने के लगभग 06 माह पूर्व सहायक अध्यापक, प्राथमिक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जनपदों द्वारा माह अक्टूबर-नवम्बर-दिसम्बर, 2020 में विज्ञप्तियाँ निर्गत की गयी, जिनमें आवेदन करने की अन्तिम तिथि माह जनवरी, 2021 थी। वर्तमान में उक्त भर्ती प्रक्रिया मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-350/एस0एस0/2021 श्री नन्दन सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 01.09.2021 के अनुपालन में, शासनादेश संख्या-W-98/XXIV-A-1/2021/18/2018, दिनांक 14.09.2021 के क्रम में गतिमान व अन्तिम चरण में है।

8- इस प्रकार याचीगणों के अध्यापक पात्रता परीक्षा-प्रथम (TET-I) प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि जनपदान्तर्गत निर्गत विज्ञप्तियों में उल्लिखित आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तत्समय माह जनवरी, 2021 तक समाप्त हो चुकी थी। वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के अन्तरिम आदेश दिनांक 01.09.2021 के अनुपालन में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया के अन्तिम चरण में होने के दृष्टिगत, याचीगणों को पूर्व निर्गत विज्ञप्ति के सापेक्ष आवेदन करने का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

अतएव उपरोक्त वस्तुस्थितिपरक आख्या के आलोक में रिट याचिका संख्या-151/एस0एस0/2021 मनीषा जोशी व अन्य बनाम एन0सी0टी0ई0 व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.09.2021 के अनुपालन में याचीगणों के प्रत्यावेदन दिनांक 18.09.2021 को एतद्वारा निस्तारित किया जाता है।

(साधिका झा)
सचिव।

संख्या-60/06/XXIV-A-1/2021/W-106/2021, तददिनांकित

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2) मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊं/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
- 3) सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०), उत्तराखण्ड (द्वारा निदेशक, प्रा०शि०, उत्तराखण्ड)।
- 4) रिट याचिका संख्या--151/एस०एस०/2021 के समस्त याचीगण (द्वारा निदेशक, प्रा०शि०, उत्तराखण्ड)।
- 5) गार्ड फाईल।


(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

01. मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड

02. जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पत्रांक : प्रा०शि०-दो(2)/536-2021/ 365-71

/2022-23 दिनांक: 05 अप्रैल, 2022

विषय : सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या/प्रा०शि०-दो(2)/419(II)-2020/6118-21/2021-22 दिनांक 14-09-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु जनपद स्तर पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया के सापेक्ष चयन/नियुक्ति के सम्बन्ध में जनपदों को निर्देश प्रेषित किये गये थे।

उक्त पत्र के प्रस्तर-06 (c) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या-574/एस०एस०/2019 नीतू पाठक व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत अंकों की बाध्यता के क्रम में बी०एड० प्रशिक्षितों के चयन के उपरान्त लिफाफे बन्द करते हुए पद आरक्षित रखे जाने के निर्देश दिये गये, जिसके सापेक्ष आरक्षित श्रेणी यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांगता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के लिफाफे बन्द किये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की अधिसूचना दिनांक 23-08-2010 एवं यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 29-07-2011 के पैरा-(III) के उप पैरा (1)(ग) के अनुसार "आरक्षित वर्ग जैसे एस०सी०/एस०टी० ओ०बी०सी०/पी०एच० आदि के अभ्यर्थियों को अर्हक अंकों में 05 प्रतिशत की छूट दी जायेगी एवं उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) के नियम-9(क) (एक) से (चार) में प्राविधानित है कि "..... शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के संशोधन यथावत् लागू रहेंगे।....."

अतः उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद स्तर पर गतिमान सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती प्रक्रिया के सापेक्ष बी०एड० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के चयन होने की दशा में एन०सी०टी०ई० की अधिसूचना दिनांक 29-07-2011 के पैरा-(III) के उप पैरा (1)(ग) के क्रम में आरक्षित वर्ग (यथा एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी०/पी०एच०) के अन्तर्गत चयनित बी०एड० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों (जिनका लिफाफा मा०उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-574/एस०एस०/2019 नीतू पाठक व अन्य के क्रम में बन्द किये गये थे) को अर्हक अंकों (स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत) में 05 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(बन्दीना गब्बाल)

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ०सं० : प्रा०शि०-दो(2)/536-2021/ 365-71

/2021-22 दिनांक उत्तराखण्ड

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव विद्यालयी शिक्षा, शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03. अध्यक्ष/सचिव, उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग, देहरादून/उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग, देहरादून/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, देहरादून/उत्तराखण्ड दिव्यांगजन आयोग, देहरादून।
04. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।

(बन्दीना गब्बाल)

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पत्रांक : प्रा०शि०-दो(2)/419(III)-2020/ 11323 /2021-22 दिनांक 31 दिसम्बर, 2021

विषय : सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शि० चमोली द्वारा की गयी पृच्छा के सम्बन्ध में निर्गत निदेशालय के पत्र संख्या/प्रा०शि०-दो(2)/419(II)-2020/10459-60/2021-22 दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो जनपद चमोली को सम्बोधित तथा अन्य जनपदों को पृष्ठांकित किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में शासन के पत्र संख्या-2430/XXIV-A-1/2021-18/2018 T.C. दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 द्वारा निदेशालय के उक्त पत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 के प्रस्तर-2 के सम्बन्ध में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के चयन में उल्लिखित अर्हताओं के कारण उत्पन्न विसंगति के दृष्टिगत वर्तमान में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद पर जनपदवार गतिमान भर्ती प्रक्रिया में नवीनतम उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2019 के प्राविधानों का अनुपालन करवाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः उपरोक्त के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शि० चमोली को सम्बोधित एवं अन्य जनपदों को पृष्ठांकित करते हुए प्रेषित किये गये पत्र संख्या/प्रा०शि०-दो(2)/419(II)-2020/10459-60/2021-22 दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है।

भवदीय
(रामकृष्ण उनियाल)
प्र० निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

सं०- /XXIV-A-1/2021-18/2018 T.C.

प्रेषक,

दीप्ति सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक: 30 दिसम्बर, 2021

विषय: सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा के पत्रांक प्रा0शि0-दो(2)/419(II)-2020/10459-600/2021-22 दिनांक 16 दिसम्बर, 2021, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चमोली को सम्बोधित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन स्तर पर विभिन्न स्तरों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि इस सम्बन्ध में नवीनतम उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2019 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा के उपरोक्त पत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 के प्रस्तर-2 के सम्बन्ध में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के चयन में उल्लिखित अर्हताओं के कारण उत्पन्न विसंगति के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद जनपदवार गतिमान भर्ती प्रक्रिया में नवीनतम उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2019 के प्राविधानों का अनुपालन करवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीप्ति सिंह)
अपर सचिव।

सं०-2430 /XXIV-A-1/2021-18/2018 T.C. दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड को इस निदेश के साथ प्रेषित कि प्रकरण में उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(दीप्ति सिंह)
अपर सचिव।

प्रेषक,

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पत्रांक : प्रा०शि०-दो(2)/419(II)-2020/ 618-21 /2021-22 दिनांक: 14 सितम्बर, 2021

विषय : सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-W 98/XXIV-A-1/2021-18/2018 दिनांक 14 सितम्बर, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा रिट याचिका संख्या-350/एस०एस०/2021 में माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 01-09-2021 के आलोक में न्याय विभाग उत्तराखण्ड शासन एवं महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के परामर्श के क्रम में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों पर जनपदवार निर्गत विज्ञप्तियों को भरे जाने के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करते हुए उक्त भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से तत्काल पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

02- उल्लिखित शासनादेश दिनांक 14-19-2021 में निर्देशित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या-350/एस०एस०/2021 श्री नन्दन सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 01-09-2021 द्वारा सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों पर लगी रोक को हटाते हुए सुसंगत सांविधिक प्राविधानों एवं उपयुक्त भर्ती नियमों के अधीन भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ के आदेश पारित किये गये हैं। जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत् है :-

6. Since learned Advocate General has assured the Court that selection for the post of Assistant Teacher Government Primary School would be undertaken strictly as per relevant Statutory provisions, including the applicable Recruitment Rules, and public interest demands that vacancies on the posts of Assistant Teacher Government Primary School are supplied at the earliest, therefore, in the opinion of this Court, the interim order dated 03.03.2021 deserves to be modified.

7. In such view of the matter, interim order dated 03.03.2021 is modified and it is provided that selection process for appointment to the post of Assistant Teacher Government Primary School shall go on, however, appointment, if any, made on the strength of the selection, so made, shall be subject to the final outcome of the present writ petition.

03- माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के उपरोक्त अन्तरिम आदेश के आलोक में न्याय विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा विद्यमान सुसंगत सांविधिक प्राविधानों एवं उपयुक्त भर्ती नियमों व लोक हित के आधार पर निर्णय लिये जाने एवं महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा ".....The Hon'ble Court has also clearly directed that the appointment should be made strictly as per relevant statutory provisions and the applicable recruitment rules made under the authority of the statutory rules. Therefore, the Department is required to make appointment as soon as possible strictly in accordance with the statutory rules applicable in respect to the appointments in question." का परामर्श दिया गया है।

04- रिट याचिका संख्या-350/एस०एस०/2021 में माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 01-09-2021 के आलोक में न्याय विभाग उत्तराखण्ड शासन एवं महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के परामर्श के क्रम में सहायक

Le

अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों पर जनपदवार निर्गत विज्ञप्तियों को भरे जाने के सम्बन्ध में अग्रैत्तर आवश्यक कार्यवाही करते हुए उक्त भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से तत्काल पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि उक्त समस्त नियुक्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत चयन परिणामों को रिट याचिका संख्या-350/एस०एस०/2021 श्री नन्दन सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रखा जायेगा।

05- उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली-2012 (यथा संशोधित) के नियम-9 (क)(दो) में उल्लिखित है कि "राज्य के किसी भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संशाधन केन्द्र से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डी.एल.एड. (जिसे उत्तराखण्ड राज्य में द्विवर्षीय बी०टी०सी० के नाम से जाना जाता था) अथवा उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डी०एल०एड०/चार वर्षीय बी०एल०एड० अथवा 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी०एड०)/शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०)....."

06- अतः उपरोक्त के क्रम में जनपद स्तर पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :-

- सर्वप्रथम वर्ष 2018-19 में निर्गत विज्ञप्तियों के सापेक्ष अवगत कराना है कि तदसमय प्रचलित उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (पंचम संशोधन) सेवा नियमावली-2018 में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) हेतु निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया। तदनुसार ही सेवा नियमावली के नियम-15 के प्राविधानों के क्रम में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पदों पर अभ्यर्थियों का चयन की कार्यवाही सम्पादित की जाय।
- उक्त के उपरान्त सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर, 2020/दिसम्बर, 2020 में प्रकाशित विज्ञप्ति के सापेक्ष चयन की कार्यवाही उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हतायें निर्धारित की गयी है। तदनुसार ही सेवा नियमावली के नियम-15 के प्राविधानों के क्रम में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पदों पर अभ्यर्थियों का चयन की कार्यवाही सम्पादित की जाय।
- माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या-574/एस०एस०/2019 नीतू पाठक व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में याचीगणों द्वारा सहायक अध्यापक (प्राथमिक) की निर्धारित अर्हता में बी०एड० प्रशिक्षितों हेतु निर्धारित स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत अंकों की बाध्यता को चुनौती दी गयी है। याचिका संख्या-574/एस०एस०/2019 नीतू पाठक व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19-03-2019 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है :-

".....
In the meantime, petitioners shall be provisionally permitted to participate in the process of selection for appointment to the post of Assistant Teacher in Government Primary Schools, however their result shall not be declared without leave of this Court.
....."

उल्लिखित के क्रम में ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के उपरान्त चिन्हित अभ्यर्थियों के आवेदन को एक बन्द लिफाफे में आरक्षित रखा जायेगा तथा ऐसे चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष पद आरक्षित रखा जायेगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय पारित किये जाने के उपरान्त ही ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा।

- सीधी भर्ती के माध्यम से की जानी वाली नियुक्तियों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु शासनादेश संख्या-232/XXX(2)/2018/30(05)/2014 दिनांक 26-09-



2018 में निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन दिव्यांगजनों के आरक्षण हेतु निर्धारित मानदण्डों के अधीन किया जायेगा।

- e) बी०एड० प्रशिक्षित उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन की स्थिति में उनके नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाय कि कक्षा I से V तक पढ़ाने के लिए उनको प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अर्हतायें पूर्ण न किये जाने की दशा में सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
- f) सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को निर्गत किये जाने वाले नियुक्ति पत्र में अनिवार्य रूप से उल्लिखित किया जाय कि उल्लिखित नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या-350/एस०एस०/2021 नन्दन सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
- g) नवीन नियुक्ति पर पदस्थापना लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानों के अनुसार जनपद के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में किया जायेगा।
- h) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नवीन नियुक्ति के उपरान्त सेवा नियमावली-2012 (यथा संशोधित नियमावली) के नियम-21 (1) के क्रम में नियुक्ति के उपरान्त दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के अन्तर्गत समस्त नव नियुक्त शिक्षकों के शैक्षिक, प्रशिक्षण व अन्य प्रमाण पत्रों की जांच सम्बन्धित संस्थान/बोर्ड/विश्वविद्यालय से अनिवार्यतः कराया जायेगा।
- i) जनपद स्तर पर की गयी नियुक्तियों के उपरान्त सहायक अध्यापक (प्राथमिक) की रोस्टर पंजिका को भी अद्यावधिक करते हुए संकलित सूचना प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।

अतः उपरोक्त के क्रम में अतः उक्त के क्रम में शासनादेश दिनांक 14-09-2021 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद स्तर पर वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2020-21 में प्रकाशित की गयी विज्ञप्तियों के सापेक्ष चयन/नियुक्ति की कार्यवाही को अविलम्ब प्रचलित उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली-2012 (यथा संशोधित सेवा नियमावली) के प्राविधानों के अनुसार करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय
(आर० के० उनियाल)
प्र०निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ०सं० : प्रा०शि०-दो(2)/419(II)-2020/ 6118-21
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव विद्यालयी शिक्षा, शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।

(आर० के० उनियाल)
प्र०निदेशक

प्रेषक,

राधिका झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक : 14 सितम्बर, 2021

विषय: मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या-350/एस०एस०/2021 श्री नन्दन सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक वि०प्र०-10(05)/350 (21)/5616/2020-21 दिनांक 03 सितम्बर, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के अन्तरिम आदेश दिनांक 01.09.2021 के आलोक में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) से दूरस्थ शिक्षा (ODL) के माध्यम से द्विवर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण प्राप्त (वर्ष 2017-2019) (प्रशिक्षण की अवधि 18 माह) अभ्यर्थियों को राज्य के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों पर जनपदवार निर्गत विज्ञापितियों में सम्मिलित किया जाना है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश चाहे गये हैं।

2- मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या-350/एस०एस०/2021 श्री नन्दन सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 01.09.2021 द्वारा सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों पर लगी रोक को हटाते हुए, सुसंगत सांविधिक प्राविधानों एवं उपयुक्त भर्ती नियमों के अधीन भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ के आदेश पारित किये गये हैं। जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत् है:-


6. Since learned Advocate General has assured the Court that selection for the post of Assistant Teacher Government Primary School would be undertaken strictly as per relevant Statutory provisions, including the applicable Recruitment Rules, and public interest demands that vacancies on the posts of Assistant Teacher Government Primary School are supplied at the earliest, therefore, in the opinion of this Court, the interim order dated 03.03.2021 deserves to be modified.

7. In such view of the matter, interim order dated 03.03.2021 is modified and it is provided that selection process for appointment to the post of Assistant Teacher Government Primary School shall go on, however, appointment, if any, made on the strength of the selection, so made, shall be subject to the final outcome of the present writ petition.

3- मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के उपरोक्त अन्तरिम आदेश के आलोक में न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा विद्यमान सुसंगत सांविधिक प्राविधानों एवं उपयुक्त भर्ती नियमों व लोक हित के आधार पर निर्णय लिये जाने एवं महाधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा "..... The Hon'ble Court has also clearly directed that the appointment should be made strictly as per relevant statutory provisions and the applicable recruitment rules made under the authority of the statutory rules. Therefore, the Department is required to

make appointments as soon as possible strictly in accordance with the statutory rules applicable in respect to the appointments in question." का परामर्श दिया गया है।

4- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या-350/एस0एस0/2021 में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 01.09.2021 के आलोक में न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के परामर्श के क्रम में, सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों पर जनपदवार निर्गत विज्ञप्तियों को भरे जाने के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करते हुए उक्त भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से तत्काल पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि उक्त समस्त नियुक्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत चयन परिणामों को रिट याचिका संख्या-350/एस0एस0/2021 श्री नन्दन सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रखा जायेगा।

भवदीया,

(राधिका झा) 14/9
सचिव।

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पत्रांक : प्रा०शि०-दो(2)/419(IV)-2020/ 10096 /2021-22 दिनांक: 09 दिसम्बर, 2021


विषय : माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या-1333/एस०एस०/2021 उमेश कुमारी व 07 अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय के सापेक्ष सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जनपद स्तर पर गतिमान सहायक अध्यापक (प्राथमिक) की गतिमान भर्ती प्रक्रिया में बी०एड० प्रशिक्षण के आधार पर केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा-प्रथम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा किये गये आवेदन के सापेक्ष अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में के माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या-1333/एस०एस०/2021 उमेश कुमारी व 07 अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य योजित की गयी हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत याचिका में पारित निर्णय दिनांक 23-10-2021 के सापेक्ष निदेशालय के आदेश संख्या/वि०प्र०-10(2)/421/1333(21)/2021-22 दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्रकरण निर्णित किया गया है।

उपरोक्त के माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड की एकलपीठ द्वारा दिनांक 23-10-2021 को पारित निर्णय तथा तदक्रम में पारित निस्तारण आदेश के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान में जनपद स्तर पर गतिमान सहायक अध्यापक (प्राथमिक) की भर्ती प्रक्रिया में, जनवरी, 2012 से जून, 2018 के मध्य बी०एड० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों द्वारा केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा-प्रथम उत्तीर्ण होने के आधार पर आवेदन किया गया है, ऐसे बी०एड० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का चयन उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के क्रम में होने के फलस्वरूप, उनके आवेदन पत्र का लिफाफा बन्द कर रखा जाय तथा ऐसे अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र कदापि निर्गत न किया जाय। ऐसे अभ्यर्थियों का चयन माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या-2292/एस०एस०/2018 एवं लम्बित अन्य याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

अतः उपरोक्त के क्रम में तदनुसार अवगत होते हुए तत्काल आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(रामकृष्ण उन्मियाल) 09/12/2021
प्र० निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

कार्यालय-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून।
आदेश संख्या-वि०प्र०-10(2)/ 4-2) / 1333(21)/ 2021-22 दिनांक 09 दिसम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका सं०-1333/एस०एस०/2021
उमेश कुमारी व 07 अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित निर्णय
दिनांक 23-10-2021 के अनुपालन में प्रत्यावेदन निस्तारण :-

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-1227/XXIV-A.1/2020-18/2018 शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक), देहरादून दिनांक 09 नवम्बर, 2020 के क्रम में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-पा०शि०-दो(2)/419/2019-9950-53/2020-21 दिनांक 09 नवम्बर, 2021 द्वारा सहायक अध्यापक, प्राथमिक के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष दिनांक 14.12.2018 एच माह मार्च, 2019 में रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विज्ञापित पदों को घटाते हुए अवशेष बैकलॉग के पदों को सम्मिलित करते हुए "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 (यथा संशोधित)" में निहित प्राविधानों के अधीन जनपदों के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, प्राथमिक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जनपदों के जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड को निर्देशित किया गया।

उक्त के अनुपालन में जनपदों के जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 (यथा संशोधित)" में निहित प्राविधानों के अधीन जनपदों के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, प्राथमिक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापितों प्रकाशित की गई, जिसके क्रम में जनपद स्तरों पर सहायक अध्यापक, प्राथमिक के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया गतिमान है।

उमेश कुमारी व 07 अन्य द्वारा जनपद स्तर पर सहायक अध्यापक, प्राथमिक के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया में अमान्य वर्षों में किए गए सी०टी०ई०टी०/यू०टी०ई०टी०-प्रथम (CTET/UTET-1) प्रमाण पत्रों को अवैध करने एवं चयन प्रक्रिया से बाहर किये जाने की प्रार्थना के साथ मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के समक्ष रिट याचिका संख्या-1333/एस.एस./2021 उमेश कुमारी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य योजित की गई, जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23-10-2021 को निर्णय पारित किया गया, जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत है :-

Hence, in that eventuality, without venturing into the merits of the matter, this writ petition is being disposed of with a direction to the respective District Education Officer, of each district, as had been impleaded in the writ petition to take a call on the objection submitted by the petitioner on 02.10.2021, on the issue, which has been raised therein and at the time when the respondent no.3, takes a decision on the same, if so advised and a necessity too arises for the respondents, he may hear the parties also, who are likely to be effected by any decision, which is to be taken on the representation of the petitioners dated 02.10.2021.

It is expected that respondent no.3, would consider the objection which had been taken by the petitioners on 02.10.2021, within a period of four weeks from the date of presentation of the certified copy of the order and would deal with the issue after assigning reasons and hearing the parties concerned.

Subject to the above observations, the writ petition stands disposed of.

(Sharad Kumar Sharma, J.)

23.10.2021.

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.10.2021 के अनुपालन में याची उमेश कुमारी व अन्य 07 याचीगणों को नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निदेशालय के पत्र संख्या-8604-06 दिनांक 12 नवम्बर, 2021 द्वारा दिनांक 20-11-2021 की तिथि निर्धारित की गयी, जिसमें याची उमेश कुमारी व अन्य 07 याचीगणों व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। सम्बन्धितों द्वारा अपना-अपना पक्ष रखा गया। याचीगणों द्वारा प्रकरण में मा०

उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.10.2021 के अनुपालन में विभाग को दिए गए दिनांक 02.10.2021 के प्रत्यावेदन पर कार्यवाही कर अवैध टी0ई0टी0 प्रथम प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन करने वाले अपात्र बी0एड0 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त करने के उपरान्त ही अन्तिम चयन सूची जारी कराने हेतु सम्बन्धित को आदेशित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। याचीगणों द्वारा अपना संयुक्त प्रत्यावेदन दिनांक 20.11.2021 भी उपलब्ध कराया गया।

प्रकरण में सम्बन्धित पक्षकार/उभयपक्षों द्वारा वाद से सम्बन्धित आवश्यक साक्ष्य एवं अभिलेख प्रस्तुत किये गये, जिनका परिशीलन एवं अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों के द्वारा अपने पक्ष में दिये गये मन्तव्यों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों तथा प्रकरण से सम्बन्धित समस्त साक्ष्यों का अध्ययन करने के पश्चात् पाया गया कि राज्य में वर्ष 2014 व 2016 में सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों की पूर्ति बी0एड0+ टी0ई0टी0-प्रथम योग्यताधारी अभ्यर्थियों से किये जाने हेतु निर्गत विज्ञप्तियों के सापेक्ष तत्समय चयन प्रक्रिया में बी0एड0 योग्यताधारी ऐसे अभ्यर्थी जो सी0टी0ई0टी0-प्रथम उत्तीर्ण थे, {चूंकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली (NCTE) द्वारा राज्य के अनुरोध पर अपनी अधिसूचनाओं 17 अक्टूबर, 2012 एवं दिनांक 12 अगस्त, 2014 से क्रमशः दिनांक 31-03-2014 तथा दिनांक 31.03.2016 तक बी0एड0+ टी0ई0टी0-प्रथम उत्तीर्ण अभ्यर्थी सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी}, उनका भी चयन उनके प्रशिक्षण वर्ष की ज्येष्ठता एवं शैक्षिक गुणों की श्रेष्ठता के आधार पर किया गया। उक्तानुसार वर्ष 2014 व 2016 में बी0एड0+ सी0टी0ई0टी0-प्रथम के चयनित अभ्यर्थियों के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में अनेक याचिकाएँ योजित की गई हैं, जिसमें अन्तिम निर्णय अद्यतन लम्बित है। इसी प्रकार सी0टी0ई0टी0-प्रथम प्रमाण पत्रों की वैधता के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0-2292/एस.एस./2018 विनय कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य भी मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष अद्यतन विचाराधीन है।

"उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 (यथा संशोधित नियमावली)" के प्राविधानों के क्रम में वर्तमान में सहायक अध्यापक, प्राथमिक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विज्ञप्तियाँ, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 सम्बन्धित जनपद के स्तर पर प्रकाशित की गई हैं तथा नियुक्तियों हेतु अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही गतिमान है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली (NCTE) द्वारा प्रारम्भिक कक्षाओं (कक्षा I-V) में अध्यापन कराने हेतु अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षिक, प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा-प्रथम के प्राविधानों के आधार पर प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों के सेवाओं का व्यवहरण हेतु प्रख्यापित "उत्तराखण्ड राजकीय प्राथमिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 (यथा संशोधित)" में सीधी भर्ती के पद सहायक अध्यापक, प्राथमिक के पद पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु शैक्षिक, प्रशिक्षण अर्हताओं में द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण/बी0एड0 प्रशिक्षण/डी0एड0 प्रशिक्षण आदि के साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा-प्रथम (उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम/केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा-प्रथम) निर्धारित की गई है। उपरोक्त के क्रम में जनपद स्तर पर प्रकाशित विज्ञप्तियों के सापेक्ष ऐसे बी0एड0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों, जिनके द्वारा वर्ष 2012 से वर्ष जून, 2018 के मध्य केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा-प्रथम प्रमाण पत्र (CTET-I) उत्तीर्ण किया गया है, उनके द्वारा भी आवेदन किया गया है। उक्त में याचीगणों द्वारा अपने प्रत्यावेदन में अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित प्राविधानों के अनुसार उक्त अवधि में केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा-प्रथम प्रमाण पत्र (CTET-I) बी0एड0 प्रशिक्षण मान्य नहीं था।

जनवरी, 2012 से वर्ष जून, 2018 तक की अवधि में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा-प्रथम प्रमाण पत्र (CTET-I) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के माण-पत्रों के सन्दर्भ में प्राप्त शिकायतों के दृष्टिगत निदेशालय के पत्र संख्या-9092 दिनांक 24 नवम्बर, 2021 द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित प्राविधानों के विपरीत वर्ष जनवरी,

20

2012-जून-2018 के मध्य केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा-प्रथम प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थियों के अध्यापक पात्रता प्रमाण पत्र, नियुक्ति हेतु मान्य है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में निदेशक, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रीत विहार, दिल्ली से पृच्छा की गई है।

उक्तानुसार प्रश्नगत याचिका में मा० उच्च न्यायालय की एकल खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.10.2021 के समादर में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड को निर्देशित किया जाता है कि जनपदों के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रकाशित विज्ञप्तियों के सापेक्ष वर्तमान में उक्त चयन प्रक्रिया में वर्ष जनवरी, 2012-जून-2018 के मध्य केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा-प्रथम (CTET-1) उत्तीर्ण प्रमाण पत्रों के आधार पर चयन प्रक्रिया में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन बी०एड० वर्ष की ज्येष्ठता एवं शैक्षिक गुणांकों की श्रेष्ठता के आधार पर होता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी न करते हुए इनका लिफाफा बन्द किया जाए तथा ऐसे अभ्यर्थियों का चयन याचिका सं०-2292/एस.एस./2018 एवं लम्बित अन्य याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयाधीन रहेंगी।

निर्णय

अतः याचीगणों का प्रत्यावेदन उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

मवदीय

(रामकृष्ण उनियाल)

प्रभारी निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पू०सं०/वि०प्र०-10(2)/10065-78 /1333(21)/2021-22 तददिनांकित।

1. रजिस्ट्रार, मा० उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक) उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखड़ा देहरादून।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० उत्तराखण्ड को उपरोक्तानुसार अनुपालन हेतु प्रेषित। (पंजीकृत डाक)
6. उमेश कुमारी, पत्नी श्री परवीन कुमार, R/o ग्राम फरकपुर, पोस्ट, हसनपुर, हरिद्वार। (पंजीकृत डाक)
7. सपना, पत्नी श्री प्रमोद कुमार, R/o ग्राम अकोधा कलां, लक्सर, हरिद्वार। (पंजीकृत डाक)
8. पवन कुमार, पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह, R/o ग्राम मोहनावाला, पोस्ट, खानपुर, हरिद्वार। (पंजीकृत डाक)
9. जयवीर सिंह, पुत्र श्री फूल सिंह, R/o हाऊस नं० 620/1(1207) सैनिक कॉलोनी, रुडकी, हरिद्वार। (पंजीकृत डाक)
10. प्रियंका रानी, पत्नी श्री अमित कुमार, R/o ग्राम शिवदासपुर (यू०आर०एफ०) तेलीवाला, पोस्ट, धनपुरी, हरिद्वार। (पंजीकृत डाक)
11. गौरव कुमार, पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, R/o मौहल्ला शिवपुरी, लक्सर, हरिद्वार। (पंजीकृत डाक)
12. चीनू गर्ग, पुत्र श्री ओमप्रकाश, R/o ग्राम व गोरट रईसी, हरिद्वार। (पंजीकृत डाक)
13. आशीष कुमार, पुत्र श्री आनन्द कृष्णा, R/o वार्ड नं०-04, ग्राम लक्सर, हरिद्वार। (पंजीकृत डाक)
14. कार्यालय पत्रावली।

(रामकृष्ण उनियाल)

प्रभारी निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, पौड़ी

पत्रांक : प्रा०शि०-दो(2)/419(IV)-2020/6036-37 /2021-22 दिनांक: 14 सितम्बर, 2021

विषय : सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या-04 बे०स्था०/3332/नियुक्ति/2021-22 दिनांक 07 सितम्बर, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर दिशा निर्देश चाहा गया है।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि :-

01. उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली-2012 (यथा संशोधित सेवा नियमावली) के प्राविधानों के सापेक्ष भाषा (अंग्रेजी/हिन्दी) में आवेदन करने वाले आवेदक यदि अन्य विषयों से भी स्नातक है, तो उन्हें मानविकी वर्ग के अन्य विषयों में भी सम्मिलित किया जाना उचित होगा।
02. ऐसे अभ्यर्थी जिनका स्नातक में मुख्य परीक्षा में विषय संयोजन नहीं है और उनके द्वारा एकल विषय से भी पृथक से स्नातक उपाधि ली गयी है, तो ऐसी स्थिति में मूल विषयों के स्नातक के प्राप्तांकों व एकल विषय के प्राप्तांकों का औसत निकालकर गणना किया जाना उचित होगा।
03. बैकलॉग के पदों की विज्ञप्ति में भी आरक्षण के नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण दिया जाना होगा।
04. बी०टेक/बी०सी०ए०/बी०फार्मा/बी०बी०ए०/बायो-टैक्नोलॉजी/बी०एस०सी एग्रीकल्चर आदि तकनीकी उपाधि धारक अभ्यर्थी, जिन्होंने बी०एड० की उपाधि प्राप्त की है और उनके द्वारा टी०ई०टी० (प्रथम) परीक्षा भी उत्तीर्ण की गयी है, किन्तु ऐसे योग्यताधारी अभ्यर्थियों के स्नातक स्तर पर विषय संयोजन न होने पर उन्हें डी०एल०एड० प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की भांति बी०एड० प्रवेश परीक्षा के आधार पर विज्ञान/विज्ञानेतर विषयों में नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त के क्रम में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में वांछित दिशा निर्देश के क्रम में तदनुसार अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय
(आर० के० उनियाल)
प्र० निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पु०सं० : प्रा०शि०-दो(2)/419(III)-2020/6036-37

प्रतिलिपि :- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) उत्तराखण्ड (जनपद पौड़ी को छोड़कर) इस आशय से कि सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में उल्लिखित निर्देशों से अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(आर० के० उनियाल)
प्र० निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

प्रेषक,

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पत्रांक : प्रा०शि०-दो(02)/419-2019/9956-53 /2020-21 दिनांक: 09 नवम्बर, 2020

विषय : सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,


उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1227/XXIV-A-1/2020-18/2018 दिनांक 09-11-2020 द्वारा मार्च, 2020 की सूचना के अनुसार सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष दिनांक 14-12-2018 एवं माह मार्च, 2019 में रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विज्ञापित पदों को घटाते हुए अवशेष बैकलॉग के पदों को सम्मिलित करते हुए "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली-2012 (यथासंशोधित)" में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-903/एस०एस०/2019 एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07-10-2020 को पारित अन्तरिम निर्णय के अनुपालन में सहायक अध्यापक, प्राथमिक की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने की अनुमति इस शर्त व प्रतिबंध के अधीन प्रदान की गयी है कि उक्त नियुक्तियाँ माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख नियुक्तियों हेतु जारी होने वाली विज्ञापितियों एवं नियुक्ति पत्रों में अवश्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि सहायक अध्यापक, प्राथमिक के उक्त रिक्त पदों जो जनपदवार विज्ञापित किये जाने की प्रक्रिया को प्रत्येक दशा में 20 नवम्बर, 2020 तक पूर्ण कर लिया जाय।

उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद शासनादेश संख्या-195/XXIV(1)/2014-37/2006 दिनांक 16-10-2014 द्वारा स्वीकृत किये गये है। अतः जनपद अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में आर०टी०ई० मानकानुसार शिक्षकों की आवश्यकता के दृष्टिगत उक्त शासनादेश में सहायक अध्यापक, प्राथमिक के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्ति की गणना करते हुए ही सहायक अध्यापक, प्राथमिक के रिक्त पद विज्ञापित किये जायें। उक्त में यह भी निर्देशित किया जाता है कि सहायक अध्यापक प्राथमिक (उर्दू) के पदों की पूर्ति हेतु विद्यालयों में उर्दू पढ़ने वाले पंजीकृत बच्चों की आवश्यकता के सापेक्ष ही सहायक अध्यापक, प्राथमिक (उर्दू) के पद विज्ञापित किये जायें तथा किसी भी दशा में विज्ञापित पदों की संख्या जनपद अन्तर्गत सहायक अध्यापक प्राथमिक (उर्दू) के कुल स्वीकृत पदों की सीमा से अधिक न हो। यदि विद्यालय में उर्दू पढ़ने वाले बच्चों पंजीकृत न हो, तो उर्दू के पदों को कदापि विज्ञापित न किया जाय।




जनपद स्तर पर सहायक अध्यापक, प्राथमिक के पदों पर नियुक्तियाँ हेतु निर्गत की जाने वाली विज्ञप्तियों में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय कि "माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-903/एस०एस०/2019 एवं अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।" उक्त आशय की अंकना सम्बन्धित विज्ञप्ति के माध्यम से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्रों में अवश्य रूप से उल्लिखित किया जाय।

अतः "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली-2012 (अद्यावधि तक संशोधित)" में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार शासनादेश संख्या-1227 दिनांक 09-11-2020 के अनुपालन में जनपद स्तर पर दिनांक 20-11-2020 तक विज्ञप्ति प्रकाशित कराये जाने हेतु आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। सुलभ संदर्भ हेतु शासनादेश संख्या-1227 दिनांक 09-11-2020 की छायाप्रति संलग्न है।
संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय

(आर० के० कुँवर) 2020
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ०सं० : प्रा०शि०-दो(02)/419-2019/9950-53 /2020-21 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
01. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
03. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।


(आर० के० कुँवर) 2020
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

✓ सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक)

देहरादून : दिनांक: 09 नवम्बर, 2020

विषय : सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक/प्रा०शि०-दो(2)/419-2020/9544/2020-21 दिनांक 02 नवम्बर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु रिक्त पदों के विवरण सहित वर्तमान में "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2019 के प्राविधानानुसार विज्ञप्ति निर्गत किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है।

2- उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मार्च, 2020 की सूचना के अनुसार सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष दिनांक 14.12.2018 एवं माह मार्च, 2019 में रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विज्ञापित पदों को घटाते हुए अवशेष बैकलॉग के पदों को सम्मिलित करते हुये "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली-2012 (यथासंशोधित)" में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार मा. उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-903/एस० एस०/2019 एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07-10-2020 को पारित अन्तरिम निर्णय के अनुपालन में सहायक अध्यापक, प्राथमिक की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने की अनुमति इस शर्त व प्रतिबंध के अधीन प्रदान की जाती है कि उक्त नियुक्तियां मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख नियुक्तियों हेतु जारी होने वाली विज्ञप्तियों एवं नियुक्ति पत्रों में अवश्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3- साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि सहायक अध्यापक, प्राथमिक के उक्त रिक्त पदों को जनपदवार विज्ञापित किये जाने की प्रक्रिया को प्रत्येक दशा में 20 नवम्बर, 2020 तक पूर्ण कर लिया जाय।

भवदीय,

M
(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव

प्रेषक,

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारम्भिक शिक्षा,

चमोली/रूद्रप्रयाग/टिहरी/उत्तरकाशी/हरिद्वार

नैनीताल/अल्मोड़ा/बागेश्वर/चम्पावत/पिथौरागढ़

पत्रांक : प्रा०शि०-दो(02)/148-2018/ ११८१-१२०१/2020-21 दिनांक: २७ अक्टूबर, 2020

विषय : सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में दिनांक 14-12-2018 को प्रख्यापित "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (पंचम संशोधन) सेवा नियमावली, 2018" के क्रम में निदेशालय स्तर से दिनांक 14-12-2018 एवं आपके जनपद स्तर पर, माह फरवरी/मार्च, 2019 को प्रकाशित किये गये विज्ञापितियों के सापेक्ष माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड (नैनीताल) में विभिन्न रिट याचिकायें योजित की गयी, जिसके कारण नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी है।

02- उल्लिखित के क्रम में रिट याचिका संख्या-903/2019 एवं अन्य में दिनांक 07-10-2020 को माननीय न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा अन्तरिम निर्णय पारित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है :-

".....

However, learned counsel for the petitioner submits that the matter requires to be heard and hence the interim order should not be altered.

However, on hearing learned counsels, we are of the considered view that it is far more important that appointment of teachers be made at the earliest point of time.

However, since the litigation is pending adjudication, all such appointments, if any to be made by the State, will be subject to the further orders of this Court.

Hence, ordered accordingly.

Post for hearing in the usual course.

(R.C. Khulbe, J.)

07.10.2020

(Ravi Malimath)

A.C.J. 07.10.2020

03- उपरोक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-1136/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 द्वारा निर्देशित किया गया है कि, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07-10-2020 द्वारा "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (पंचम संशोधन) सेवा नियमावली, 2018" के प्राविधानानुसार विभाग द्वारा निर्गत विज्ञापित के विरुद्ध योजित रिट याचिका संख्या-903/एस०एस०/2019 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 18-06-2019 के क्रम में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के बैकलॉग सहित रिक्त पदों

की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई गई रोक को हटाते हुए भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यद्यपि उक्त भर्ती प्रक्रिया माननीय न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी, ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07-10-2020 के अनुपालन में "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (पंचम संशोधन) सेवा नियमावली, 2018" के प्राविधानानुसार विभाग द्वारा निर्गत विज्ञापित के क्रम में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के बैकलॉग सहित रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने की अनुमति, शासनादेश संख्या-580/XXIV-A-1/2020/18/2018 दिनांक 17-06-2020 को निरस्त करते हुए, इस शर्त व प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की गयी है कि उक्त भर्ती प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में विचाराधीन याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

अतः उपरोक्त के क्रम में निदेशालय स्तर से जारी विज्ञापित दिनांक 14-12-2018 के सापेक्ष जनपद स्तर पर माह फरवरी/मार्च, 2019 में प्रकाशित की गयी विज्ञापितियों के सापेक्ष शासनादेश संख्या-1136 दिनांक 26-10-2020 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुपालन में "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (पंचम संशोधन) सेवा नियमावली, 2018" में निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के विज्ञापित पदों के सापेक्ष नियुक्त प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें। चयन के उपरान्त सम्बन्धित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय कि उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में विचाराधीन रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय

(आर० के० कुँवर) 2020

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

देहरादून

/2020-21 दिनांक उक्तवत्।

पृ०सं० : प्रा०शि०-दो(2)/148-2018/9189-9201

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

02. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून

03. मण्डलीय अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल

(आर० के० कुँवर) 2020

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

देहरादून

WPSS No. 903 of 2019

Hon'ble Ravi Malimath, A.C.J.

Hon'ble R.C. Khulbe, J.

Shri K.P. Upadhyay, learned senior counsel appearing for the petitioner's counsel Shri Hemant Pant.

Shri Paresh Tripathi, learned chief standing counsel for the State of Uttarakhand.

Miscellaneous applications (IA No. 8944 of 2020) and (IA No. 2027 of 2020), along with counter affidavits, are taken on record.

Exemption application (CLMA No. 4085 of 2020) is allowed for the present.

Intervention application (CLMA No. 4931 of 2020) to be taken on record only after defects are cleared.

Miscellaneous application (IA No. 5552 of 2020), along with short counter affidavit, is taken on record.

Urgency application (IA No. 7292 of 2020) is disposed off.

Issue *rule nisi*.

Learned chief standing counsel submits that, in terms of the interim order granted by this Court, the selection of almost 400 teachers has been stalled.

However, learned counsel for the petitioner submits that the matter requires to be heard and hence the interim order should not be altered.

However, on hearing learned counsels, we are of the considered view that it is far more important that appointment of teachers be made at the earliest point of time.

However, since the litigation is pending adjudication, all such appointments, if any to be made by the State, will be subject to the further orders of this Court.

Hence, ordered accordingly.

Post for hearing in the usual course.

(R.C. Khulbe, J.)
07.10.2020

(Ravi Malimath)
A.C.J.
07.10.2020

R.P.

प्रेषक,

आर०भीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक)

देहरादून: दिनांक: 26 अक्टूबर, 2020

विषय- सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-प्रा०शि०-दो(02)/148-2018/8440/2020-21, दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल की खण्डपीठ द्वारा रिट याचिका संख्या-903/एस०एस०/2019 में पारित निर्णय दिनांक 07.10.2020 के अनुपालन में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में है।

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2020 द्वारा "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (पंचम संशोधन) सेवा नियमावली, 2018" के प्राविधानानुसार विभाग द्वारा निर्गत विज्ञप्ति के विरुद्ध योजित रिट याचिका संख्या-903/एस०एस०/2019 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 18.06.2019 के क्रम में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के बैकलॉग सहित रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई गई रोक को हटाते हुए भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यद्यपि उक्त भर्ती प्रक्रिया मा० न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी, ऐसी स्थिति में मा० न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2020 के अनुपालन में "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (पंचम संशोधन) सेवा नियमावली, 2018" के प्राविधानानुसार विभाग द्वारा निर्गत विज्ञप्ति के क्रम में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के बैकलॉग सहित रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने की अनुमति शासनादेश-580/XXIV-A-1/2020/18/2018, दिनांक 17.06.2020 को निरस्त करते हुए, इस शर्त व प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि उक्त भर्ती प्रक्रिया मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में विचाराधीन रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

भवदीय,

(आर० भीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड

पत्रांक : प्रा०शि०-दो(2)/419(2)-2020/ 12030-34 /2020-21 दिनांक: 26 दिसम्बर, 2020
विषय : सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-W 207/XXIV-A-1/2020-18/2018 T.C. दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 द्वारा शासनादेश संख्या-W 206/XXIV-A-1/2020-18/2018 T.C. दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 को संशोधित करते हुए सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों हेतु जनपदवार प्रकाशित विज्ञप्तियों में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या-1546/एस०एस०/2020 एवं रिट याचिका संख्या-379/एस०बी०/2020 में पारित अन्तरिम आदेश क्रमशः दिनांक 28-11-2020 एवं दिनांक 02-12-2020 के अनुपालन में स्नातक में 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त याचीगणों को भी Provisionally रूप से सम्मिलित करने की सशर्त अनुमति प्रदान की गयी है।

02- रिट याचिका संख्या-379/एस०बी०/2020 में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02-12-2020 के अनुपालन में दिनांक 29 जुलाई, 2011 से पूर्व B.Ed./B.El.Ed. कोर्स में प्रवेश हो चुके याचीगणों के साथ-साथ अन्य आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के अतिरिक्त, जिन अभ्यर्थियों द्वारा अभी तक आवेदन नहीं किया गया है, को भी जनपदवार प्रकाशित विज्ञप्तियों में Provisionally रूप से आवेदन करने की अनुमति इस शर्त व प्रतिबंध के अधीन प्रदान की गयी है कि उक्त नियुक्ति प्रक्रिया मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

03- उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-W206/XXIV-A-1/2020-18/2018 T.C. दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 में यह भी निर्देशित किया गया है कि जनपद स्तर पर सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञप्तियों में ऊपरी आयु सीमा में एक बार के लिए छूट अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-420/XXX (2)/2020/30(10)2019 दिनांक 09-12-2020 का भी अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।


अतः उपरोक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-W206/XXIV-A-1/2020-18/2018 T.C. दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 एवं शासनादेश संख्या-W207/XXIV-A-1/2020-18/2018 T.C. दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 की छायाप्रति संलग्न कर आपके सुलभ संदर्भ हेतु इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु जनपद स्तर पर प्रकाशित विज्ञप्तियों में, रिट याचिका संख्या-1546/एस०एस०/



2020 एवं रिट याचिका संख्या-379/एस०बी०/2020 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश क्रमशः दिनांक 28-11-2020 एवं दिनांक 02-12-2020 तथा शासनादेश संख्या-420 दिनांक 09-12-2020 के अनुपालन में सम्बन्धित अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर प्रदान किये जाने हेतु समाचार पत्रों में संशोधित संक्षिप्त विज्ञापित प्रकाशित कराते हुए नियुक्ति/चयन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय को भी अवगत करायें।

संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय


(आर० के० कुँवर) 2020

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ०सं० : प्रा०शि०-दो(2)/419(2)-2020/12030-34 /2020-21 दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून
03. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।


(आर० के० कुँवर) 2020

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

01/

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक)

देहरादून : दिनांक: 17 दिसम्बर, 2020

विषय : रिट याचिका संख्या-1546/एस0एस0/2020 व रिट याचिका संख्या-379/एस0बी0/2020 में पारित अन्तरिम आदेश क्रमशः दिनांक 28-11-2020 व दिनांक 02.12.2020 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-वि0प्र0-10(05)/11622/2020-21 दिनांक 16 दिसम्बर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि सहायक अध्यापक, प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु जनपद स्तर पर प्रकाशित विज्ञप्तियों में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 1546/एस0एस0/2020 एवं रिट याचिका संख्या 379/एस0बी0/2020 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश क्रमशः दिनांक 28-11-2020 एवं दिनांक 02-12-2020 के अनुपालन में स्नातक में 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त याचीगणों को भी Provisionally रूप से सम्मिलित करने तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-420, दिनांक 09-12-2020 के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में एक बार के लिए अनुमन्य की गयी छूट का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-1227/XXIV-A-1/2020-18/2018, दिनांक 09-11-2020 द्वारा सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों को "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2019" के प्राविधानानुसार विज्ञप्ति निर्गत किये जाने की सशर्त अनुमति प्रदान की गयी है।

3- अतएव उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों हेतु जनपद स्तर पर प्रकाशित विज्ञप्तियों में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या-1546/एस0एस0/2020 एवं रिट याचिका संख्या-379/एस0बी0/2020 में पारित अन्तरिम आदेश क्रमशः दिनांक 28-11-2020 एवं दिनांक 02.12.2020 के अनुपालन में स्नातक में 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त याचीगणों को भी Provisionally रूप से सम्मिलित करने की अनुमति इस शर्त व प्रतिबंध के अधीन प्रदान की जाती है कि याचीगणों का नियुक्ति परिणाम मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय तक घोषित न किये जाय एवं उक्त नियुक्ति प्रक्रिया मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4- उक्त के अतिरिक्त जनपद स्तर पर सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञप्तियों में ऊपरी आयु सीमा में एक बार के लिये छूट अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-420/XXX(2)/2020/30(10)2019 दिनांक 09-12-2020 का भी अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक)

देहरादून : दिनांक: 24 दिसम्बर, 2020

विषय : रिट याचिका संख्या-379/एस0बी0/2020 श्री अर्जुन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य
में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.12.2020 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-वि०प्र०-10(05)/379(20)/11736/2020-21 दिनांक 19 दिसम्बर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या-379/एस0बी0/2020 श्री अर्जुन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.12.2020 के क्रम में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु निर्गत जनपदवार विज्ञप्तियों में दिनांक 29.07.2011 से पूर्व B.Ed/B.El.Ed कोर्स में प्रवेश हो चुके याचीगणों के साथ-साथ अन्य आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन को स्वीकार किये जाने अथवा जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, को भी आवेदन करने का अवसर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश चाहे गये हैं।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-W-206/XXIV-A-1/2020-18/2018T.C. दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 द्वारा सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों हेतु जनपदवार प्रकाशित विज्ञप्तियों में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या-1546/एस0एस0/2020 एवं रिट याचिका संख्या-379/एस0बी0/2020 में पारित अन्तरिम आदेश क्रमशः दिनांक 28-11-2020 एवं दिनांक 02.12.2020 के अनुपालन में स्नातक में 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त याचीगणों को Provisionally रूप से सम्मिलित करने की सशर्त अनुमति प्रदान की गयी है।

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या-379/एस0बी0/2020 में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.12.2020 के अनुपालन में दिनांक 29 जुलाई, 2011 से पूर्व B.Ed/B.El.Ed कोर्स में प्रवेश हो चुके याचीगणों के साथ-साथ अन्य आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के अतिरिक्त, जिन अभ्यर्थियों द्वारा अभी तक आवेदन नहीं किया गया है, को भी जनपदवार प्रकाशित विज्ञप्तियों में Provisionally रूप से आवेदन करने की अनुमति इस शर्त व प्रतिबंध के अधीन प्रदान की जाती है कि उक्त नियुक्ति प्रक्रिया मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4- उक्त शासनादेश संख्या-W-206/XXIV-A-1/2020-18/2018 T.C. दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 की अन्य शर्तें/प्रतिबंध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,
(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

41
13-5-20

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग-01(बैसिक)
संख्या-408/XXIV-A-1/2020-36/2016 T.C.
देहरादून: दिनांक : 11 फरवरी, 2020
कार्यालय ज्ञापन

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-27 के अधीन मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 02.12.2019 को आहूत बैठक में प्राप्त संस्तुति विषयक शासनादेश संख्या-420/XXX(2)/19-30(11)/2018, दिनांक 20.12.2019 के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञापन संख्या-1596/XXIV(1)/2016-36/2016, दिनांक 21.11.2016 से आच्छादित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापकों (सूची संलग्न) को गम्भीर बीमारी के आधार (राज्य चिकित्सा परिषद का प्रमाण पत्र/सक्षम चिकित्सा संस्थान), दाम्पत्य नीति (पति-पत्नी), पहाड़ से पहाड़ में तैनाती के आधार पर, विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता के प्रमाण पत्रों के आधार पर, टिहरी बांध से विस्थापन के आधार पर एवं सैना/अर्द्धसैनिक बल में कार्यरत कार्मिकों की पत्नियों जो कि सहायक अध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं, के आधार पर स्थानान्तरित किये जाने की एतद्वारा सहमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1.1) सेवा-2
के कार्मिकों
18/5
15/5

- (1) स्थानान्तरित सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापकों को संवर्ग परिवर्तन की यह सुविधा सम्पूर्ण सेवाकाल में मात्र एक बार प्रदान की जायेगी।
 - (2) स्थानान्तरित किये जा रहे सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापकों को कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
 - (3) दाम्पत्य नीति की सूची में उल्लिखित कार्मिकों के पति या पत्नी के वर्तमान में कार्यरत स्थल का अगर 2019 के उपरान्त के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जायेंगे।
 - (4) उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में विपरीत तथ्य होने पर स्थानान्तरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
 - (5) संवर्ग परिवर्तन होने पर वरिष्ठता के सम्बन्ध में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधान लागू रहेंगे।
 - (6) दाम्पत्य नीति की सूची में उल्लिखित कार्मिकों के पति या पत्नी के राजकीय सेवा/केन्द्र सरकार/केन्द्र सरकार के उपक्रम/राज्य सरकार के उपक्रम में नियमित रूप से कार्यरत होने पर ही स्थानान्तरण मान्य होगा।
 - (7) जिन शिक्षकों द्वारा शासन के पूर्व के आदेश संख्या-659, दिनांक 27.09.2019 के विरुद्ध मा0 न्यायालय में वाद योजित किया गया है, उन प्रकरणों के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के निर्णय के अधीन नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
 - (8) संलग्न सूची में उल्लिखित शिक्षकों को अपने मूल तैनाती स्थल से विधिवत कार्यमुक्त करने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
 - (9) गम्भीर बीमारी की सूची में उल्लिखित कार्मिकों द्वारा जनवरी, 2019 के उपरान्त के चिकित्सा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये गये हैं। उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में विपरीत तथ्य होने पर स्थानान्तरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
 - (10) गम्भीर बीमारी की सूची में उल्लिखित प्रकरण जिनके प्रमाण पत्र जनवरी, 2019 से पूर्व के हैं, के सम्बन्ध में जनवरी, 2019 के बाद के प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये उक्त प्रमाण पत्रों का परीक्षण करने के उपरान्त ही स्थानान्तरण किया जायेगा।
 - (11) दिव्यांग/विकलांग श्रेणी के कार्मिकों द्वारा यदि दिव्यांगता के प्रमाण-पत्रों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की गयी है, उक्त प्रमाण-पत्रों के आधार पर वह कार्मिक स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में इंगित नहीं किया जायेगा तथा संलग्न सूची में उक्त श्रेणी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों का स्थानान्तरण स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 2- उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
संलग्नक सूची

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या-408 / XXIV-A-1/2020-36/2016 T.C. तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- ✓ 2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्त निर्देशों के क्रम में इस आशय से प्रेषित की-उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये संलग्न सूची में उल्लिखित कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य कार्मिकों की कार्यमुक्ति के सम्बन्ध में यथाशीघ्र आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. अपर निदेशक गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।


(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव

सूची

कार्यालय ज्ञाप 1596 के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रथम दृष्टया गम्भीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों की सूची

क्र० सं०	शिक्षक का नाम विद्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु वांछित विकास खण्ड/ जनपद	स्थानान्तरण चाहने का कारण	चिकित्सा प्रमाण पत्र का विवरण	अभ्युक्ति
1	श्रीमती अनुपमा गुप्ताई, स०अ०, रा०प्रा०वि० दुंगरी वि०ख० थलीसेण, पौड़ी	रा०प्रा०वि० बदीपुर, वि०ख० रायपुर देहरादून	स्वयं की निर्मा रोग के दृष्टिगत	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 21.11.19	---
2	श्री सुरेन्द्र कुमार, स०अ०, रा०प्रा०वि० सणकोट नारायणगढ़ चमोली	रा०प्रा०वि० टाण्डा झिडियान ग्रन्ट वि०ख० भगवानपुर, हरिद्वार	पत्नी हृदय रोग से पीड़ित	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 07.11.19	---
3	श्रीमती उषा गौड़, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० गढ़सिर नारायणगढ़ चमोली	रा०उ०प्रा०वि० डोईवाला, देहरादून	स्वयं के फेफड़े संक्रमित टी०बी० होने के दृष्टिगत	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 21.11.19	---
4	श्रीमती दिना सती, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० पिलंग, चमोली	रा०उ०प्रा०वि० शेरगढ़ डोईवाला, देहरादून	स्वयं एवं पिताजी की गम्भीर बीमारी के दृष्टिगत	स्वयं एवं पिताजी का राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 21.11.19	---
5	श्रीमती विद्याजोशी, स०अ०, रा०प्रा०वि० नानी, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़	रा०प्रा०वि० चकजोगीवाला, वि०ख० डोईवाला, देहरादून	स्वयं गम्भीर बीमारी से पीड़ित	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 21.11.19	---
6	श्री जहूर अहमद, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० तेफना वि०ख० कर्णप्रयाग चमोली	रा०उ०प्रा०वि० शेरपुर, देहरादून	स्वयं मानसिक रोग... से पीड़ित होने के दृष्टिगत	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 21.11.19	---
7	श्री नवानी दत्त सेमवाल, स०अ०, रा०प्रा०वि० डांगी बांगर जखोली रुद्रप्रयाग	रा०प्रा०वि० बंजारावाला, रायपुर देहरादून	पत्नी मानसिक रूप एवं बालिका निर्मा रोग पीड़ित होने के दृष्टिगत	पत्नी एवं पुत्री का राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 21.11.2019	---
8	श्री किशोर कुमार जुयाल, स०अ०, रा०प्रा०वि० सुन्दरखाल वि०ख० बीरौखाल, पौड़ी	रा०प्रा०वि० नं०-11 नगर क्षेत्र रुड़की, जनपद हरिद्वार	A Case of lumber canal stenosis. Surgery to be Done	का राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 05.12.2019	---
9	श्री नुकेश शर्मा, स०अ०, रा०प्रा०वि० चौबट्टा पाबौ पौड़ी	रा०प्रा०वि० खड़खडी दयासा वि०ख० रुड़की, हरिद्वार	Right Kidney with normal function. Left kidney is absent (post Ne phrectomy status) Follow up Under Nephrologist.	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 05.12.2019	---
10	श्री सुधा रावत, स०अ०, रा०प्रा०वि० नेवाडीगांजा, वि०ख० आंखलकांडा नैनीताल	रा०प्रा०वि० तुलसीवाला, रायपुर, देहरादून	संसु मां हृदय रोग से पीड़ित	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 05.12.2019	---
11	श्रीमती शशिकला विष्ट, प्र०अ० रा०प्रा०वि० वट्टि रुद्रप्रयाग	रा०प्रा०वि० छरबा, सहसपुर, देहरादून	स्वयं का गुर्दा प्रत्यारोपण के दृष्टिगत	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 21.11.19	---
12	श्री देवीदत्त रणाकोटी, स०अ०, रा०प्रा०वि० पाली, जौनपुर, टिहरी गढ़वाल	रा०प्रा०वि० तिलवाडी, सहसपुर, देहरादून	पिताजी हृदय रोग से पीड़ित	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 05.12.19	---
13	श्री यशवीर सिंह, स०अ०, लेटी क्षेत्र, लोहाघाट, चम्पावत	रा०प्रा०वि० शेरपुर, रुड़की हरिद्वार	भाई के 75 प्रतिशत दिव्यांगता के आधार पर	मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार का प्रमाण-पत्र एवं राजस्व उप निरीक्षक, खानपुर ज्वालपुर का आश्रित का प्रमाण पत्र	---

(Handwritten Signature)

(Handwritten Signature)
(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव

सूची

कार्यालय ज्ञाप 1596 के अन्तर्गत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, सेवा में कार्यरत होने वाले अध्यापकों की सूची				
क्र० सं०	अध्यापक का नाम/ पदनाम/ विद्यालय का नाम	शासन के कार्यालय ज्ञाप 1596 के तहत पदस्थापित विद्यालय/जनपद का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	श्रीमती उषा रावत, प्र०अ०, रा०प्रा०वि० दलवयारी वि०ख० कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल	रा०प्रा०वि० नं०-23, नगर क्षेत्र हरिद्वार	पति की मृत्यु के कारण	मृत्यु प्रमाण-पत्र
2	श्रीमती जगतेश्वरी बहुगुणा स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० रूद्रप्रयाग छिनका	रा०उ०प्रा०वि० जरसोवाला, विकासनगर, देहरादून	पति की मृत्यु के कारण	मृत्यु प्रमाण-पत्र
3	श्रीमती कुसुमलता राणा, स०अ०, रा०प्रा०वि० छतिण्डा बांडियू, द्वारीखाल, पौड़ी	रा०प्रा०वि० सवावाला, विकासनगर, देहरादून	पुत्र की मानसिक रोग से ग्रस्त एवं पति की मृत्यु के कारण	मृत्यु प्रमाण-पत्र
4	श्रीमती मनोरमा विष्ट, स०अ०, रा०प्रा०वि० पौसाडा, वि०ख० देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल	रा०प्रा०वि० लिस्ट्रावाद नवीन वि०ख० डोईवाला, देहरादून	पति की मृत्यु के कारण	मृत्यु प्रमाण-पत्र

कार्यालय ज्ञाप संख्या-1596 के अन्तर्गत पहाड़ से पहाड़ में हुई तैनात अध्यापकों की सूची		
क्र० सं०	अध्यापक का नाम पदनाम कार्यरत विद्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु वांछित विद्यालय/वि०ख० जनपद का नाम
1	श्रीमती बीना रजवार, स०अ०, रा०प्रा०वि० लौसरी, वि०ख० देवाल, जनपद चमोली	रा०प्रा०वि० धानाचूली, नवीन, धारी, नैनीताल

कार्यालय ज्ञाप 1596 के अन्तर्गत पति-पत्नी के आधार पर स्थानान्तरण हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का विवरण (सेना/अद्वैत बल में तैनात कार्मिक) की सूची				
क्र० सं०	अध्यापक का नाम/ पदनाम/ विद्यालय का नाम	शासन के कार्यालय ज्ञाप 1596 के तहत पदस्थापित विद्यालय / वि०ख०/ जनपद का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	श्रीमती रानी देवी, स०अ०, रा०प्रा०वि० चकरखोला, सल्ट अल्मोडा	रा०प्रा०वि० रूपपुर वि०ख० गदरपुर, उधमसिंह नगर	पति भारतीय सुरक्षा पुलिस (बी०एस०एफ०) मैघालय में कार्यरत	कमांडेन्ट आफिसर का प्रमाण-पत्र।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-1596 के अन्तर्गत सहायक अध्यापक के विकास योजनाओं हेतु परिसम्पत्ति अधिग्रहण के आधार पर स्थानान्तरण प्रत्यावेदन				
क्र० सं०	शिक्षक का नाम/पदनाम/ विद्यालय का नाम/ जनपद	स्थानान्तरण हेतु वांछित विद्यालय जनपद का नाम	स्थानान्तरण चाहने का कारण	प्रमाण पत्र (जिस स्तर का जारी किया गया हो)
1.	श्री माधव मोहन चमोली, स०अ० रा०प्रा०वि० बोक्सा दरती साहवनगर, देहरादून	देहरादून	टिहरी बांध से विस्थापित (जनपद देहरादून के भानियावाला में भूमि आवंटित)	उप राजस्व अधिकारी अवस्थापना पुनर्वासि खण्ड ऋषिकेश का विस्थापित होने का प्रमाण-पत्र
2.	श्रीमती उषा डंगवाल, स०अ० रा०प्रा०वि० सेलवाणी, टिहरी	देहरादून	टिहरी बांध से विस्थापित (जनपद देहरादून के वंजारावाला में भूमि आवंटित)	उप राजस्व अधिकारी अवस्थापना पुनर्वासि खण्ड ऋषिकेश का विस्थापित होने का प्रमाण-पत्र

(मदीप जोशी)
संयुक्त सचिव

सूची

कार्यालय ज्ञाप 1596 के अन्तर्गत पति/पत्नी सेवा में कार्यरत होने वाले अध्यापकों की सूची (प्रमाण-पत्र निदेशालय में प्राप्त)					
क्र० सं०	अध्यापक का नाम/पदनाम/कार्यरत विद्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु वांछित विद्यालय/वि०ख०/जनपद का नाम	पति का नाम/कार्यरत स्थल का नाम	प्रमाण पत्र का प्रकार	अभ्युक्ति
1	श्रीमती मंजुला शर्मा, प्र०अ०, रा०प्रा०वि० जखेड वि०ख० देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल	रा०प्रा०वि० इन्दिरागांधी नगर, ऋषिकेश, वि०ख० डोईवाला, देहरादून	पति श्री संजय शर्मा, वरिष्ठ सहायक के पद पर इण्टरमीडिएट कालेज बालावाला, वि०ख० डोईवाला, देहरादून में कार्यरत।	प्रधानाचार्य, इण्टरमीडिएट कालेज बालावाला, वि०ख० डोईवाला, देहरादून	
2	श्रीमती साधना नेगी, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० सुनील जोशीमठ, चमोली	रा०उ०प्रा०वि० 55 राजपुर रोड, देहरादून	स्वयं कैंसर रोग से पीड़ित एवं पति श्री वी०एस० नेगी, सहायक अभियन्ता के पद पर कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून में कार्यरत	अधिशासी अभियन्ता कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून	
3	श्री कृष्ण लाल, स०अ०, रा०प्रा०वि० कपकोट, बागेश्वर	रा०प्रा०वि० टोडा कल्यापुर हरिद्वार	पत्नी श्रीमती संयोगिता कार्यालय अधीक्षक डाकघर, देहरादून के शाखा डाकघर मोहम्मदपुर बुजुर्ग बाया लक्सर जनपद हरिद्वार में कार्यरत	प्रवर अधीक्षक डाकघर देहरादून प्रखण्ड देहरादून का प्रमाण-पत्र	
4	श्री महबूब आलम, स०अ०, रा०प्रा०वि० जिन्सी जौनपुर, टिहरी गढ़वाल	रा०प्रा०वि० मिट्टीबेरी, सहसपुर, देहरादून	पत्नी श्रीमती मीना नाज, कनिष्ठ सहायक के पद पर उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड में कार्यरत है।	निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड का प्रमाण-पत्र	
5	विनीत शास्त्री, स०अ०, रा०प्रा०वि० सेरीबाराकोट विण पिथौरागढ़	रा०प्रा०वि० टेडाघाट, वि०ख० खटीमा, उधमसिंह नगर	श्रीमती पल्लवी कश्यप पत्नी श्री विनीत शास्त्री, राजकीय पॉलीटेक्निक खटीमा, उधमसिंहनगर में कार्यरत	प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक खटीमा, उधमसिंहनगर में कार्यरत	

(प्रदीप जैशी)
संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग-01 (शैक्षिक)
संख्या- /XXIV-A-1/2020-19/2016 T.C. II
देहरादून: दिनांक : 17 अगस्त, 2020

कार्यालय झाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-27 के अधीन मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 02.12.2019 को आहूत बैठक में प्राप्त संस्तुति विषयक शासनादेश संख्या-420/XXX(2)/19-30(11)/2018, दिनांक 20.12.2019 के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय झाप संख्या-1596/XXIV(1)/2016-36/2016, दिनांक 21.11.2016 से आच्छादित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापकों (सूची संलग्न) को गम्भीर बीमारी के आधार (राज्य चिकित्सा परिषद का प्रमाण पत्र/सक्षम चिकित्सा संस्थान), दाम्पत्य नीति (पति-पत्नी), पहाड़ से पहाड़ में तैनाती के आधार पर, विधवा/तलाकशुदा के प्रमाण पत्रों के आधार पर एवं सैन्य/अर्द्धसैनिक बल में कार्यरत कार्मिकों की पत्नियों जो कि सहायक अध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं, के आधार पर स्थानान्तरित किये जाने की एतद्द्वारा सहमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- (1) स्थानान्तरित सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापकों को संवर्ग परिवर्तन की यह सुविधा सम्पूर्ण सेवाकाल में मात्र एक बार प्रदान की जायेगी।
 - (2) स्थानान्तरित किये जा रहे सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापकों को कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
 - (3) दाम्पत्य नीति की सूची में उल्लिखित कार्मिकों के पति या पत्नी के वर्तमान में कार्यरत स्थल का जनवरी, 2020 के उपरान्त के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जायेंगे।
 - (4) उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में विपरीत तथ्य होने पर स्थानान्तरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
 - (5) संवर्ग परिवर्तन होने पर वरिष्ठता के सम्बन्ध में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधान लागू रहेंगे।
 - (6) दाम्पत्य नीति की सूची में उल्लिखित कार्मिकों के पति या पत्नी के राजकीय सेवा/केन्द्र सरकार/केन्द्र सरकार के उपक्रम/राज्य सरकार के उपक्रम में नियमित रूप से कार्यरत होने पर ही स्थानान्तरण मान्य होगा।
 - (7) जिन शिक्षकों द्वारा शासन के पूर्व के आदेश संख्या-659, दिनांक 27.09.2019 के विरुद्ध अथवा अन्य कोई मा0 न्यायालय वाद योजित किया गया है, उन प्रकरणों के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के निर्णय के अधीन नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
 - (8) संलग्न सूची में उल्लिखित शिक्षकों को अपने मूल तैनाती स्थल से विधिवत कार्यमुक्त करने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
 - (9) गम्भीर बीमारी की सूची में उल्लिखित कार्मिकों द्वारा जून, 2019 के उपरान्त के चिकित्सा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये गये हैं। उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में विपरीत तथ्य होने पर स्थानान्तरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
 - (10) गम्भीर बीमारी की सूची में उल्लिखित प्रकरण जिनके प्रमाण पत्र जून, 2019 से पूर्व के हैं, के सम्बन्ध में जून, 2019 के बाद के प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये उक्त प्रमाण पत्रों का परीक्षण करने के उपरान्त ही स्थानान्तरण किया जायेगा।
 - (11) दिव्यांग/विकलांग श्रेणी के कार्मिकों द्वारा यदि दिव्यांगता के प्रमाण-पत्रों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की गयी है, उक्त प्रमाण-पत्रों के आधार पर वह कार्मिक स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में इंगित नहीं किया जायेगा तथा संलग्न सूची में उक्त श्रेणी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों का स्थानान्तरण स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 2- उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक सूची

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या-680 / XXIV-A-1/2020-19/2016 T.C.II तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्त निर्देशों के क्रम में इस आशय से प्रेषित की उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये संलग्न सूची में उल्लिखित कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य कार्मिकों की कार्यमुक्ति के सम्बन्ध में यथाशीघ्र आवश्यक अग्रोत्तर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. अपर निदेशक गढ़वाल मण्डल/कुमाऊ मण्डल, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।


(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव

अभिलेख ज्ञाप संख्या संख्या-684/XXIV-A-1/2020-19/2016 T.C. II दिनांक 7 अगस्त, 2020 का संलग्नक।

क्र. सं.	शिक्षक का नाम/विद्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु वांछित विकास खण्ड/जनपद	स्थानान्तरण का कारण	प्रमाण-पत्र का प्रकार
1.	श्रीमती भारती देवी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 फुलेती वि0ख0 रायपुर, देहरादून	रा0प्रा0वि0 नं0 33 भेल, हरिद्वार	तलाकशुदा	मा0 कुदुम्ब न्यायालय हरिद्वार का आदेश दिनांक 15.02.2020
2.	श्रीमती सुषमा नौटियाल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 दिउली, यमकेरवर, पौड़ी	रा0प्रा0वि0 महमुदनगर, सहसपुर, देहरादून	विधवा	पति का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 01.08.2017
3.	श्रीमती रश्मिरानी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 खाण्डसू पोखरी चमोली	नगर क्षेत्र-3 मगलौर हरिद्वार	दाम्पत्य नीति/पति श्री ओम पाल सिंह सहायक अध्यापक रा0प्रा0वि0 कोटवाल आलमपुर -2 नारसन हरिद्वार में कार्यरत हैं।	उप शिक्षा अधिकारी नारसन, हरिद्वार का प्रमाण-पत्र।
4.	श्री सुलेख चन्द्र, स0अ0, रा0प्रा0वि0 सेकलीधार धारचूला पिथौरागढ़	रा0प्रा0वि0 नं0-10 बहादुराबाद, हरिद्वार	पत्नी का राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 05.12.2019	A case of seizure disorder (epilepsy) caus calcified granuloma brain.
5.	श्रीमती प्रतिभा सक्सेना, स0अ0, रा0प्रा0वि0 कुनीगाड चमोली	रा0प्रा0वि0 गंगापुर पटिया, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर	स्वयं का राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 19.12.2019	Ful of Both lung Tuberculosis taking att from rudrapur needs follow up.
6.	श्रीमती रजनी बिष्ट, स0अ0, रा0प्रा0वि0 सल्डमहादेव नैनीडांडा पौड़ी	रा0प्रा0वि0 ऋषिकेश नं0-2 जोईवाला, देहरादून	पति का राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 16.01.2020	A case of Behavioral disorder Need continuous supervision of psychiatrist
7.	श्रीमती दमयन्ती, मेहता, स0अ0, रा0प्रा0वि0 सैणरौंथी, मुनस्यारी, पिथौरागढ़	रा0प्रा0वि0 बल्लुपुर, नगर क्षेत्र, देहरादून	स्वयं का राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 02.07.2020	A case of Epilepsy Needs Regular follow up Treatment
8.	श्री बीरेन्द्र सिंह, स0अ0, रा0प्रा0वि0 मुकरम वि0ख0 मुनस्यारी, पिथौरागढ़	रा0प्रा0वि0 श्रीकोट डुग्रा, वि0ख0, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	पहाड़ से पहाड़ पर तैनाती के आधार पर	
9.	श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, स0अ0, रा0प्रा0वि0 बालक कण्डियालगांव, प्रताप नगर, टिहरी गढ़वाल।	रा0प्रा0वि0 महमूदनगर, सहसपुर, देहरादून।	पति भारतीय वायुसेना में कार्यरत।	प्रमाण पत्र संलग्न।
10.	श्रीमती सुनीता, उनियाल, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 पेंन्दाससैण नरेन्द्रनगर, टि0ग0	रा0उ0प्रा0वि0 चांदमारी, जोईवाला, देहरादून	दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत। पति श्री ऋषिराम केन्द्रीय सभावाला, देहरादून में कार्यरत।	प्रधानाचार्य, केन्द्रीय विद्यालय नम्बर-1 सभावाला, देहरादून का प्रमाण पत्र।

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग-01(बैसिक)
संख्या- / XXIV-A-1/2020-19/2016 T.C. II
देहरादून: दिनांक : 2 अगस्त, 2020

539
2418

कार्यालय ज्ञाप

1.1.2
कृष्णमोहन

मा. आ. डी. सी.
के. ए. कार्यालय

1.1.2
25/8

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-27 के अधीन मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 02.12.2019 को आहूत बैठक में प्राप्त संस्तुति विषयक शासनादेश संख्या-420/XXX(2)/19-30(11)/2018, दिनांक 20.12.2019 के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1596/XXIV(1)/2016-36/2016, दिनांक 21.11.2016 से आच्छादित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापकों (सूची संलग्न) को दाम्पत्य नीति (पति-पत्नी) एवं परिसम्पत्ति अधिग्रहण के आधार पर स्थानान्तरित किये जाने की एतद्द्वारा सहमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- (1) स्थानान्तरित सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापकों को संवर्ग परिवर्तन की यह सुविधा सम्पूर्ण सेवाकाल में मात्र एक बार प्रदान की जायेगी।
- (2) स्थानान्तरित किये जा रहे सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापकों को कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
- (3) संवर्ग परिवर्तन होने पर वरिष्ठता के सम्बन्ध में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधान लागू रहेंगे।
- (4) विकास योजनाओं हेतु परिसम्पत्ति अधिग्रहण से आच्छादित शिक्षकों द्वारा परिसम्पत्ति अधिग्रहण का सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
- (5) दाम्पत्य नीति से आच्छादित शिक्षकों के द्वारा पति या पत्नी के वर्तमान में कार्यरत स्थल का जनवरी, 2020 के उपरान्त के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (6) दाम्पत्य नीति से आच्छादित शिक्षकों के पति या पत्नी के राजकीय सेवा/केन्द्र सरकार/केन्द्र सरकार के उपक्रम/राज्य सरकार के उपक्रम में नियमित रूप से कार्यरत होने पर ही स्थानान्तरण मान्य होगा।
- (7) जिन शिक्षकों द्वारा शासन के पूर्व के आदेश संख्या-659, दिनांक 27.09.2019 के विरुद्ध उर्ध्वा अन्य कोई मा0 न्यायालय वाद योजित किया गया है, उन प्रकरणों के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के निर्णय के अधीन नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (8) संलग्न सूची में उल्लिखित शिक्षकों को अपने मूल तैनाती स्थल से विधिवत कार्यमुक्त करने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
- (9) उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में विपरीत तथ्य होने पर स्थानान्तरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

2- उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
संलग्नक सूची

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या-663/XXIV-A-1/2020-19/2016 T.C.II तदुद्विनिकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्त निर्देशों के क्रम में इस आशय से प्रेषित की उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये संलग्न सूची में उल्लिखित कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य कार्मिकों की कार्यमुक्ति के सम्बन्ध में यथाशीघ्र आवश्यक अग्रोत्तर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. अपर निदेशक गढ़वाल मण्डल/कुमाऊ मण्डल, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव

2

कार्यालय ज्ञाप संख्या संख्या-663/XXIV-A-1/2020-19/2016 T.C. II दिनांक 2 अगस्त, 2020 का संलग्नक।

क्र० सं०	शिक्षक का नाम/विद्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु वांछित विकास खण्ड/जनपद	स्थानान्तरण का कारण	प्रमाण-पत्र का प्रकार
1.	श्रीमती शिवानी रावत, स०अ०, रा०प्रा०वि० अमानी देवप्रयाग टिहरी	रा०प्रा०वि० लच्छीवाला, वि०ख० डोईवाला, देहरादून	विकास योजना हेतु परिसम्पत्ति अधिग्रहण	उप जिलाधिकारी, श्रीनगर का प्रमाण-पत्र।
2.	श्री आशुतोष बड़ोनी, स०अ० जनपद पिथौरागढ़।	रा०प्रा०वि० संगतियावाला, डोईवाला, देहरादून	टिहरी बांध से विस्थापित	जुब क्षेत्र का प्रमाण पत्र संलग्न है।
3.	श्रीमती वीणा खण्डूडी, स०अ० रा०क०उ० प्रा०वि० ज्युंदासू, वि०ख० थोलाधार, टिहरी	रा०उ०प्रा० वि० माजरी माफी, डोईवाला, देहरादून	टिहरी बांध से विस्थापित	कृते पुनर्वास निदेशक, टिहरी बांध परियोजना, टिहरी गढ़वाल का प्रमाण पत्र दिनांक 15.07.1989
4.	श्रीमती वन्दना गुप्ता, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० घेना वि०ख० जौनपुर, टिहरी गढ़वाल	रा०उ०प्रा०वि० जूडली वि०ख० विकासनगर, देहरादून	दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत। पति श्री आशीष गुप्ता, भारतीय जीवन बीमा निगम, न्यू कर्नाट प्लेस, चकराता रोड, देहरादून में स्थायी पद पर कार्यरत।	प्रबन्धक भारतीय जीवन बीमा निगम, देहरादून का प्रमाण पत्र।




(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव

709
8-10-20

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग-01(बेसिक)

संख्या: /XXIV-A-1/2020-08/2019 T.C. I

देहरादून: दिनांक : 07 सितम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

D.1 सेवा-2

कृ. कार्यालय

01x

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-27 के अधीन मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति विषयक शासनादेश संख्या-292/XXX(2)/2020/30(13)/2017, दिनांक 23 सितम्बर, 2020 एवं शासनादेश संख्या-301/XXX(2)/2020/30(13)/2017 टी0सी0, दिनांक 23 सितम्बर, 2020 के क्रम में सक्षम स्तर के प्रमाण-पत्रों एवं इंगित अपरिहार्यता के आधार पर राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापकों (सूची संलग्न) को स्थानान्तरित किये जाने की एतद्द्वारा सहमति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- (1) स्वास्थ्य, दाम्पत्य नीति, बाढ़ प्रभावित एवं अन्य कारणों से चाहे गये संवर्ग परिवर्तन संबंधी प्रकरणों में सम्बन्धित कार्मिक का इच्छित स्थान पर संवर्ग परिवर्तन सम्पूर्ण सेवाकाल में केवल एक बार हेतु अनुमन्य होगा।
- (2) दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत चाहें गये संवर्ग परिवर्तन के प्रकरणों में पति-पत्नी का अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरण हो जाने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक के द्वारा पुनः पति/पत्नी के आधार पर संवर्ग परिवर्तन हेतु आवेदन दिये जाने पर उक्त आवेदन पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।
- (3) सम्बन्धित कार्मिकों से इस आशय का प्रमाण-पत्र/सहमति प्राप्त होने, कि उनके द्वारा पुनः संवर्ग परिवर्तन हेतु किसी भी दशा में अनुरोध नहीं किया जायेगा, के उपरान्त ही स्थानान्तरण संबंधी कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।
- (4) संलग्न सूची में उल्लिखित कार्मिकों को पद रिक्त होने की दशा में ही वांछित स्थानों अथवा वांछित स्थल के निकटवर्ती स्थानों में तैनाती दिये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।
- (5) संलग्न सूची में उल्लिखित कार्मिकों के स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (2)(क) व (ख) का यथोचित परीक्षणोंपरान्त किये जायेंगे एवं समूह-ग के अन्तर्गत आने वाले कार्मिकों की तैनाती के सम्बन्ध में अधिनियम, 2017 की धारा-17 (ख) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) स्थानान्तरित किये जा रहे सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापकों को कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
- (7) सूची में उल्लिखित कार्मिकों द्वारा सितम्बर, 2019 के बाद के चिकित्सा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जायेंगे। उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में विपरीत तथ्य होने पर स्थानान्तरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- (8) संवर्ग परिवर्तन होने पर वरिष्ठता के सम्बन्ध में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधान लागू रहेंगे।
- (9) सूची में उल्लिखित दाम्पत्य नीति एवं सैना/अर्द्धसैनिक बल में कार्यरत कार्मिकों की पत्नी शिक्षिकाओं, को पति या पत्नी के वर्तमान में कार्यरत स्थल का जनवरी, 2020 के उपरान्त के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (10) इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-292/XXX(2)/2020/30(30)/2017 दिनांक 23 सितम्बर, 2020 एवं शासनादेश संख्या-301/XXX(2)/2020/30(13)/2017 टी0सी0 दिनांक 23 सितम्बर, 2020 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
संलग्नक सूची

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या- 922 / XXIV-A-1/2020-08/2019T.C.I तद्विनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्त निर्देशों के क्रम में अप्रत्यक्ष कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अपर निदेशक गढ़वाल मण्डल/कुमाऊ मण्डल, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
4. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।


(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव

कार्यालय ज्ञाप संख्या- 922 / XXIV-A-1/2019-08/2019T.C.1, दिनांक 07 अक्टूबर 2020 की संलग्न सूची

क्र० सं०	शिक्षक का नाम/पदनाम एवं वर्तमान तैनाती	स्थानांतरित जनपद/विद्यालय का नाम
1.	श्रीमती सुशीला जोषाल, स0अ0 रा0प्रा0वि0 डाबरी वि0ख0 रिखणीखाल, पीडी	जनपद देहरादून
2.	श्री अनिल कुमार पुन्च, स0अ0 (मिडान) रा0उ0प्रा0वि0 गढसिर वि0ख0 देरीनाम विथौरगढ़	जनपद नैनीताल
3.	श्रीमती आशा जोशी, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 श्रीमती आशा जोशी, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 सिमलागढ़ वि0ख0 कसकोट बामेश्वर	जनपद नैनीताल
4.	श्री परमान अली, स0अ0, रा0प्रा0वि0 लकखनवाला, वि0ख0 विकासनगर, देहरादून	जनपद हरिद्वार
5.	श्रीमती रोजी बत्रा, स0अ0, रा0प्रा0वि0 विचोन वि0ख0 स्वाल्डे अल्नोडा	जनपद उधमसिंहनगर
6.	श्रीमती विजय जुयाल, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 डाँड, वि0ख0 बीरोखाल, पीडी गढवाल	जनपद देहरादून
7.	श्रीमती इन्दु नागन्याल प्र0अ0 रा0प्रा0वि0 रूनागांव भीमताल नैनीताल	जनपद उधमसिंहनगर
8.	श्रीमती अनिता अन्धवाल, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 चाका वि0ख0 जखौली, रुद्रप्रयाग	जनपद देहरादून (10000प्रा0वि0 परेड ग्राउण्ड, देहरादून के कार्यरत श्रीमती सवित्री स0अ0 के दिनांक 30 सितम्बर, 2020 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उक्त पद पर श्रीमती अन्धवाल को तैनाती प्रदान किये जाने की संसृष्टि की गयी है)
9.	श्रीमती पूनम नेगी, सहायक अध्यापिका रा0प्रा0वि0 गिरसा पोखरी चमौली	जनपद देहरादून
10.	श्रीमती सीमा रावत, स0अ0, रा0प्रा0वि0 दोमो वि0ख0 मिलांना, टिहरी गढवाल	जनपद देहरादून
11.	श्रीमती ललिता गोस्वामी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 लेग, देरीनाम, विथौरगढ़	जनपद नैनीताल
12.	श्रीमती उर्वशी नोटियाल, स0अ0, रा0क0उ0प्रा0वि0 सारीगाढ़ वि0ख0 नौगांव जिला उत्तरकाशी।	जनपद देहरादून
13.	श्रीमती विमला रावत, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 सिन्दवाणी कर्णप्रयाग, चमौली	जनपद देहरादून
14.	श्री नीलम बिष्ट, स0अ0, रा0प्रा0वि0 स्वाडू, वि0ख0 कोट जिला पीडी गढवाल	जनपद देहरादून

(प्रदीप जोशी)
सहायक सचिव

2011.11.05.121

उत्तराखण्ड शासन

शिक्षा अनुभाग-01(बालिक)

संख्या- /XXIV-A-1/2020-19/2016 T.C.I

देहरादून: दिनांक : 17-नवम्बर, 2020

काशीवालय शोध

उत्तराखण्ड लोक सेवाओं के लिए बालिक स्थानान्तरण अभिनियम-2017 की धारा-27 के अधीन मुख्य

शोध, उत्तराखण्ड शासन की अख्यता में गठित समिति की दिनांक 02.12.2019 की आदेश बैठक में प्राप्त

संशुद्धि विषयक शासनादेश संख्या-420/XXIV(2)/19-30(11)/2018, दिनांक 20.12.2019 के क्रम में

उत्तराखण्ड शासन के काशीवालय शोध संख्या-1596/XXIV(1)/2016-36/2016, दिनांक 21.11.2016 से

आख्यादेव राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में काशीवालय शोध संख्या/प्रधानाचार्यको (सूची

संलग्न) की गणेश्वर शीत (पति-पत्नी) एवं परिवारपति अधिग्रहण के आधारे पर स्थानान्तरित

किये जाने की एतद्वारा संशुद्धि निम्नलिखित प्रतिबंधों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) स्थानान्तरित सहायक अध्यापक/प्रधानाचार्यको की संदर्भ परिवर्तन की यह सुविधा सम्पूर्ण सेवाकाल में

मात्र एक बार प्रदान की जायेगी।

(2) स्थानान्तरित किये जा रहे सहायक अध्यापक/प्रधानाचार्यको की कोई धारणा अत्यन्त नहीं

होगी।

(3) संदर्भ परिवर्तन होने पर वार्षिक स्थानान्तरण अभिनियम, 2017 के प्रावधान

बर्ण रहेंगे।

(4) गणेश्वर शीत की सूची में उल्लिखित कार्यको द्वारा अक्टूबर, 2019 के उपरान्त के विरक्तता प्रमाण

पत्र उपलब्ध कराये गये हैं। उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में विपरीत तथ्य होने पर

स्थानान्तरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(5) विकास योजनाओं हेतु परिवारपति अधिग्रहण से आख्यादेव शिक्षको द्वारा परिवारपति अधिग्रहण का

समय स्तर का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) दाम्पत्य नीति से आख्यादेव शिक्षको के द्वारा पति या पत्नी के वर्तमान में काशीवालय स्थल का जनवरी,

2020 के उपरान्त के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जायेंगे।

(7) दाम्पत्य नीति से आख्यादेव शिक्षको के पति या पत्नी के राजकीय सेवा/कर्म सरकार/कर्म सरकार

के उपक्रम/राज्य सरकार के उपक्रम में नियमित रूप से कार्यरत होने पर ही स्थानान्तरण मान्य

होगी।

(8) दिन शिक्षको द्वारा शासन के पूर्व के आदेश संख्या-659, दिनांक 27.09.2019 के तिरुद्ध अथवा अन्य

कोई मा0 न्यायालय वार योजित किया गया है, उन प्रकरणों के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के निर्णय

के अधीन नियमानुसार काशीवाली की जायेगी।

(9) संलग्न सूची में उल्लिखित शिक्षको की अपने मूल तैनाती स्थल से विधिवत कार्यभार करने की

काशीवाली अमल में तैनाती जायेगी।

(10) उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में विपरीत तथ्य होने पर स्थानान्तरण स्वतः निरस्त समझा

जायेगा।

2- उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक सूची

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम)

शोध

संख्या-1132/XXIV-A-1/2020-19/2016 T.C.I तद्विनाशित

प्रतिष्ठित निम्नलिखित की सुनवाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रति की उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संलग्न सूची में उल्लिखित

कार्यको के आतिरिक्त अन्य कार्यको की कार्यभार के सम्बन्ध में यथाशीघ्र आवश्यक आदेश कार्यवाही

किया जाना सुनिश्चित करें।

3. उपर निदेशक काशीवालय मंडल/कामाऊ मंडल, प्राथमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

4. सम्बन्धित वरिष्ठ कार्यवाही/काशीवाली, उत्तराखण्ड।

5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/विभा. शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

6. गाई कंडल।

(प्रदीप शर्मा)

सहायक शोध

(Handwritten signature)

885
20-11-20

(Handwritten notes and signatures)

काशीय शोध संस्था संख्या:- 1132/XXIV-A-1/20-19/2016 T.C.I दिनांक 17 नवंबर, 2020 का संश्लेषक।

क्र	शिक्षक का नाम	स्थानांतरण हेतु मॉडल	विकल्प खण्ड/पत्रांक	स्थानांतरण का कारण	प्रमाण-पत्र का प्रकार
1.	श्री सुमित कुमार, १०३१० १०४१० १०४१० देवप्रयाग टिहरी	श्रीमती निरमा शर्मा, १०४१०, १०४१० वाराणसी अलीहा	१०४१० वाराणसी	निरासी की शिक्षा खरा के आधार पर। प्रमाण पत्र में A case of coronary artery disease (R CA) coronary angioplasty done in march needs regular check up. शारीरी विलंबित है।	यस्य शिक्षा परिवर्तन हेतु प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 02.07.2020।
2.	श्रीमती निरमा शर्मा, १०४१०, १०४१० वाराणसी अलीहा	१०४१० वाराणसी	१०४१० वाराणसी	रखी शारीरी। प्रमाण पत्र में A case of depressive Disorder but at present Mental function normal-continual treatment शारीरी विलंबित है।	यस्य शिक्षा परिवर्तन हेतु प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 20.08.2020।
3.	श्री सुभाष चन्द रंजी, १०३१०, १०४१० कोशीखंड, पुरीखारा	१०४१० वाराणसी	१०४१० वाराणसी	परिणामिता अधिग्रहण (ग्राम क्षेत्र) पर, वनस्पती, वन देवप्रयाग, दिनांक 1511 लॉजिस्टिक के खसरा मार्ग आदि से अधिग्रहित नदेवप्रयाग मार्ग आदि से अधिग्रहित किया गया।	उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 26.08.2020।
4.	श्रीमती चर्क, १०३१० १०४१० वाराणसी, पुरीखारा	१०४१० नगर क्षेत्र-33 वाराणसी टिहरी।	१०४१० नगर क्षेत्र-33 वाराणसी टिहरी।	पति श्री प्रदीप कुमार, उत्तराखण्ड में कार्यरत।	उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 26.08.2020।

(प्रदीप कुमार)
संयोजक संश्लेषक

प्रदीप जोशी
संयुक्त सचिव

6. गाई फाइल।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कृमाऊ मण्डल, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
में यथाशीघ्र आवश्यक अर्थात्तर कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें।
- संलग्न सूची में उल्लिखित कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य कार्मिकों की कार्यभारभार के सम्बन्ध
इस आशय से प्रेषित की जत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हूँ।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्त निर्देशों के क्रम में
1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या:- 61/0 / XXIV-A-1/2021-06/2021 तद्विनाशिक
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

संख्या: 138 / XXX(2) / 20 / 30(13) / 2017

प्रेषक,

ओम प्रकाश
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी)/अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाँऊ मण्डल/समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक १५ मई, 2021

विषय: वर्ष 2021-22 में वार्षिक स्थानान्तरण सत्र को शून्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये जाने की व्यवस्था की गई है। इस सन्दर्भ में वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु शासनादेश संख्या-44(1)XXX-2/2021/30(11)2018 दिनांक 19.02.2021 द्वारा वित्तीय दृष्टिकोण से प्रत्येक संवर्ग के 10 प्रतिशत अथवा चुनावी आचार संहिता के अनुरूप वांछित स्थानान्तरण किये जाने के निर्देश दिये गये थे। वर्तमान में राज्य में कोविड-19 के संक्रमण में अप्रत्याशित वृद्धि होने के दृष्टिगत राज्य के अधिकांश जिले कोविड कर्फ्यू की स्थिति में है। उपरोक्त परिस्थिति में राज्य की आर्थिक गतिविधियां बन्द होने के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कोविड-19 महामारी घोषित है, ऐसी दशा में कार्मिकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा आदि किये जाने पर संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहेगी।

2- अतः कार्मिक विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 19.02.2021 को अतिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन सेवाओं में स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधान लागू हैं, उन सेवाओं हेतु (निर्वाचन आचार संहिता एवं प्रशासनिक कारणों को छोड़कर) वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2021-22 को शून्य किया जाता है।

.....2

3- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि स्थानान्तरण अधिनियम से आच्छादित किसी अधिकारी/कर्मचारी अथवा विभाग को किसी प्रकार की कठिनाई होने पर अधिनियम में की गयी व्यवस्था के अनुरूप धारा-27 के अन्तर्गत उक्त कठिनाईयों के निराकरण हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव स्थानान्तरण समिति के विचारार्थ कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराया जा सकता है।

भवदीय
Anshu Prakash
(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव।

संख्या: / XXX(2)/20/30(13)/2017 तददिनांक

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर। गाई फाईल।

आज्ञा से,
/ *(राधा रतूड़ी)*
अपर मुख्य सचिव

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून

सेवा में,

1. अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा
गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल
2. जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रारम्भिक शिक्षा) उत्तराखण्ड

पत्रांक: प्रा०शि०-दो(02)/193(II)-2019/1399-1401 /2020-21 दिनांक 23 जून, 2021

विषय : वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-138/XXX(2)/20/30 (13)/2017 दिनांक 24 मई, 2021 द्वारा वर्ष 2021-22 में लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु स्थानान्तरण की कार्यवाही राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के अप्रत्याशित वृद्धि होने के दृष्टिगत कार्मिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा आदि किये जाने पर संक्रमण फैलने की आशंका के कारण शासनादेश संख्या-44/XXX(2)/2021-3 (11)/2018 दिनांक 19 फरवरी, 2021 को अतिक्रमित करते हुए वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2021-22 को शून्य घोषित किया गया है।

अतः शासनादेश संख्या-138/XXX(2)/20-30(13)/2017 दिनांक 24 मई, 2021 की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।
संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय

(वी० एस० रावत)
अपर निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पु०सं० : प्रा०शि०-दो(02)/193(II)-2019/1399-1401 /2020-21 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01- सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।

(वी० एस० रावत)
अपर निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग-01 (बेसिक)
संख्या:- / XXIV-A-1/2021-07/2021
देहरादून: दिनांक : 19 जून, 2021
कार्यालय झाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-27 के अधीन मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति विषयक शासनादेश संख्या-131/XXX(2)/2021/30 (13) 2017, दिनांक 23 जून, 2021 के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय झाप संख्या-1596/XXIV(1)/2016-36/2016, दिनांक 21.11.2016 से आच्छादित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापकों हेतु निम्नवत् संस्तुति की गयी है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम एवं वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरण समिति की संस्तुति/निर्णय
1.	श्री राकेश कुमार, स०अ०, रा०प्रा०वि० तिमाडी, वि०ख० गंगोलीहाट, पिथौरागढ़	वरिष्ठ कार्मिक होने के दृष्टिगत रा०प्रा०वि० नं०-5 मंगलौर वि०ख० नारसन, हरिद्वार में एक बार हेतु यथावत बने रहने की संस्तुति की गयी है।
2.	श्री जवाहर लाल, स०अ०, रा०प्रा०वि० धौलो दवी, अल्मोडा।	वरिष्ठ कार्मिक होने के दृष्टिगत रा०प्रा०वि०कान्हापुर, रुड़की, हरिद्वार में एक बार हेतु यथावत बने रहने की संस्तुति की गयी है।
3.	श्रीमती बीना चमोली, स०अ०, रा०प्रा०वि०, कथूली, नवीन, टिहरी गढ़वाल।	वरिष्ठ कार्मिक होने के दृष्टिगत रा०प्रा०वि० न०-28 देवपुरा, हरिद्वार में एक बार हेतु यथावत बने रहने की संस्तुति की गयी है।
4.	श्री राजकुमार, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० देवलखेत, वि०ख०गरुड, बागेश्वर।	वरिष्ठ कार्मिक होने के दृष्टिगत रा०उ०प्रा०वि०सीमली वि०ख०लक्सर, हरिद्वार में एक बार हेतु यथावत बने रहने की संस्तुति की गयी है।
5.	श्री जितेन्द्र कुमार, स०अ०रा०प्रा०वि० कीमू, गोमिना, बागेश्वर।	वरिष्ठ कार्मिक होने के दृष्टिगत रा०प्रा०वि० खेड़ली, जनपद हरिद्वार में एक बार हेतु यथावत बने रहने की संस्तुति की गयी है।
6.	श्री महेश्वर सिंह, स०अ०, रा०प्रा०वि० बहिलकोट, पिथौरागढ़।	वरिष्ठ कार्मिक होने के दृष्टिगत रा०प्रा०वि० न०-14, रुड़की, हरिद्वार में एक बार हेतु यथावत बने रहने की संस्तुति की गयी है।
7.	श्री रमेश चन्द्र डोभाल, प्र०अ०, रा०उ०प्रा०वि० गिरगांव पौडी गढ़वाल।	वरिष्ठ कार्मिक होने के दृष्टिगत रा०उ०मा०वि० माजरी माफी, डोईवाला, देहरादून में एक बार हेतु यथावत बने रहने की संस्तुति की गयी है।
8.	श्री नैमपाल सिंह, प्र०अ० रा०प्रा०वि० सिर रवाडी, सल्ट, अल्मोडा।	वरिष्ठ कार्मिक होने के दृष्टिगत रा०प्रा०वि०नम्बर-11 नगर क्षेत्र हरिद्वार में एक बार हेतु यथावत बने रहने की संस्तुति की गयी है।

2- अतएव कार्मिक विभाग द्वारा प्रदत्त संस्तुति के क्रम में उपरोक्त तालिका में अंकित शिक्षकों को स्थानान्तरित/यथावत किये जाने की एतद्वारा निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहमति प्रदान की जाती है:-

- (1) स्थानान्तरित शिक्षकों को संवर्ग परिवर्तन की यह सुविधा सम्पूर्ण सेवाकाल में मात्र एक बार प्रदान की जायेगी।
- (2) उपरोक्त स्थानान्तरित किये जा रहे शिक्षकों को कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।



- (3) संवर्ग परिवर्तन होने पर वरिष्ठता के सम्बन्ध में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधान लागू रहेंगे।
- (4) उपरोक्त तालिका में अंकित शिक्षकों को अपने मूल तैनाती स्थल से विधिवत कार्यमुक्त करने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
- (5) उपलब्ध कराये गये प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में विपरीत तथ्य होने पर स्थानान्तरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- (6) संलग्न सूची में उल्लिखित कार्मिकों के स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (2)(क) व (ख) का यथोचित परीक्षणोंपरान्त किये जायेंगे एवं समूह-ग के अन्तर्गत आने वाले कार्मिकों की तैनाती के सम्बन्ध में अधिनियम, 2017 की धारा-17 (ख) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-131/XXX(2)/2021/30 (13) 2017, दिनांक 23 जून, 2021 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या:- 901 / XXIV-A-1/2021-07/2021 तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्त निर्देशों के क्रम में इस आशय से प्रेषित की उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
3. अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव

268
29-6-21

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग-01(बैसिक)

संख्या:- /XXIV-A-1/2021-07/2021 T.C.

देहरादून: दिनांक : 24 जून, 2021

कार्यालय ज्ञाप

29/6

21/5/21
22
DD
28/6/2021

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-27 के अधीन मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 02.12.2019 को आहूत बैठक में प्राप्त संस्तुति विषयक शासनादेश संख्या-420/XXX(2)/19-30(11)/2018, दिनांक 20.12.2019 के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1596/XXIV(1)/2016-36/2016, दिनांक 21.11.2016 से आच्छादित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक (सूची संलग्न) को गम्भीर बीमारी, दिव्यांगता एवं परिसम्पत्ति अधिग्रहण के आधार पर स्थानान्तरित किये जाने की एतद्द्वारा सहमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- (1) स्थानान्तरित सहायक अध्यापक को संवर्ग परिवर्तन की यह सुविधा सम्पूर्ण सेवाकाल में मात्र एक बार प्रदान की जायेगी।
 - (2) स्थानान्तरित किये जा रहे सहायक अध्यापक को कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
 - (3) संवर्ग परिवर्तन होने पर वरिष्ठता के सम्बन्ध में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधान लागू रहेंगे।
 - (4) गम्भीर बीमारी एवं दिव्यांगता के आधार पर संलग्न सूची में उल्लिखित शिक्षकों द्वारा सक्षम स्तर का चिकित्सा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में विपरीत तथ्य होने पर स्थानान्तरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
 - (5) विकास योजनाओं हेतु परिसम्पत्ति अधिग्रहण से आच्छादित संलग्न सूची में उल्लिखित शिक्षकों द्वारा परिसम्पत्ति अधिग्रहण का सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में विपरीत तथ्य होने पर स्थानान्तरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
 - (6) जिन शिक्षकों द्वारा कार्यालय ज्ञाप-1596 दिनांक 21.11.2016 के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत आदेशों के विरुद्ध अथवा अन्य कोई मा0 न्यायालय वाद योजित किया गया है, उन प्रकरणों के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के निर्णय के अधीन नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
 - (7) संलग्न सूची में उल्लिखित शिक्षकों को अपने मूल तैनाती स्थल से विधिवत कार्यमुक्त करने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
 - (8) इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-420/XXX(2)/19-30(11)/2018, दिनांक 20.12.2019 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
संलग्नक सूची

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या:- 890 / XXIV-A-1/2021-07/2021 T.C. तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- ✓ 2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्त निर्देशों के क्रम में इस आशय से प्रेषित की उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये संलग्न सूची में उल्लिखित कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य कार्मिकों की कार्यमुक्ति के सम्बन्ध में यथाशीघ्र आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।


(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव

कार्यालय ज्ञाप संख्या संख्या:- 890/XXIV-A-1/2021-07/2021 T.C. दिनांक 24 जून, 2021 का संलग्नक।

क्र० सं०	शिक्षक का नाम/ विद्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु वांछित विकास खण्ड/जनपद	स्थानान्तरण का कारण	प्रमाण-पत्र का प्रकार
1.	श्रीमती मालती शाह, प्र०अ०, रा०प्रा०वि० चिडबी, रूद्रप्रयाग	रा०प्रा०वि० खुशहालपुर, वि०ख० सहसपुर, देहरादून।	पति Operated case of pituitary microadenoma. बीमारी से पीड़ित।	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र।
2.	श्रीमती हेमलता सिरस्वाल, स०अ० रा०क०उ०प्रा०वि० असेड, नारायणबगड, चमोली।	रा०प्रा०वि० छिनकी वि०ख० खटीमा, उधमसिंहनगर।	पति Epilepsy (Seizure disorder) Needs regular medication. बीमारी से पीड़ित।	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र।
3.	श्रीमती अनीता वर्मा, स०अ०, रा०प्रा०वि० पैय्या, यमकेश्वर पौडी गढ़वाल।	रा०प्रा०वि० ऋषिकेश नगर क्षेत्र-09 जनपद देहरादून	पति A case of Prostatomegal Needs Surgical treatment. बीमारी से पीड़ित।	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र।
4.	श्रीमती रंजना ठकुराठी, स०अ० रा०प्रा०वि० चौना, वि०ख० ताडीखेत, अल्मोड़ा।	रा०प्रा०वि० छिनकी वि०ख० खटीमा, उधमसिंहनगर।	परिसम्पत्ति अधिग्रहण।	तहसीलदार देवलथल, पिथौरागढ़ का प्रमाण पत्र।
5.	श्री संजय सिंह सामान्त, स०अ०, रा०प्रा०वि० लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	रा०प्रा०वि० नं०-19 रूड़की, हरिद्वार।	माता जी की 45 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार का प्रमाण पत्र।
6.	श्री देवेन्द्र दत्त, स०अ०, रा०प्रा०वि० बूरा, वि०ख० घाट, चमोली।	रा०प्रा०वि० फतेहपुर, वि०ख० विकासनगर, देहरादून।	परिसम्पत्ति अधिग्रहण।	उप जिलाधिकारी कालसी/चक०/त्यूनी का प्रमाण पत्र।


 प्रदीप जोशी
 संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग-01
संख्या:- /XXIV-A-1/2021-07/2021
देहरादून: दिनांक : 29 अक्टूबर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-27 के अधीन मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 02.12.2019 को आहूत बैठक में प्राप्त संस्तुति विषयक शासनादेश संख्या-420/XXX(2)/19-30(11)/2018, दिनांक 20.12.2019 के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1596/XXIV(1)/2016-36/2016, दिनांक 21.11.2016 से आच्छादित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक (सूची संलग्न) को गम्भीर बीमारी एवं तलाकशुदा के प्रमाण पत्र के आधार पर स्थानान्तरित किये जाने की एतद्वारा सहमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- (1) स्थानान्तरित सहायक अध्यापक को संवर्ग परिवर्तन की यह सुविधा सम्पूर्ण सेवाकाल में मात्र एक बार प्रदान की जायेगी।
 - (2) स्थानान्तरित किये जा रहे सहायक अध्यापक को कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
 - (3) संवर्ग परिवर्तन होने पर वरिष्ठता के सम्बन्ध में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधान लागू रहेंगे।
 - (4) गम्भीर बीमारी एवं तलाकशुदा के आधार पर संलग्न सूची में उल्लिखित शिक्षकों द्वारा सक्षम स्तर का चिकित्सा प्रमाण पत्र/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। संलग्न सूची में उल्लिखित शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में विपरीत तथ्य होने पर स्थानान्तरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
 - (5) जिन शिक्षकों द्वारा कार्यालय ज्ञाप-1596 दिनांक 21.11.2016 के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत आदेशों के विरुद्ध अथवा अन्य कोई मा0 न्यायालय वाद योजित किया गया है, उन प्रकरणों के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के निर्णय के अधीन नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
 - (6) संलग्न सूची में उल्लिखित शिक्षकों को अपने मूल तैनाती स्थल से विधिवत कार्यमुक्त करने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
 - (7) इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-420/XXX(2)/19-30(11)/2018, दिनांक 20.12.2019 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
संलग्नक सूची

(दीप्ति सिंह)
अपर सचिव।

संख्या:-/444 / XXIV-A-1/2021-07/2021 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्त निर्देशों के क्रम में इस आशय से प्रेषित की उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये संलग्न सूची में उल्लिखित कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य कार्मिकों की कार्यमुक्ति के सम्बन्ध में यथाशीघ्र आवश्यक अग्रतः कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।


(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव

प्रतिय ज्ञाप संख्या संख्या:-/444/XXIV-A-1/2021-07/2021 दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 का संलग्नक।

क्र० सं०	शिक्षक का नाम / विद्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु वांछित विकास खण्ड / जनपद	स्थानान्तरण का कारण	प्रमाण-पत्र का प्रकार
1.	श्रीमती राखी कुल, स०अ० रा०प्रा०वि० डोभालगांव मोरी, उत्तरकाशी	रा०प्रा०वि० न०-16 (कनखल) वि०ख० बहादुराबाद, हरिद्वार	तलाकशुदा के आधार पर।	अपर न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायाधीश रुड़की, जिला हरिद्वार द्वारा निर्गत आदेश की प्रति दिनांक 17.02.2021
2.	श्री अमित पटेल, स०अ० रा०प्रा०वि० दुई वि०ख० मोरी, जनपद उत्तरकाशी	रा०प्रा०वि० न०-2 नगर क्षेत्र वि०ख० रुड़की हरिद्वार।	स्वयं मिर्गी रोग से पीड़ित होने एवं राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड के प्रमाण पत्र में उल्लिखित H/O Seizure Needs Conservative. है।	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 18.03.2021
3.	श्रीमती सुमनलता स०अ०, रा०प्रा०वि० सडब वि०ख० जौनपुर, टि०ग०।	रा०प्रा०वि० बडागौहार, वि०ख० सहसपुर, देहरादून।	पति Organic Brain Dys Function with subarachnoid Hemorrhage needs regular follow up and Treatment. बीमारी से पीड़ित।	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 15.07.2021
4.	श्री अरुण कुमार गेजवाल, स०अ०, रा०प्रा०वि० झिन्जोली हरमनी, नारायणबगड़, चमोली	रा०प्रा०वि० शेरपुर, वि०ख० विकासनगर, देहरादून।	स्वयं Anxiety Disorder Needs Medical Treatment. बीमारी से पीड़ित।	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 15.07.2021


(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग-01
संख्या-2019/XXIV-A-1/2021-07/2021
देहरादून: दिनांक : 29 नवम्बर, 2021

(93)

DD सेवा-2

कृ. शशा निदेश कार्यालय

कार्यालय ज्ञाप

श्री गम्भीर
कृ. शशा निदेश
DD
मन्त्रालय

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-27 के अधीन मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 02.12.2019 को आहूत बैठक में प्राप्त संस्तुति विषयक शासनादेश संख्या-420/XXX(2)/19-30(11)/2018, दिनांक 20.12.2019 के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1596/XXIV(1)/2016-36/2016, दिनांक 21.11.2016 से आच्छादित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक (सूची संलग्न) को गम्भीर बीमारी, दिव्यांगता एवं परिसम्पत्ति अधिग्रहण के प्रमाण पत्र के आधार पर स्थानान्तरित किये जाने की एतद्द्वारा सहमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- (1) स्थानान्तरित सहायक अध्यापक को संवर्ग परिवर्तन की यह सुविधा सम्पूर्ण सेवाकाल में मात्र एक बार प्रदान की जायेगी।
 - (2) स्थानान्तरित किये जा रहे सहायक अध्यापक को कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
 - (3) संवर्ग परिवर्तन होने पर वरिष्ठता के सम्बन्ध में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधान लागू रहेंगे।
 - (4) गम्भीर बीमारी, दिव्यांगता एवं परिसम्पत्ति अधिग्रहण के आधार पर संलग्न सूची में उल्लिखित शिक्षकों द्वारा सक्षम स्तर का चिकित्सा प्रमाण पत्र/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र/परिसम्पत्ति अधिग्रहण का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। संलग्न सूची में उल्लिखित शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में विपरीत तथ्य होने पर स्थानान्तरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
 - (5) जिन शिक्षकों द्वारा कार्यालय ज्ञाप-1596 दिनांक 21.11.2016 के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत आदेशों के विरुद्ध अथवा अन्य कोई मा0 न्यायालय वाद योजित किया गया है, उन प्रकरणों के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के निर्णय के अधीन नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
 - (6) संलग्न सूची में उल्लिखित शिक्षकों को अपने मूल तैनाती स्थल से विधिवत कार्यमुक्त करने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
 - (7) इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-420/XXX(2)/19-30(11)/2018, दिनांक 20.12.2019 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
संलग्नक सूची

(दीप्ति सिंह)
अपर सचिव।

931
-2- 01-12-21

संख्या-2054 / XXIV-A-1/2021-07/2021 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्त निर्देशों के क्रम में इस आशय से प्रेषित की उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
3. अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमांऊ मण्डल, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।


(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव

कार्यालय ज्ञाप संख्या संख्या:-2059/XXIV-A-1/2021-07/2021 दिनांक 29 नवम्बर, 2021 का संलग्नक।

क्र० सं०	शिक्षक का नाम/ विद्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु वांछित विकास खण्ड/जनपद	स्थानान्तरण का कारण	प्रमाण-पत्र का प्रकार
1.	श्री नन्द किशोर, स०अ० रा०प्रा०वि० खकोड़ा, वि०ख० बाराकोट जनपद घम्पावत।	रा०प्रा०वि० पथरी गुर्जर बरती-II वि०ख० बहादुराबाद, हरिद्वार।	पत्नी A case of acute Depression Needs follow for Years बीमारी से पीड़ित।	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दि० 19.08.2021
2.	श्रीमती रेखा रानी, स०अ० रा०प्रा०वि० पुनई वि०ख० बाराकोट, घम्पावत।	रा०प्रा०वि० न०-28 देवपुरा, वि०ख० बहादुराबाद, हरिद्वार।	ससुर Hypertension Needs Regular Follow up and Treatment एवं माता की 47 प्रतिशत दिव्यांगता।	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दि० 19.08.2021 एवं सी०एम०ओ० हरिद्वार का प्रमाण पत्र दिनांक 14.09.2021
3.	श्री माता प्रसाद, स०अ० रा०प्रा०वि० टाण्डा टीरा, बहादुराबाद, हरिद्वार।	रा०प्रा०वि० न०-5 ऋषिकेश, देहरादून।	परिसम्पत्ति अधिग्रहण	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी नई टिहरी, का प्रमाण पत्र दिनांक 29.07.2021


(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

seen
12/12/2021

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग-01
संख्या:- /XXIV-A-1/2021-09/2020
देहरादून: दिनांक : 22 दिसम्बर, 2021

1025
23/12/2021

संकेतक
संकेत-2

12

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-27 के अधीन मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 22.03.2021 को आहूत बैठक में प्राप्त संस्तुति विषयक कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-98/XXX(2)/2021/30(11)/2018, दिनांक 13.04.2021 के क्रम में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापकों (सूची संलग्न) को अधिनियम की धारा-3(घ) से आच्छादित गम्भीर बीमारी के आधार (सक्षम स्तर का चिकित्सा प्रमाण-पत्र) पर स्थानान्तरित किये जाने की एतद्वारा सहमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- (1) सूची में उल्लिखित स्थानान्तरित सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापकों को संवर्ग परिवर्तन किया जा रहा है उनको संवर्ग परिवर्तन की यह सुविधा सम्पूर्ण सेवाकाल में मात्र एक बार प्रदान की जायेगी।
- (2) स्थानान्तरित किये जा रहे सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापकों को कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
- (3) सूची में उल्लिखित प्रकरण जिनके प्रमाण पत्र जनवरी, 2019 से पूर्व के हैं, के सम्बन्ध में जनवरी, 2019 के बाद के प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये उक्त प्रमाण पत्रों का परीक्षण करने के उपरान्त ही स्थानान्तरण किया जायेगा। उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में विपरीत तथ्य होने पर स्थानान्तरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- (4) संवर्ग परिवर्तन होने पर वरिष्ठता के सम्बन्ध में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधान लागू रहेंगे।
- (5) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि डायलिसिस/बाईपास सर्जरी/कैंसर आदि गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिक का तैनाती स्थल उनके आने जाने हेतु सुगमता वाला हो।
- (6) कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-98/XXX(2)/2021/30(11)/2018, दिनांक 13.04.2021 का अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

2- उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
संलग्नक सूची

(दीप्ति सिंह)
अपर सचिव।

संख्या:-2111 / XXIV-A-1/2021-09/2020 तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्त निर्देशों के क्रम में इस आशय से प्रेषित की उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
3. अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय ज्ञाप संख्या संख्या:-211/XXIV-A-1/2021-09/2020 दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 का संलग्नक।

सहायक अध्यापक (प्राथमिक) चिकित्सा व्यथा के दृष्टिगत (जनपदीय)					
क्र० सं०	शिक्षक का नाम/ पदनाम एवं वर्तमान में कार्यरत विद्यालय का नाम	वांछित वि०ख०/ जनपद	स्थानान्तरण का कारण	प्रमाण-पत्र का विवरण	प्रस्तुत प्रमाण पत्र में उल्लिखित बीमारी
1.	श्रीमती संगीता रावत, स०अ०, रा०प्रा०वि० सुनखेत, प्रतापनगर, टिहरी	वि०ख० नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल	सारा कैंसर रोग से पीड़ित	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 5.12.2019	Low grade papillary urothelial carcinoma. Radio therapy and chemo therapy done. Advised follow up under nephrologist.
2.	श्रीमती लक्ष्मी बेगी, स०अ०, रा०प्रा०वि० मठ बेमरू, दशोली, चमोली	जनपद चमोली मुख्यालय के समीपस्थ विद्यालय	पति हृदय रोग से पीड़ित	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 17.7.2020	A case of coronary artery disease with hypertension percutaneous angioplasty in (2019 year) needs regular follow up treatment.
3.	श्रीमती किरन सेजवाल, स०अ०, रा०आ०प्रा०वि० देवाल, चमोली	वि०ख० धराली, चमोली	पुत्री मानसिक रोग से पीड़ित एवं 50 प्रतिशत दिव्यांगता	सी०एम०ओ० चमोली का प्रमाण पत्र दि० 16.6.2016 एवं राज्य चिकित्सा परिषद् का प्रमाण पत्र दिनांक 7.4.2016	मानसिक दिव्यांगता
4.	श्री सुधीर कुमार जखमोला, स०अ०, रा०प्रा०वि० चकराता, देहरादून	वि०ख० रायपुर/ सहसपुर, देहरादून	माता जी कैंसर पीड़ित	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 18.01.2018	Known case of carcinoma mid and lower oesophagus with regional lymphadenopathy transthoracic esophagectomy and gastric pull up done.
5.	श्री सचिन कुमार, स०अ०, रा०प्रा०वि० अणु, वि०ख० विकासनगर, देहरादून	कार्यरत वि०ख० में विद्यालय परिवर्तन का अनुरोध (वि०ख० विकासनगर)	पिता की चिकित्सा व्यथा के आधार पर	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 15.06.2017	Fue of coronary artery disease with stent application.
6.	श्रीमती चम्पा पाण्डेय, स०अ०, रा०प्रा०वि० ओखलढूंगा, भीमताल, नैनीताल	वि०ख० हल्द्वानी, नैनीताल	पुत्र की 65 प्रतिशत दिव्यांगता के आधार पर	चिकित्सा बोर्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 20.8.2019	मानसिक दिव्यांगता
7.	श्री राजेन्द्र चन्द्र पाण्डेय, स०अ०, रा०प्रा०वि० साल, ओखलकाण्डा, नैनीताल	वि०ख० कोटाबाग/ रामनगर, नैनीताल	स्वयं की चिकित्सा व्यथा के दृष्टिगत	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 16.5.2017	Six month OLD operated case of fracture neck femur R with unstable, burst fracture D5-D6 without neurological deficit.
8.	श्रीमती अनिता अग्रवाल, स०अ०, रा०प्रा०वि० बहादुरपुर, देहरादून	वि०ख० रायपुर, देहरादून	पति की गंभीर बीमारी के दृष्टिगत	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 7.11.2019	seizure disorder with PTCA to RCA . Needs regular follow up.
9.	श्रीमती सुमन लता, स०अ०, रा०प्रा०वि० तल्ली बागी, टोपी, नरेन्द्रनगर, टिहरी	कार्यरत वि०ख० में विद्यालय परिवर्तन का अनुरोध (वि०ख० नरेन्द्रनगर)	स्वयं चिकित्सा व्यथा के आधार पर	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 7.6.2019	Seizure disorder (last episoe at 8-5-19) with diffuse disc bul with disc osteophyte complex at C4-S5 needs regular follow up.

10	श्री राजीव, स0अ0, रा0प्रा0वि0 कालसी, देहरादून बसाया, देहरादून	वि0ख0 डोईवाला, देहरादून	पत्नी मानसिक रोग ग्रस्त	एम्स ऋषिकेश का प्रमाण पत्र दिनांक 26.2.2020	मानसिक रोग ग्रस्त
11	श्रीमती सुनीता भण्डारी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 आमोठ, एकेश्वर, पौड़ी	नगर क्षेत्र कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।	चिकित्सा व्यथा के आधार पर	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दि0 17.03.2016	Multiple heart valve disease causes rheum repair of multiple on 31-1-2007 C/O LT hemiparesis on 31-5-15 needs regular follow lip.
12	श्रीमती ज्योति नारंग, स0अ0, रा0प्रा0वि0 तेलीवाला-2, बहादुराबाद, हरिद्वार	कार्यरत वि0ख0 में विद्यालय परिवर्तन का अनुरोध (वि0ख0 बहादुराबाद)	चिकित्सा व्यथा के आधार पर	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 07.11.2019	A case of periaampular carcinoma (cancer) pancrease operated in 2018 needs regular follow up by oncosurgeon
13	श्रीमती सरोजनी रावल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 रतनपुर, वि0ख0 भिलंगना, टिहरी गढ़वाल	वि0ख0 नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी (ऋषिकेश के समीपस्थ विद्यालय)	स्वयं कैंसर रोग से पीड़ित	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 18.06.2020	post operated (10-01-2020) right invasive DUCT carcinoma grade-2 she is now on radiotherapy needs regular follow up.
14	श्री दीप चन्द्र बिष्ट, स0अ0, रा0प्रा0वि0 टांगासेरा, मुनस्यारी, पिथौरागढ़	वि0ख0 बेरीनाग, पिथौरागढ़	ओपन हार्ट सर्जरी के दृष्टिगत	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 06.02.2020	post aortic valve replacement (2019) needs regular check up by cardillogist.

प्रधानाध्यापक (प्राथमिक) चिकित्सा व्यथा के दृष्टिगत (जनपदीय)					
क्र0 सं0	शिक्षक का नाम/ एवं वर्तमान में कार्यरत विद्यालय का नाम	वांछित विद्यालय/ जनपद	स्थानान्तरण का कारण	प्रमाण-पत्र का विवरण	प्रस्तुत प्रमाण पत्र में उल्लिखित बीमारी
1	श्रीमती गीता जोशी, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 मल्ला हरतपा, बेतालघाट, नैनीताल	वि0ख0 भीमताल, नैनीताल	पुत्र की प्रतिशत दिव्यांगता के आधार पर	सी0एम0आ0 नैनीताल का प्रमाण पत्र दिनांक 15.6.2018	मानसिक दिव्यांगता के आधार पर
2	श्रीमती बीना वर्मा, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 चितरंजनपुर, गदरपुर, उ0सिंह नगर	कार्यरत वि0ख0 में विद्यालय परिवर्तन का अनुरोध (वि0ख0 गदरपुर)	चिकित्सा व्यथा के आधार पर	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 04.05.2017	Diagnosed case of seizure disorder under treatment for last 11 years
3	श्रीमती उषा थपलियाल, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 स्वाडी, जाखणीधार, टिहरी	वि0ख0 चम्बा, टिहरी।	चिकित्सा व्यथा के कारण	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दि0 5.03.2020	Follow up cur of PTCA with cardiac starting (10-09-2019)
4	श्रीमती विजया बडोनी, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 थान, चम्बा, टिहरी	कार्यरत वि0ख0 में विद्यालय परिवर्तन का अनुरोध (वि0ख0 जौनपुर)	पुत्र की प्रतिशत दिव्यांगता	सी0एम0आ0 टिहरी का प्रमाण पत्र	मानसिक दिव्यांगता

सहायक अध्यापक (उच्च प्राथमिक) चिकित्सा व्यथा के दृष्टिगत (जनपदीय)						
क्र० सं०	शिक्षक का नाम/ पदनाम एवं वर्तमान में कार्यरत विद्यालय का नाम	वांछित विद्यालय/ जनपद	स्थानान्तरण का कारण	प्रमाण-पत्र का विवरण	प्रस्तुत प्रमाण पत्र में उल्लिखित बीमारी	
1.	श्री प्रदीप चन्द्र वर्मा, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० खतीगांव, पिथौरागढ़	पिथौरागढ़ शहर के समीपस्थ	हृदय रोग से पीड़ित	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दि० 17.07.2020	PTCA with stent to LAD (angioplasty) follow up under cardiologist.	
2.	श्री हरीश चन्द्र भट्ट, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० खैरोला, भीमताल, नैनीताल	वि०ख० कोटाबाग/हल्द्वानी नैनीताल	पुत्री की 70 प्रतिशत दिव्यांगता के आधार पर	सी०एम०ओ० नैनीताल का प्रमाण पत्र दिनांक 15.02.2010	मानसिक दिव्यांगता	
3.	श्री प्रीतम सिंह बिष्ट, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० कमोला, हल्द्वानी नैनीताल	वि०ख० हल्द्वानी, नैनीताल	पुत्री की 80 प्रतिशत दिव्यांगता के आधार पर	चिकित्सा बोर्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 18.02.2020	मानसिक दिव्यांगता	
4.	श्रीमती नीरू बिष्ट, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० छोडा माजा, भीमताल, नैनीताल	वि०ख० भीमताल, नैनीताल	पति की गम्भीर बीमारी के दृष्टिगत	मेडिकल बोर्ड हल्द्वानी नैनीताल का प्रमाण पत्र दिनांक 26.05.2015 एवं रा०चि०परि० उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 16.6.2016	A case of ankylosing spondylitis & H/D, neck, deformity & old d/o vertebra fracture. Needs assistance	
5.	श्रीमती लता पांगती, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० जाडापानी, धारी, नैनीताल	वि०ख० हल्द्वानी, नैनीताल	स्वयं कैंसर रोग से पीड़ित	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दि० 02.11.2017	blood cancer.	
6.	श्री महेशचन्द्र, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० पहाडपानी, धारी, नैनीताल	वि०ख० भीमताल/ हल्द्वानी नैनीताल	पत्नी की बीमारी के दृष्टिगत	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 15.06.2017	fic of seizure disorder (hypodinse lesion in right front parietal area.	
7.	श्री फतेसिंह पंवार, स०अ०, रा०क०उ०प्रा० वि० नन्दप्रयाग, दशोली, चमोली	वि०ख० दशोली, चमोली	स्वयं चिकित्सा व्यथा के आधार पर	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दि० 2.07.2015	fic of coronary artery bypass graft done in 2010.	
8.	श्रीमती प्रेमलता सजवाण, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० झुटाया, कालसी, देहरादून	वि०ख० रायपुर, देहरादून	चिकित्सा व्यथा के आधार पर	एम्स ऋषिकेश का प्रमाण पत्र दि० 20.11.2020	Post Operated Case Of Carcinoma Left Bronchoalveolar Complex (Jan 2020)	
9.	श्रीमती करुणा गहतोली, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० निडिल, लोहाघाट, चम्पावत	वि०ख० चम्पावत	पुत्री की 75 प्रतिशत दिव्यांगता के आधार पर	सी०एम०ओ० चम्पावत का प्रमाण पत्र दिनांक 03.6.2019	मानसिक दिव्यांगता	
10.	श्री संजय कुमार, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० बाघना, कालसी, देहरादून	वि०ख० रायपुर/ विकासनगर/ सहसपुर, देहरादून	पत्नी की चिकित्सा व्यथा के आधार पर	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दि० 20.07.2017	Pt talking treatment as chronic myeloed luckemia.	
11.	श्री विकास उनियाल, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० हिलोगी, वि०ख० द्वारीखाल, पौड़ी गढ़वाल	वि०ख० दुगड़डा, पौड़ी गढ़वाल	किडनी की बीमारी से ग्रस्त एवं डायलिसिस पर।	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दि० 20.06.2019	chonic kidney disease (ESRD) on main tenance haemo dialysis needs regular follow up under nephrologist.	

12.	श्री गोपाल सिंह असवाल, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 कुथनौर वि0ख0 नोगांव, उत्तरकाशी ✓	कार्यरत वि0ख0 में विद्यालय परिवर्तन का अनुरोध (वि0ख0 नोगांव)	पुत्री की 100 प्रतिशत दिव्यांगत के आधार पर	मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरकाशी का प्रमाण पत्र।	मानसिक दिव्यांगता
-----	---	--	--	--	-------------------

प्रधानाध्यापक (उच्च प्राथमिक) चिकित्सा व्यथा के दृष्टिगत (जनपदीय)					
क्र0 सं0	शिक्षक का नाम/ पदनाम एवं वर्तमान में कार्यरत विद्यालय का नाम	वांछित विद्यालय/जनपद	स्थानान्तरण का कारण	प्रमाण-पत्र का विवरण	प्रस्तुत प्रमाण पत्र में उल्लिखित बीमारी
1. ✓	श्री शमीम अहमद, प्र0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 सुनकोट, ओखलकाण्डा, नैनीताल ✓	वि0ख0 कोटाबाग/हल्द्वानी नैनीताल	स्वयं की चिकित्सा व्यथा के दृष्टिगत	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 01.11.2018	Fuc Of Chronic Kidney Disease, On Hae Modialysis Since August 2016 Need Liae Modialysis And Regular Follow Up Under Nephrologist

सहायक अध्यापक (उच्च प्राथमिक) चिकित्सा व्यथा के दृष्टिगत (अन्तर्जनपदीय)					
क्र0 सं0	शिक्षक का नाम/ पदनाम एवं वर्तमान में कार्यरत विद्यालय का नाम	वांछित विद्यालय/जनपद	स्थानान्तरण का कारण	प्रमाण-पत्र का विवरण	प्रस्तुत प्रमाण पत्र में उल्लिखित बीमारी
1.	श्रीमती हेमा दरम्वाल, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 भवानी सेनीटोरियम, बेतालघाट, पिथौरागढ ✓	वि0ख0 हल्द्वानी, नैनीताल	पति की गम्भीर बीमारी के दृष्टिगत	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 07.05.2015	Fue g coronary artery bypass grafting dungeon
2.	श्रीमती हेमलता कनवाल, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 छौना बिलौरी, बागेश्वर ✓	नैनीताल	चिकित्सा व्यथा के आधार पर	राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 16.05.2019	A case of operated carcinoma ovary (2019) needs regular check up treatments.


 (प्रदीप जोशी)
 संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग-01
संख्या:- / XXIV-A-1/2022-07/2021 T.C.
देहरादून: दिनांक : 06 जनवरी, 2022

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-27 के अधीन मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 02.12.2019 को आहूत बैठक में प्राप्त संस्तुति विषयक शासनादेश संख्या-420/XXX(2)/19-30(11)/2018, दिनांक 20.12.2019 के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1596/XXIV(1)/2016-36/2016, दिनांक 21.11.2016 से आच्छादित श्रीमती संजोगिता, स0अ0 रा0प्रा0वि0 चौदाणी, वि0ख0 भिलंगना, टिहरी गढ़वाल को उनकी सास की बीमारी के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार के प्रमाण पत्र दिनांक 09.11.2021 के आधार पर रा0प्रा0वि0 नं0-04 रुड़की हरिद्वार में स्थानान्तरित किये जाने की एतद्द्वारा सहमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- (1) स्थानान्तरित की जा रही सहायक अध्यापिका को संवर्ग परिवर्तन की यह सुविधा सम्पूर्ण सेवाकाल में मात्र एक बार प्रदान की जायेगी।
 - (2) स्थानान्तरित की जा रही सहायक अध्यापिका को कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
 - (3) संवर्ग परिवर्तन होने पर वरिष्ठता के सम्बन्ध में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधान लागू रहेंगे।
 - (4) उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में विपरीत तथ्य होने पर स्थानान्तरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
 - (5) उल्लिखित सहायक अध्यापिका को अपने मूल तैनाती स्थल से विधिवत कार्यमुक्त करने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
 - (6) इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-420/XXX(2)/19-30(11)/2018, दिनांक 20.12.2019 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(दीप्ति सिंह)
अपर सचिव।

संख्या:- 13 /XXIV-A-1/2022-07/2021 T.C. तदुदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्त निर्देशों के क्रम में इस आशय से प्रेषित की उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
3. अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(प्रदीप जैसि)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग-01
संख्या:- / XXIV-A-1/2022-08/2021
देहरादून: दिनांक : 06 जनवरी, 2022
कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-27 के अधीन मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 28.12.2021 को आहूत बैठक में प्राप्त संस्तुति विषयक कार्मिक विभाग के पत्र संख्या-458/XXX-2/2021/30(13)/2017, दिनांक 03.01.2022 के क्रम में श्रीमती विजया बिष्ट, स0अ0 राजकीय प्राथमिक विद्यालय कांसवाली विकास खण्ड सहसपुर, देहरादून का स्थानान्तरण रा0प्रा0वि0 बद्रीपुर/रा0प्रा0वि0 नेहरूग्राम/रा0प्रा0वि0 गढ़वाली कालोनी विकासखण्ड रायपुर, देहरादून में से किसी एक विद्यालय में किये जाने की एतद्वारा सहमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- (1) स्थानान्तरित किये जा रहे सहायक अध्यापिका को कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
 - (2) वरिष्ठता के सम्बन्ध में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (3) कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-458/XXX-2/2021/30(13)/2017, दिनांक 03.01.2022 का अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जाय।
- 2- उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या:- 19 / XXIV-A-1/2022-08/2021 तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्त निर्देशों के क्रम में इस आशय से प्रेषित की उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
3. अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
6. गार्ड फाइल।


(प्रदीप जोशी)
संयुक्त-सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग-01
संख्या:- / XXIV-A-1/2022-26/2021
देहरादून: दिनांक : 06 जनवरी, 2022
कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-27 के अधीन मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 23.12.2021 को आहूत बैठक में प्राप्त संस्तुति विषयक कार्मिक विभाग के पत्र संख्या-02/XXX-2/2021/30(13)/2017, दिनांक 03.01.2022 के क्रम में श्री ओम प्रकाश पाण्डे, सहायक अध्यापक, रा0उ0प्रा0वि0 ससगण, टिहरी गढ़वाल का स्वयं के चिकित्सा व्यथा के आधार पर स्थानान्तरण राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किरौड़/दनाड वि0ख0, देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल में से किसी एक विद्यालय में किये जाने की एतद्वारा सहमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- (1) स्थानान्तरित सहायक अध्यापिका को कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
 - (2) वरिष्ठता के सम्बन्ध में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (3) कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-02/XXX-2/2021/30(13)/2017, दिनांक 03.01.2022 का अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जाय।
- 2- उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या:- 20 / XXIV-A-1/2022-26/2021 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्त निर्देशों के क्रम में इस आशय से प्रेषित की उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
3. अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।


(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग-01
संख्या:- 79 / XXIV-A-1/2022-26/2021
देहरादून: दिनांक : 07 जनवरी, 2022

कार्यालय ज्ञाप

अधोलिखित तालिका में अंकित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों को विशेष परिस्थितियों में निम्नानुसार स्थानान्तरित किये जाने की एतद्वारा सहमति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम व पदनाम/वर्तमान तैनाती स्थल	प्रस्तावित विद्यालय/वि०ख०/जनपद
1	2	3
1.	श्री रमेश कुमार जोशी, स०अ० रा०प्रा०वि० बरिस्ता, चम्पावत।	वि०ख० खटीमा, जनपद उधमसिंहनगर।
2.	सुश्री रूबीना परवीन अंसारी, प्र०अ० रा०प्रा०वि० पैपानी, लमगडा, अल्मोड़ा।	जनपद देहरादून।
3.	श्री हमेन्द्र पाल सिंह, रा०प्रा०वि० डुलमोट, बीरोखाल, पौड़ी	वि०ख० भगवानपुर/खानपुर, हरिद्वार
4.	श्रीमती सरोज मंगगाई, प्र०अ० रा०प्रा०वि० थलनदी, वि०ख० यमकेशवर, पौड़ी। (स्वयं कैंसर रोग से ग्रस्त)	रा०प्रा०वि० तुनवाला प्रथम/मियावाला में मार्च में रिक्त होने वाले पद के सापेक्ष वि०ख० डोईवाला देहरादून।
5.	श्रीमती माधुरी तिवारी, स०अ० रा०प्रा०वि० नगला तराई, खटीमा, उधमसिंहनगर	रा०प्रा०वि० अमाऊ, खटीमा, अथवा रा०प्रा०वि० बरीअंजीनयां, खटीमा, उधमसिंहनगर।
6.	श्री सचिन गोस्वामी, स०अ० रा०प्रा०वि० सील, बाराकोट, चम्पावत। (पिता की Chronic kidney failure)	रा०प्रा०वि० नगला तराई, खटीमा, उधमसिंहनगर
7.	श्रीमती वन्दना रोहिला, स०अ० रा०प्रा०वि० लमटी, वि०ख० धारचुला पिथौरागढ़ (पुत्री गम्भीर मानसिक रोग से ग्रस्त)	रा०प्रा०वि० न०-22 कनखल, रा०प्रा०वि० बी०एच०ई०ल० सेक्टर 1/रा०प्रा०वि० न०-3 ज्वलापुर वि०ख० बहादुराबाद, हरिद्वार।
8.	श्रीमती लता टम्टा, प्र०अ०, रा०प्रा०वि० छिद्रवाला, वि०ख० डोईवाला, देहरादून।	रा०प्रा०वि० अपर तुनवाला, देहरादून।
9.	श्री संजय अरोड़ा, रा०प्रा०वि० नसीरपुर, नस्तरपुर, बहादुराबाद, हरिद्वार। (पारस्परिक स्थानान्तरण)	श्रीमती उषा रानी, स०अ० रा०प्रा०वि० खाल, गैरसैण, चमोली। (पारस्परिक स्थानान्तरण)
10.	श्रीमती सरिता नेगी, स०अ० रा०उ०प्रा०वि०, पालर, नौगांव उत्तरकाशी। (पति हृदय रोग से ग्रसित)	रा०प्रा०वि० रामगढ़ वि०ख० रायपुर देहरादून।
11.	श्रीमती अश्वनी वर्मा, स०अ०, रा०प्रा०वि० औली, चकराता, देहरादून	रा०प्रा०वि० अजबपुर कलां-1/ कारगी चौक/मोथरोवाला, देहरादून।
12.	श्रीमती खिला देवी, रा०प्रा०वि० सोंप पिथौरागढ़	रा०प्रा०वि० सिसोली/लोहारगांव पिथौरागढ़।
13.	श्रीमती संगीता नोटियाल डिमरी, स०अ० रा०प्रा०वि० सरकोट वि०ख० देवाल, चमोली। (स्वयं की बीमारी के आधार)	रा०प्रा०वि० गढ़वाली कॉलोनी/नेहरूग्राम जनपद देहरादून।
14.	श्रीमती रश्मि प्रकाश, स०अ०, रा०प्रा०वि० सिद्धगव्यांग, सितारगंज, उधमसिंहनगर	रा०प्रा०वि० प्रेमपुर लोशजानी/रामड़ी आनसिंह/कुसुमखेड़ा/छडेल, वि०ख० हल्द्वानी नैनीताल, जनपद देहरादून।
15.	श्रीमती दीप्ती, रा०प्रा०वि० रैगल, वि०ख० हवालबाग, जनपद अल्मोड़ा।	देहरादून के नगरीय क्षेत्र में
16.	श्रीमती मधु वर्मा, स०अ० रा०प्रा०वि० रामपुर कलां वि०ख० सहसपुर, जनपद देहरादून	

2- उक्त आदेश का तत्काल अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या-79 / XXIV-A-1/2022-26/2021 तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्त निर्देशों के क्रम में इस आशय से प्रेषित की उक्त तालिका में अंकित शिक्षकों के आदेश तत्काल सुनिश्चित करें।
3. अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमाँऊ मण्डल, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।


(दीप्ति सिंह)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग-01
संख्या:- / XXIV-A-1/2022-27/2021
देहरादून: दिनांक : 07 जनवरी, 2022

कार्यालय झाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-27 के अधीन मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 28.12.2021 को आहूत बैठक में प्राप्त संस्तुति विषयक कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-458/XXX-2/2021/30(13)/2017, दिनांक 03.01.2022 के क्रम में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापकों (सूची संलग्न) को विधवा-विधुर तलाकशुदा व अन्य के आधार पर स्थानान्तरित किये जाने की एतद्द्वारा सहमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- (1) सूची में उल्लिखित सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापकों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप दुर्गम स्थान पर पद रिक्त होने की दशा में प्रतिस्थानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- (2) सूची में उल्लिखित सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापकों, जिनका संवर्ग परिवर्तन किया जा रहा है उनको संवर्ग परिवर्तन की यह सुविधा सम्पूर्ण सेवाकाल में मात्र एक बार प्रदान की जायेगी।
- (3) स्थानान्तरित किये जा रहे सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापकों को कोई यात्रा भत्ता अनुमत्य नहीं होगा।
- (4) विधवा/विधुर, तलाकशुदा/दाम्पत्य नीति से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये उक्त प्रमाण पत्रों का परीक्षण करने के उपरान्त ही स्थानान्तरण किया जायेगा। उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में विपरीत तथ्य होने पर स्थानान्तरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- (5) सूची में उल्लिखित शिक्षकों द्वारा वांछित जनपद/विकासखण्ड/विद्यालय में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में उक्त शिक्षकों से उनकी सुविधानुसार रिक्त विद्यालयों के विकल्प प्राप्त करते हुये स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।
- (6) संवर्ग परिवर्तन होने पर वरिष्ठता के सम्बन्ध में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधान लागू रहेंगे।
- (7) कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-458/XXX-2/2021/30(13)/2017, दिनांक 03.01.2022 का अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

2- उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
संलग्नक सूची

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्या:- 75 / XXIV-A-1/2022-27/2021 तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्त निर्देशों के क्रम में इस आशय से प्रेषित की उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
3. अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमांऊ मण्डल, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(प्रदीप मोशी)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय ज्ञाप संख्या संख्या:- 75 / XXIV-A-1/2022-27/2021, दिनांक 07 जनवरी, 2022 का संलग्नक।

सहायक अध्यापक (प्राथमिक) विधवा, विधुर, तलाकशुदा के अन्तर्गत (जनपदीय)			
क्र०सं०	शिक्षक का नाम/ पदनाम एवं वर्तमान में कार्यरत विद्यालय का नाम	प्रस्तावित स्थानान्तरण/तैनाती का स्थान	स्थानान्तरण का कारण/प्रमाण पत्र
1.	श्रीमती कामिनी सेमल्टी, स०अ०, रा०प्रा०वि० टिपरी, जाखणीघार, टि०ग०	वि०ख० बम्मा, टिहरी गढ़वाल	विधवा (पति का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 05.8.2019)
2.	श्री राजेन्द्र सिंह रूकमणी, स०अ०, रा०प्रा०वि० कण्डारगांव, भिलंगना, टि०ग०	वि०ख० नरेन्द्र नगर, टि०ग०	तलाकशुदा (प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय देहरादून का प्रमाण पत्र दिनांक 12.08.21)
3.	श्रीमती इन्दु रानी, स०अ०, रा०प्रा०वि० सकनई, चकराता, देहरादून	वि०ख० विकासनगर, देहरादून	विधवा (पति का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 9.6.21)
4.	श्रीमती सुनीता नेगी, स०अ०, रा०प्रा०वि० भेरणी, घाट, चमोली	वि०ख० दशोली, कर्णप्रयाग चमोली	विधवा (पति का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 24.7.21)
5.	श्रीमती सत्येश्वरी भिलंगवाल, स०अ०, रा०प्रा०वि० चूला, कर्णप्रयाग, चमोली	वि०ख० कर्णप्रयाग चमोली	विधवा (पति का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 15.7.2020)
6.	श्रीमती सरोज कुमारी, रा०प्रा०वि० फतवा, लक्सर, हरिद्वार	वि०ख० भगवानपुर, हरिद्वार	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
7.	श्रीमती प्रेमलता नेगी, स०अ०, रा०प्रा०वि० मंझौला, जयहरीखाल, पौड़ी	दुगड़डा/ जयहरीखाल, पौड़ी	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
8.	श्रीमती ममता रतूड़ी, स०अ०, रा०प्रा०वि० चोई बस्ती, सहसपुर, देहरादून	वि०ख० रायपुर, देहरादून	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
9.	श्रीमती अर्चना शर्मा, स०अ०, रा०प्रा०वि० बन्जारवाला, रायपुर, देहरादून	रा०प्रा०वि० गुजराडा/ डाण्डा लखौण्ड/ नागल हटनाला/ मानसिंह वाला/ गुजराडा, देहरादून (सुगम श्रेणी)	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
10.	श्रीमती सुरेखा वर्मा, स०अ०, रा०प्रा०वि० जौलीग्राण्ट, डोईवाला, देहरादून	वि०ख० डोईवाला, देहरादून	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
11.	श्रीमती शहनाज अंसारी, स०अ०, रा०प्रा०वि० रिखोली, सहसपुर, देहरादून	वि०ख० सहसपुर/ रायपुर/ नगर क्षेत्र देहरादून	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
12.	श्रीमती अन्जू चौहान, स०अ०, रा०प्रा०वि० मल्ड नैलचामी, भिलंगना, टिहरी	वि०ख० नरेन्द्रनगर, टिहरी	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
13.	श्रीमती कुसुमलता असवाल, स०अ०, रा०प्रा०वि० गोथीकाण्डा, देवप्रयाग, टिहरी	वि०ख० नरेन्द्रनगर, टिहरी	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
14.	श्रीमती नीना शर्मा, स०अ०, रा०प्रा०वि० नगर क्षेत्र नं० 13 पौड़ी	वि०ख० दुगड़डा, पौड़ी गढ़वाल	तलाकशुदा (भा० न्यायालय का प्रमाण पत्र)
15.	श्रीमती रेनु वर्मा, स०अ०, रा०प्रा०वि० अष्टी, कालसी, देहरादून	वि०ख० डोईवाला, देहरादून	तलाकशुदा (भा० न्यायालय का प्रमाण पत्र)
16.	श्रीमती अनीता रावत, स०अ०, रा०प्रा०वि० रानीगांव, कालसी, देहरादून	वि०ख० रायपुर/ विकासनगर, देहरादून	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
17.	श्रीमती मीनाक्षी, स०अ०, रा०प्रा०वि० लाघवा, भगवानपुर, हरिद्वार	वि०ख० रूड़की, हरिद्वार	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
18.	श्रीमती सीमा रानी, स०अ०, रा०प्रा०वि० चानचक, भगवानपुर, हरिद्वार	रा०प्रा०वि० भगवानपुर नं० 1, भगवानपुर नं० 2/ वि०ख० रूड़की, हरिद्वार (सुगम श्रेणी)	परित्यक्ता (भा० न्यायालय का प्रमाण पत्र)
19.	श्रीमती सरस्वती पुण्डरी, स०अ०, रा०प्रा०वि० पनियाला प्रथम, रूड़की, हरिद्वार	रा०प्रा०वि० नगर क्षेत्र नं० 14/16/11/ 5/15/3 रूड़की हरिद्वार (सुगम श्रेणी)	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 27.05.21)
20.	श्री वीरेन्द्र सिंह, स०अ०, रा०प्रा०वि० देवासारी मन्ला, देवाल, चमोली	रा०प्रा०वि० पगना, घाट, चमोली	विधुर (मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 03.08.2017)
21.	श्रीमती करिश्मा नौटियाल, स०अ०, रा०प्रा०वि० नया गांव, रायपुर, देहरादून	रा०प्रा०वि० नेहरू ग्राम गढ़वाली कलौनी/ रायपुर/ गुजरीवाली/ रांझावाला/ गोरखपुर, रायपुर, देहरादून	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 29.04.20)
22.	श्रीमती लक्ष्मी ओली, स०अ०, रा०प्रा०वि० लोहाघाट, घम्पावत	वि०ख० चम्पावत	तलाकशुदा (भा० न्यायालय का प्रमाण पत्र)
23.	श्रीमती प्रीति पाण्डे रा०प्रा०वि० पल्लाढाना बेतालघाट	रा०प्रा०वि० देवलचौड/ सुभाषनगर/ फूलचौड/ फतेहपुर/ शास्तिनगर/ इन्द्रानगर/ रेलवे काठगोदाम/ चौक बाजार हल्द्वानी नैनीताल	तलाकशुदा (भा० न्यायालय का प्रमाण पत्र)

24.	श्रीमती रेनु मट्ट स०अ० रा०प्रा०वि० रीठा बेतालघाट नैनीताल	रा०प्रा०वि० जवाहर नवीदग/ देवलचौड/ फूलचौड/ गांधीनगर/जीतपुर नैनी/ बौद्धखत्ता/ चीड खत्ता/प्रेमपुर लोशज्जानी/ लालकुआ गाम	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
25.	श्रीमती सुमन स०अ० रा०प्रा०वि० मल्सा गिरधरपुर रुद्रपुर उधमसिंह नगर	रा०प्रा०वि० पीरसी रुद्रपुर/ गुरापाणी/ रविन्द्र नगर /आवास विकास/ बगवाडा/ शिवनगर/ लालपुर रुद्रपुर उधमसिंह नगर	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
26.	श्रीमती सीमा स०अ० रा०प्रा०वि० महाराया रुद्रपुर उधमसिंह नगर	रा०प्रा०वि० फुलसुंगा/ शिवनगर/आवास विकास/ आदर्श कालोनी रुद्रपुर उधमसिंह नगर	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
27.	श्रीमती बीना देवी आर्या, स०अ०, रा०प्रा०वि० सुन्दरखाल, धारी, नैनीताल	वि०ख० हल्दानी, नैनीताल	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
28.	श्रीमती पुष्पा बिष्ट, स०अ०, रा०प्रा०वि० हैडाखान, ओखलकाण्डा, नैनीताल	वि०ख० हल्दानी, नैनीताल	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
29.	श्रीमती विजय लक्ष्मी ममगाँई, स०अ०, रा०प्रा०वि० मथाणा, दुगडडा, पौड़ी	रा०प्रा०वि० उमरैला/ फरसूला/ घोबीघाट, दुगडडा, पौड़ी	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
30.	श्रीमती मीनाक्षी कपिल, स०अ०, रा०प्रा०वि० ओडाखान, रामगढ़, नैनीताल	वि०ख० भीमताल/ हल्दानी, नैनीताल	तलाकशुदा (मा० न्यायालय का प्रमाण पत्र)
31.	श्रीमती मीनाक्षी गव्याल, स०अ०, रा०प्रा०वि० देवहार, रामगढ़, नैनीताल	वि०ख० भीमताल, नैनीताल	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
32.	श्री नरेन्द्र नाथ पाठक, स०अ०, रा०प्रा०वि० कुडी, बेरीनाग, पिथौरागढ़	वि०ख० मूनाकोट पिथौरागढ़	तलाकशुदा (मा० न्यायालय का प्रमाण पत्र)
33.	श्रीमती शान्ती मट्ट, स०अ०, रा०प्रा०वि० काण्डा, धारचूला, पिथौरागढ़	रा०प्रा०वि० बौन/ बलुवाकोट/ नगतडा, धारचूला, पिथौरागढ़	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
34.	श्रीमती आमा ओझा, स०अ०, रा०प्रा०वि० तोली, मूनाकोट, पिथौरागढ़	रा०प्रा०वि० उर्ग/भड़कटिया/मंड (खड़ायत)/ चौपखिया/बाननी, मूनाकोट, पिथौरागढ़	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
35.	श्री दीपक शर्मा, स०अ०, रा०प्रा०वि० माताली, पाबौ, पौड़ी गढ़वाल	वि०ख० दुगडडा, जयहरीखाल, पौड़ी गढ़वाल	विधुर (मृत्यु प्रमाण पत्र)
36.	श्रीमती विनीता देवी, स०अ०, रा०प्रा०वि० स्यारी, घाट, चमोली	वि०ख० कर्णप्रयाग, चमोली	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
37.	श्री अनिल उनियाल, स०अ०, रा०प्रा०वि० चांजी मल्ली, भिलंगना, टिहरी	वि०ख० नरेन्द्रनगर/ जौनपुर, टिहरी,	तलाक शुदा (मा० न्यायालय का प्रमाण पत्र)
38.	श्रीमती शालिनी केशवाल, स०अ०, रा०प्रा०वि० पीपलसारी, रिखणीखाल, पौड़ग	वि०ख० दुगडडा, पौड़ी गढ़वाल	तलाक शुदा (कुटुम्ब न्यायालय, देहरादून का प्रमाण पत्र दिनांक 6.5.15)

सहायक अध्यापक (प्राथमिक) विधवा, विधुर, तलाकशुदा के अन्तर्गत (अन्तर्जनपदीय)			
क्र०सं०	शिक्षक का नाम/ पदनाम एवं वर्तमान में कार्यरत विद्यालय का नाम	प्रस्तावित स्थानान्तरण/तैनाती का स्थान	स्थानान्तरण का कारण/प्रमाण पत्र
1.	श्रीमती रीना नौटियाल, स०अ०, रा०प्रा०वि० चोखाल, वि०ख० खिरुं पौड़ी गढ़वाल	देहरादून	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
2.	श्रीमती शालिनी केशवाल, स०अ०, रा०प्रा०वि० पीपलसारी, रिखणीखाल, पौड़ग	देहरादून	तलाक शुदा (कुटुम्ब न्यायालय, देहरादून का प्रमाण पत्र दिनांक 6.5.15)
3.	श्रीमती कृष्णा मेहता, स०अ०, रा०प्रा०वि० शास्त्रिपुरी नं०-०३ रुद्रपुर, उधमसिंह नगर	नैनीताल	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
4.	श्रीमती सुनीता रावत, स०अ०, रा०प्रा०वि० सनखेत, जाखणीधार, टि०ग०	देहरादून	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
5.	श्रीमती रीतु रानी, स०अ०, रा०प्रा०वि० बगोडा, वि०ख० रिखणीखाल, पौड़ी गढ़वाल	हरिद्वार	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
6.	श्रीमती रेखा नेगी, स०अ०, रा०प्रा०वि० अमलेषा वि०ख० जयहरीखाल, पौड़ी	देहरादून	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)

7.	श्री सुखवीर सिंह, स0अ0, रा0प्रा0वि0 मसरी, मोरी, उत्तरकाशी	हरिद्वार	विधुर (मृत्यु प्रमाण पत्र)
8.	श्री हरेन्द्र सिंह, स0अ0, रा0प्रा0वि0 सिमल्ट, वि0ख0 कर्णप्रयाग, चमोली	हरिद्वार	विधुर (मृत्यु प्रमाण पत्र)
9.	श्रीमती रीना कुमारी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 चलचला, रायपुर, देहरादून	हरिद्वार	तलाक शुदा (मा0 न्यायालय का प्रमाण पत्र)
10.	श्रीमती नीलम पुण्डरी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 तल्ला बनास, यमकेश्वर, पौड़ी	देहरादून	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
11.	श्रीमती रेनु बिष्ट, स0अ0, रा0प्रा0वि0 देवताखेत, नैनीताल, पौड़ी	जनपद नैनीताल	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
12.	श्री प्रदीप पन्त, स0अ0, रा0प्रा0वि0 केवलपुरी, लक्सर, हरिद्वार	देहरादून	विधुर (मृत्यु प्रमाण पत्र)
13.	श्रीमती नजमा अंसारी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 नं0 12 रुड़की, हरिद्वार	जनपद देहरादून	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
14.	श्रीमती अनुजा नेगी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 अमलेषा, जयहरीखाल, पौड़ी	जनपद देहरादून	
15.	श्रीमती गरिमा ढोंडियाल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 हऊली, भिकियासैण, अल्मोड़ा	जनपद नैनीताल	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
16.	श्री प्रमोद कुमार, स0अ0, रा0प्रा0वि0 टनकपुर, चम्पावत, चम्पावत	हरिद्वार	विधुर (मृत्यु प्रमाण पत्र)
17.	श्रीमती सरिता, स0अ0, रा0प्रा0वि0 कन्पूडा, चम्पावत, चम्पावत	जनपद उधमसिंह नगर	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
18.	श्रीमती दीपा जोशी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 जारती, कपकोट, बागेश्वर	जनपद नैनीताल	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
19.	श्रीमती कविता वर्मा स0अ0 रा0प्रा0वि0 घसपड धौलादेवी अल्मोड़ा	नैनीताल	तलाकशुदा के आधार पर (मा0 न्यायालय का प्रमाण पत्र)
20.	श्रीमती विद्या आर्या स0अ0 रा0प्रा0वि0 बकूखेत सल्ट अल्मोड़ा	जनपद नैनीताल	पति के कोविड-19 से मृत्यु होने के कारण
21.	श्रीमती कृष्णा मेहता स0अ0 रा0प्रा0वि0 शान्तिपुरी नं03 रुद्रपुर उधमसिंह नगर	नैनीताल	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
22.	श्रीमती सुष्मा, स0अ0, रा0प्रा0वि0 फरसाली वल्ली, कपकोट, बागेश्वर	देहरादून	तलाकशुदा (मा0 न्यायालय का प्रमाण पत्र)
23.	श्रीमती दीपा बल्लाल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 जाखधार, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	देहरादून	विधवा पति की कोरोना से मृत्यु होने के दृष्टिगत।
24.	श्रीमती मीना टम्टा, स0अ0, रा0प्रा0वि0 ऐराडीबिष्ट, स्याल्दे, अल्मोड़ा	नैनीताल	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
25.	श्रीमती प्रिया डंगवाल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 डंग/एटाणा, खिर्सू, पौड़ी	जनपद देहरादून	तलाकशुदा (मा0 न्यायालय का प्रमाण पत्र)
26.	श्री राजन राम, स0अ0, रा0प्रा0वि0 जमीनीपार, द्वाराहाट, अल्मोड़ा	पिथौरागढ़	तलाकशुदा (मा0 न्यायालय का प्रमाण पत्र)
27.	श्रीमती दीपशिखा डबराल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 सिरसा, रामगढ़, नैनीताल	जनपद देहरादून	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
28.	श्रीमती गीता जोशी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 सलियाकोट तल्ला, धारी, अल्मोड़ा	नैनीताल	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
29.	श्रीमती मधुबाला, स0अ0, रा0प्रा0वि0 सरपानी, घाट, चमोली	देहरादून	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
30.	श्रीमती राजेश्वरी शाह, स0अ0, रा0प्रा0वि0 त्युड़ी, उखीमठ, रुद्रप्रयाग	देहरादून	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)

प्रधानाध्यापक (प्राथमिक) विधवा, विधुर, तलाकशुदा के अन्तर्गत (जनपदीय)			
क्र0सं0	शिक्षक का नाम / पदनाम एवं वर्तमान में कार्यरत विद्यालय का नाम	प्रस्तावित स्थानान्तरण/तैनाती का स्थान	स्थानान्तरण का कारण/प्रमाण पत्र
1.	श्रीमती वंदना उनियाल, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 हिन्दुवाला, विकासनगर, देहरादून	वि0ख0 रायपुर, देहरादून	विधवा। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 28.5.21
2.	श्रीमती सावित्री टम्टा, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0	गौचर के नजदीकी विद्यालय में वि0ख0	विधवा। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

	चुला, वि०ख० कर्णप्रयाग चमोली	कर्णप्रयाग	दिनांक 15.1.2020
3.	श्रीमती लक्ष्मी नैथानी, प्र०अ०, रा०प्रा०वि० काण्डा, कल्जोखा, पौड़ी	वि०ख० दुमडडा, पौड़ी	विधवा। मृत्यु प्रमाण पत्र दि० 12.04.21 संलग्न है।
4.	श्रीमती अलका, प्र०अ०, रा०प्रा०वि० नारसन कलां, नारसन, हरिद्वार	रा०प्रा०वि० मोहम्मदपुर जट, नारसन, हरिद्वार	विधवा। मृत्यु प्रमाण पत्र दि० 05.01.16 संलग्न है।
5.	श्रीमती गंगोत्री विश्वकर्मा, प्र०अ०, रा०प्रा०वि० हेल्पिया, कनालीछीना, पिथौरागढ़	वि०ख० मूनाकोट, पिथौरागढ़	विधवा। मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 11.01.21 संलग्न है।
6.	श्रीमती कलावती चौहान, प्र०अ०, रा०प्रा०वि० बादुला, कनालीछीना, पिथौरागढ़	वि०ख० मूनाकोट/ विण/ कनालीछीना पिथौरागढ़	विधवा। मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 18.05.21 संलग्न है।
7.	श्रीमती सन्ध्या रावत, प्र०अ०, रा०प्रा०वि० चमोगी, चम्पा, टिहरी	वि०ख० नरेन्द्रनगर, टिहरी	विधवा। मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 20.08.21 संलग्न है।
8.	श्रीमती पल्लवी वर्मा, प्र०अ०, रा०प्रा०वि० धारी, धारी, नैनीताल	वि०ख० हल्द्वानी, नैनीताल	विधवा। मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न
9.	श्रीमती दीपा चोपड़ा, प्र०अ०, रा०प्रा०वि० च्युरीगढ़ नवीन, ओखलखाण्डा, नैनीताल	वि०ख० हल्द्वानी, नैनीताल	विधवा। मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 08.09.18 संलग्न है।
10.	श्रीमती दुर्गा पाटनी, प्र०अ०, रा०प्रा०वि० मेटा, मूनाकोट, पिथौरागढ़	वि०ख० विण, पिथौरागढ़	विधवा। मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 18.09.20 संलग्न है।
11.	श्रीमती सावित्री कुटियाल, प्र०अ०, रा०प्रा०वि० पांगू, धारचूला पिथौरागढ़	रा०प्रा०वि० धारचूला देहात धारचूला, पिथौरागढ़	विधवा। मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 22.04.21 संलग्न है।
12.	श्रीमती अन्वु शाह, प्र०अ०, रा०प्रा०वि० मेदनपर, जखोली रुद्रप्रयाग	रा०प्रा०वि० भाणाधार, रुद्रप्रयाग	विधवा। मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 23.07.2007 संलग्न है।
13.	श्रीमती शशि जोशी, प्र०अ०, रा०प्रा०वि० बदीपुर, विकासनगर, देहरादून	वि०ख० रायपुर, नगरक्षेत्र, देहरादून	विधवा। मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 29.09.2015 संलग्न है।

प्रधानाध्यापक (प्राथमिक) विधवा, विधुर, तलाकशुदा के अन्तर्गत (अन्तर्जनपदीय)			
क्र०सं०	शिक्षक का नाम/ पदनाम एवं वर्तमान में कार्यरत विद्यालय का नाम	प्रस्तावित स्थानान्तरण/तैनाती का स्थान	स्थानान्तरण का कारण/प्रमाण पत्र
1.	श्रीमती रजनी, प्र०अ०, रा०प्रा०वि० कोटी अदूर, थौलधार, टि०ग०	देहरादून	तलाकशुदा। जिला जज टिहरी गढ़वाल का प्रमाण पत्र दिनांक 16.4.99
2.	श्रीमती शांति नोटियाल, प्र०अ०, रा०प्रा०वि० जखन्याली, भिलंगना, टिहरी	जनपद देहरादून	विधवा। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं
3.	श्रीमती सुमन राठी, प्र०अ०, रा०प्रा०वि० नैसोडा, लमगडा, अल्मोडा	नैनीताल	विधवा। मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 08.11.05 संलग्न है।
4.	श्रीमती ममता वर्मा, प्र०अ०, रा०प्रा०वि० अनेरियाकोट, वि०ख० लमगडा, अल्मोडा	नैनीताल	विधवा। मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 12.8.14 संलग्न है।
5.	श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी, प्र०अ०, रा०प्रा०वि० खड़गोली, लाडीखेत, अल्मोडा	नैनीताल	विधुर। मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 24.10.11 संलग्न है।
6.	श्रीमती शांति पुरोहित, प्र०अ०, रा०प्रा०वि० सुमल्टा, कर्णप्रयाग, चमोली	देहरादून	विधवा। मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 17.10.2014 संलग्न है।

सहायक अध्यापक (उच्च प्राथमिक) विधवा, विधुर, तलाकशुदा के अन्तर्गत (जनपदीय)			
क्र०सं०	शिक्षक का नाम/ पदनाम एवं वर्तमान में कार्यरत विद्यालय का नाम	प्रस्तावित स्थानान्तरण/तैनाती का स्थान	स्थानान्तरण का कारण/प्रमाण पत्र
1.	श्री राजेन्द्र सिंह पाल, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० लदोखी, दुमडडा, पौड़ी	रा०उ०प्रा०वि० उदयरामपुर (सुगम)/ भदालीखाल (सुगम), झण्डीचौड (सुगम), दुमडडा, पौड़ी	विधुर। मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 01.09.2020
2.	श्रीमती सीमा आर्य, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० कोठातारली, कालसी, देहरादून	रा०उ०प्रा०वि० सेवालाकलां, रायपुर, देहरादून	विधवा। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 11.6.2012
3.	श्रीमती नीरू पाल, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० सराडी, कालसी, देहरादून	वि०ख० राहसपुर, रायपुर एवं नगरक्षेत्र देहरादून	तलाकशुदा। मा० कुटुम्ब न्यायालय, देहरादून का प्रमाण पत्र दिनांक 22.8.16
4.	श्रीमती बीना रानी, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि०	वि०ख० डोईवाला, देहरादून	विधवा। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

	चकजोगीवाला, डाईवाला, देहरादून		दिनांक 25.02.15
5.	श्रीमती जलेश्वरी बहुगुणा, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० जरसोवाला, विकासनगर, देहरादून	वि०ख०डाईवाला, देहरादून	विधवा । पति का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 18.03.16
6.	श्रीमती जामृति कुकरेती, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० स्याल्यूगा, दुगड़डा, पौड़ी	रा०उ०प्रा०वि० पदमपुर सुखरी (सुगम)/उदयरामपुर (सुगम) वि०ख० दुगड़डा, पौड़ी	विधवा । मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है
7.	श्रीमती सुनीता रावत, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० कोटा, जयहरीखाल, पौड़ी	वि०ख० दुगड़डा/ जयहरीखाल पौड़ी	विधवा । मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है
8.	श्रीमती मीरा माहरा, स०अ०, रा०क०उ०प्रा०वि० पाटी, पाटी, चम्पावत	रा०उ०प्रा०वि० पाटी, पाटी, चम्पावत (सुगम)	तलाकशुदा । प्रमाण पत्र संलग्न है ।
9.	श्रीमती रेखा उप्रेती, स०अ०, रा०क०उ०प्रा०वि० काकड़, बाराकोट, चम्पावत	वि०ख० लोहाघाट/ रा०उ०प्रा०वि० नीमाना (दुर्गम)/ फरतोला (सुगम) / र्वीनाड़ा, (दुर्गम) बाराकोट, चम्पावत	विधवा । मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 11.04.21 संलग्न है ।
10.	श्रीमती ज्योत्सना जोशी, स०अ०, रा०आ०उ०प्रा०वि० झलुवाजाला, कोटाबाग, नैनीताल	वि०ख० हल्द्वानी, नैनीताल	विधवा । मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 24.05.21 संलग्न है ।
11.	श्रीमती अनीता रावत, स०अ०, रा०प्रा०वि० रा०उ०प्रा०वि० चापडा, धौलधार, टिहरी	रा०उ०प्रा०वि० मणोती, धौलधार, टिहरी (सुगम)	विधवा । मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 11.07.21 संलग्न है ।
12.	श्रीमती अनीता, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० वाण, डुण्डा, उत्तरकाशी	रा०क०उ०प्रा०वि० मेणागाड (ज्ञानरू) उत्तरकाशी (सुगम)	विधवा । पति का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 24.12.2020
13.	श्री राजेन्द्र सिंह पाल, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० लदोखी, दुगड़डा, पौड़ी	रा०उ०प्रा०वि० उदयरामपुर, दुगड़डा, पौड़ी गढ़वाल (सुगम)	विधुर् । पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 3.9.2020
14.	श्रीमती इन्दु रानी, स०अ०, रा०प्रा०वि० सकनई, चकराता, देहरादून	वि०ख० विकासनगर, देहरादून	विधवा । पति का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 09.06.2021
15.	श्रीमती द्रौपती पुनेठा, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० बुरसुम, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़	वि०ख० विण/ मूनाकोट, पिथौरागढ़	विधवा । मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 07.05.21 संलग्न है ।
16.	श्रीमती चित्ररेखा गड़कोटी, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० मजिरकांडा, मूनाकोट, पिथौरागढ़	वि०ख० विण, पिथौरागढ़	विधवा । मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 25.07.17 संलग्न है ।
17.	श्रीमती रमा उनियाल, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० मौलधार, धौलधार, टिहरी	वि०ख० जौनपुर, टिहरी गढ़वाल	विधवा । मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 21.08.14 संलग्न है ।
18.	श्रीमती नमिता भट्ट, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० इलाईजर, ओखलकांडा, नैनीताल	वि०ख० हल्द्वानी, नैनीताल	तलाकशुदा । परिवार न्यायालय हल्द्वानी नैनीताल का प्रमाण पत्र

सहायक अध्यापक (उच्च प्राथमिक) विधवा, विधुर्, तलाकशुदा के अन्तर्गत (अन्तर्जनपदीय)			
क्र०सं०	शिक्षक का नाम/ पदनाम एवं वर्तमान में कार्यरत विद्यालय का नाम	प्रस्तावित स्थानान्तरण/ तैनाती का स्थान	स्थानान्तरण का कारण/प्रमाण पत्र
1.	श्रीमती सुशीला राणा, स०अ०, रा०क०उ०प्रा०वि० डामटा, उत्तरकाशी	देहरादून	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
2.	श्री जमाल अख्तर, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० खुटिडा वि०ख० नैनीडाडा, पौड़ी	हरिद्वार	विधुर् (मृत्यु प्रमाण पत्र)
3.	श्रीमती रीतू काम्बोज, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० साबतवाली, सुल्तानपुर, रुड़की हरिद्वार	देहरादून	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
4.	श्री राणा प्रताप सिंह, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० डयूलाखाल, पोखरा, पौड़ी गढ़वाल	हरिद्वार	विधुर् (मृत्यु प्रमाण पत्र)
5.	श्रीमती बबीता चौहान, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० बेमरू, दशोली, घमोली	देहरादून	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
6.	श्रीमती अनीता रावत, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० गुरछोली, देवप्रयाग, टिहरी	जनपद देहरादून	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
7.	श्री सुरेन्द्र दत्त सकलानी, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० जोगध तल्ला,	देहरादून	विधुर् (मृत्यु प्रमाण पत्र)


8.	किन्यालीसौंड, उत्तरकाशी श्रीमती अर्चना, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 टाण्डा हसनगढ़, भगवानपुर, हरिद्वार	जनपद देहरादून	तलाकशुदा (मा0 न्यायालय का प्रमाण पत्र)
9.	श्रीमती गीता जोशी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 बमरसू, ताडीखेत, अल्मोडा	उधमसिंह नगर	तलाकशुदा (मा0 न्यायालय का प्रमाण पत्र)
10.	श्रीमती निधि जोशी, स0अ0, रा0प्रा0वि0 पड़भूला, ताडीखेत, अल्मोडा	नैनीताल	तलाकशुदा (मा0 न्यायालय का प्रमाण पत्र)
11.	श्रीमती शशि नेगी, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 रीशी, पाबौ, पौड़ी	जनपद टिहरी/ उत्तरकाशी	तलाकशुदा (मा0 न्यायालय का प्रमाण पत्र)
12.	श्रीमती राधा टम्बा, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 पौण, विण, पिथौरागढ़	देहरादून	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
13.	श्रीमती रमा उनियाल, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 मौलघार, थौलघार, टिहरी	देहरादून	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)
14.	श्रीमती शान्ता शाह, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 देवगढ़ी, कीर्तिनगर, टि0ग0	देहरादून	विधवा (मृत्यु प्रमाण पत्र)

सहायक अध्यापक (उच्च प्राथमिक) विधवा, विधुर, तलाकशुदा के अन्तर्गत (अन्तर्जनपदीय)			
क्र0सं0	शिक्षक का नाम/ पदनाम एवं वर्तमान में कार्यरत विद्यालय का नाम	प्रस्तावित स्थानान्तरण/तैनाती का स्थान	स्थानान्तरण का कारण/प्रमाण पत्र
1.	श्रीमती इन्दू गौड़, रा0उ0प्रा0वि0 जामरी, कोट, पौड़ी	वि0ख0 दुगड़डा, पौड़ी	विधवा। मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है।

सहायक अध्यापक (उच्च प्राथमिक) विधवा, विधुर, तलाकशुदा के अन्तर्गत (अन्तर्जनपदीय)			
क्र0सं0	शिक्षक का नाम/ पदनाम एवं वर्तमान में कार्यरत विद्यालय का नाम	प्रस्तावित स्थानान्तरण/तैनाती का स्थान	स्थानान्तरण का कारण/प्रमाण पत्र
1.	श्रीमती सरिता बजोनी, प्र0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 महेड़ा, थौलघार, टिहरी	देहरादून	विधवा। मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है।


 (प्रदीप जोशी)
 संयुक्त सचिव।

सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक)			
क्र०सं०	शिक्षक का नाम/ पदनाम एवं वर्तमान में कार्यरत विद्यालय का नाम	प्रस्तावित स्थानान्तरण /तैनाती का स्थान	स्थानान्तरण का कारण/प्रमाण पत्र
1.	श्री त्रिलोक सिंह गर्ब्याल, रा०प्रा०वि० कोयियार वि०ख० नैनीडांडा, जनपद पौड़ी।	वि०ख० धारचूला, जपपद पिथौरागढ	-
2.	श्रीमती रचना, स०अ० रा०प्रा०वि० ललोटना, टिहरी गढ़वाल।	जनपद देहरादून	-
3.	श्री सुनील कुमार खेत्रपाल, स०अ० रा०उ०प्रा०वि० झुटाया, कालसी देहरादून	वि०ख० सहसपुर, /रायपुर	-


 (प्रदीप जोशी)
 संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग-01
संख्या: 78/XXIV-A-1/2022-26/2021
देहरादून: दिनांक : 07 जनवरी, 2022

कार्यालय ज्ञाप

अधोलिखित तालिका में अंकित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों को विशेष परिस्थितियों में निम्नानुसार स्थानान्तरित किये जाने की एतद्वारा सहमति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम व पदनाम/वर्तमान तैनाती स्थल	प्रस्तावित विद्यालय/वि०ख०/जनपद
1	2	3
1.	श्रीमती निर्मला कोटनाला, रा0अ0 रा0प्रा0वि० फेडी, चिन्चालीसौड, उत्तरकाशी।	रा0प्रा0वि० गांधी विद्या मंदिर/बालक उत्तरकाशी विरला गली विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी।
2.	श्रीमती उषा रावत, स0अ0 रा0प्रा0वि० गुल्डी, वि०ख० चम्बा, टिहरी गढ़वाल।	जनपद देहरादून रायपुर/डंडवाला के नगर क्षेत्र में।
3.	श्रीमती ज्योतसना जोशी, रा0प्रा0वि० महर गांव पुरोला, उत्तरकाशी।	वि०ख० डुण्डा/भटवाड़ी, उत्तरकाशी।
4.	श्रीमती रेखा शाह, प्र0अ0 रा0प्रा0वि० लगसी, जनपद चमोली	रा0प्रा0वि० सिंह धार जोशीमठ जनपद चमोली।
5.	श्रीमती बीना बोरा, स0अ0 रा0प्रा0वि० बिचपुरी, खटीमा जनपद ऊधमसिंहनगर।	रा0प्रा0वि० अमाऊ खटीमा जनपद ऊधमसिंहनगर।
6.	श्रीमती दिव्या जोशी, स0अ0 रा0प्रा0वि० अखोड़ी भिलगना, जनपद टिहरी।	रा0प्रा0वि० डांग, नैथाणा, मल्ला, मुण्डोली कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल में से किसी एक विद्यालय में।
7.	श्रीमती श्वेता मजगाई, स0अ0 जू०हा०स्कूल मटेला, धुडा, ताड़ीखेत जनपद अल्मोड़ा।	हल्द्वानी जनपद नैनीताल के रिक्त पद के प्रति।
8.	श्रीमती चन्द्रा सती, स0अ0 रा0प्रा0वि० भेवा संकुल, मंगोली नैनीताल।	रा0प्रा0वि० कठघरिया हल्द्वानी, नैनीताल, रा0प्रा0वि० रामणी, पीपल पोखडा हल्द्वानी नैनीताल।
9.	श्रीमती ममता जोशी, स0अ0 रा0प्रा0वि० गोकुलवाला, भगवापुर, हरिद्वार।	प्राथमिक विद्यालय, देहरादून।
10.	श्रीमती हेमा दरमवाल, स0अ0, रा0उ०प्रा0वि० भवानी सेनीटीरियम, बेतालघाट, पिथौरागढ़	रा0पू०मा०वि० मुखानी/ वि०ख० हल्द्वानी, रा0पू० मा०वि० में जनपद नैनीताल
11.	श्रीमती नमिता भट्ट, स0अ0 रा0उ०प्रा0वि० ईलाइजर, ओखलकांडा, नैनीताल	रा0उ०प्रा0वि० मोटाहल्लू, हल्द्वानी, नैनीताल
12.	श्री यशवन्त कुमार, स0अ0 रा0प्रा0वि० काला आगर भुमका, ओखलकाण्डा, नैनीताल	वि०ख० धारी, नैनीताल
13.	श्रीमती उषा रानी स0अ0 खाल, गैरसैण, चमोली (पारस्परिक स्थानान्तरण)	श्री संजय अरोड़ा, स0अ0 रा0प्रा0वि० नसीरपुर, नसतरपुर, हरिद्वार (पारस्परिक स्थानान्तरण)
14.	श्रीमती कीर्ति, स0अ0 रा0प्रा0वि० कोटी कनासर, चकराता देहरादून	वि०ख० बहादुराबाद हरिद्वार।
15.	श्री महेश कुमार, रा0प्रा0वि० सैन्ज, नवीन, वागेश्वर	जनपद हरिद्वार।
16.	श्री विजेन्द्र कुमार, स0अ0 रा0प्रा0वि० विलकोट, जनपद अल्मोड़ा	जनपद हरिद्वार।

2- उक्त आदेश का तत्काल अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(आर० मीनक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या:- 78 / XXIV-A-1/2022-26/2021 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्त निर्देशों के क्रम में इस आशय से प्रेषित की उक्त तालिका में अंकित शिक्षकों के तत्काल आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करें।
3. अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।


(दीप्ति सिंह)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग-01
संख्या:- /XXIV-A-1/2022-27/2021
देहरादून: दिनांक : 07 जनवरी, 2022

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-27 के अधीन मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 28.12.2021 को आहूत बैठक में प्राप्त संस्तुति विषयक कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-458/XXX-2/2021/30(13)/2017, दिनांक 03.01.2022 के क्रम में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापकों (सूची संलग्न) को गम्भीर बीमारी एवं राज्य चिकित्सा परिषद के प्रमाण पत्र के आधार पर स्थानान्तरित किये जाने की एतद्वारा सहमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- (1) सूची में उल्लिखित सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापकों, जिनका संवर्ग परिवर्तन किया जा रहा है उनको संवर्ग परिवर्तन की यह सुविधा सम्पूर्ण सेवाकाल में मात्र एक बार प्रदान की जायेगी।
- (2) स्थानान्तरित किये जा रहे सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापकों को कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
- (3) सूची में उल्लिखित प्रकरण जिनके प्रमाण पत्र 03 वर्ष से पूर्व के हैं, उनके सम्बन्ध में नये प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये, उक्त प्रमाण पत्रों का भली भांति परीक्षण करने के उपरान्त ही स्थानान्तरण किया जायेगा। उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में विपरीत तथ्य होने पर स्थानान्तरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- (4) सूची में उल्लिखित शिक्षकों द्वारा वांछित जनपद/विकासखण्ड/विद्यालय में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में उक्त शिक्षकों से उनकी सुविधानुसार रिक्त विद्यालयों के विकल्प प्राप्त करते हुये स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।
- (5) संवर्ग परिवर्तन होने पर वरिष्ठता के सम्बन्ध में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधान लागू रहेंगे।
- (6) कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-458/XXX-2/2021/30(13)/2017, दिनांक 03.01.2022 का अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

2- उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक सूची

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या:- 74 / XXIV-A-1/2022-27/2021 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्त निर्देशों के क्रम में इस आशय से प्रेषित की उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
3. अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमाँऊ मण्डल, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।


(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय ज्ञाप संख्या संख्या:- 74 / XXIV-A-1/2022-27/2021, दिनांक 07 जनवरी, 2022 का संलग्नक।

सहायक अध्यापक (प्राथमिक) चिकित्सा व्यथा के दृष्टिगत (जनपदीय)			
क्र०सं०	शिक्षक का नाम/ पदनाम एवं वर्तमान में कार्यरत विद्यालय का नाम	प्रस्तावित स्थानान्तरण / तैनाती का स्थान	स्थानान्तरण का कारण/ प्रमाण पत्र
1.	श्रीमती उषा राठी, स०अ०, रा०प्रा०वि० सलाण वि०ख० पोखड़ा, पौड़ी गढ़वाल	देहरादून/ वि०ख० यमकेसर पौड़ी	स्वयं कैंसर रोग से पीड़ित राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 04.07.2019
2.	श्री बलवीर सिंह, स०अ०, रा०प्रा०वि० फुराला, वि०ख० मोरी, उत्तरकाशी	वि०ख० मोरी, उत्तरकाशी	पुत्री की 50 प्रतिशत दिव्यांगता। सी०एम०ओ० उत्तरकाशी का प्रमाण पत्र दिनांक 20.12.17
3.	श्रीमती उषा रावत, स०अ०, रा०प्रा०वि० वील, हारीखाल, पौड़ी गढ़वाल	वि०ख० दुगड़डा, पौड़ी गढ़वाल	पुत्री की 100 प्रतिशत दिव्यांगता। राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 21.6.17
4.	श्रीमती आशा नेगी, स०अ०, रा०प्रा०वि० क्वांसी, चकराता, देहरादून	वि०ख० रायपुर, डोईवाला, देहरादून	पुत्र 60 प्रतिशत मानसिक दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी०एम०ओ० देहरादून का प्रमाण पत्र दिनांक 13.1.16
5.	श्रीमती पल्लवी डिमरी, स०अ०, रा०प्रा०वि० मटक माजरी, विकासनगर, देहरादून	वि०ख० रायपुर देहरादून।	पुत्री की 90 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी०एम०ओ० चमोली का प्रमाण पत्र दिनांक 11.6.2009
6.	श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, स०अ०, रा०प्रा०वि० डोईवाला प्रथम, देहरादून	वि०ख० रायपुर देहरादून	पति की 75 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी०एम०ओ० देहरादून द्वारा निर्गत 75 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र दिनांक 06.11.2013 संलग्न
7.	श्रीमती आशिया कुरेशी, स०अ०, रा०प्रा०वि० नवीन नकरौंदा, डोईवाला, देहरादून	वि०ख० रायपुर, देहरादून	पुत्र 80 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी०एम०ओ० पौड़ी का 21.08.2002 का प्रमाण पत्र
8.	श्री नागेन्द्र सिंह रावत, स०अ०, रा०प्रा०वि० पाटौं, थलीसैण, पौड़ी	रा०प्रा०वि० बगवाड़ी (सुगम)/ बालसेम (दुगम), थलीसैण, पौड़ी	पुत्र 100 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी०एम०ओ० पौड़ी का 16.08.2017 का प्रमाण पत्र
9.	श्रीमती कलावती असवाल, स०अ०, रा०प्रा०वि० छड़ियाणी पूर्वी, रिखणीखाल, पौड़ी	वि०ख० जयहरीखाल/दुगड़डा, पौड़ी गढ़वाल	पुत्र 60 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी०एम०ओ० पौड़ी का दिनांक 19.09.2018 का प्रमाण पत्र
10.	श्रीमती सविता सक्सेना, स०अ०, रा०प्रा०वि० रेवा, रिखणीखाल, पौड़ी	वि०ख० दुगड़डा, पौड़ी गढ़वाल	स्वयं 50 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी०एम०ओ० पौड़ी का दिनांक 05.08.2020 का प्रमाण पत्र
11.	श्री नरेन्द्र सिंह रावत, स०अ०, रा०प्रा०वि० जुड़डो, कालसी, देहरादून	वि०ख० डोईवाला/ रायपुर, देहरादून	स्वयं की 50 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी०एम०ओ० देहरादून का दिनांक 06.01.2016 का प्रमाण पत्र
12.	श्रीमती शाहीन परवीन, स०अ०, रा०प्रा०वि० बराड़, कालसी, देहरादून	नगर क्षेत्र/वि०ख० रायपुर/सहसपुर, देहरादून	पति की 60 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी०एम०ओ० देहरादून का दिनांक 10.07.2019 का प्रमाण पत्र
13.	श्रीमती कुसुमलता राणा, स०अ०, रा०प्रा०वि० सभावाला, विकासनगर, देहरादून	वि०ख० रायपुर	पुत्र की 50 प्रतिशत दिव्यांगता एवं स्वयं विधवा होने के दृष्टिगत। सी०एम०ओ० देहरादून का दिनांक 15.07.2020 का प्रमाण पत्र। मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है।
14.	श्रीमती सरिता बहुगुणा, स०अ०, रा०प्रा०वि० तिपरपुर, विकासनगर, देहरादून	वि०ख० रायपुर	स्वयं की 50 प्रतिशत दिव्यांगता होने एवं पति की एंजियोप्लास्टी होने के दृष्टिगत। सी०एम०ओ० उत्तरकाशी का दिनांक 26.12.01 एवं पति का राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दि० 3.9.2020
15.	श्रीमती अनिता थमलियाल, स०अ०, रा०प्रा०वि० घमोले, सहसपुर, देहरादून	वि०ख० रायपुर	पति क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित होने के दृष्टिगत (स्टेज-4)। रा०वि०प० का दिनांक 17.05.18 का प्रमाण पत्र
16.	श्रीमती तेजो राणा, स०अ०, रा०प्रा०वि० बाणाखर, चकराता, देहरादून	वि०ख० रायपुर, देहरादून	पुत्री 75 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी०एम०ओ० देहरादून का दिनांक 01.05.2019 का प्रमाण पत्र
17.	श्रीमती दीप्ति, स०अ०, रा०प्रा०वि० धौरा, थलीसैण, पौड़ी	वि०ख० खिर्तू, पौड़ी	स्वयं की 50 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी०एम०ओ० पौड़ी का दिनांक 19.06.99 का प्रमाण

[Handwritten Signature]

18.	श्री शमीम अहमद, स0अ0 (उर्दू) रा0प्रा0वि0 लण्ढौरा प्रथम, नारसन, हरिद्वार	वि0ख0 नहादराबाद/ रा0प्रा0वि0 जौरासी (सुगम), नारसन हरिद्वार	पुत्र पुत्र 90 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी0एम0ओ0 हरिद्वार का दिनांक 21.09.15 का प्रमाण पत्र
19.	श्री फरमान अली, स0अ0, रा0प्रा0वि0 नकीबपुर, नारसन, हरिद्वार	वि0ख0 रुड़की/ बहादुराबाद, हरिद्वार	स्वय की 50 प्रतिशत मानसिक दिव्यांगता। सी0एम0ओ0 हरिद्वार का प्रमाण पत्र दिनांक 26.06.18
20.	श्री सुन्दर सिंह, स0अ0 रा0प्रा0वि0 गंगाली, बाराकोट, चम्पावत	वि0ख0 चम्पावत	पुत्र की 55 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी0एम0ओ0 चम्पावत का दिनांक 12.04.21 का प्रमाण पत्र
21.	कृ0 अनीता शर्मा, स0अ0, रा0प्रा0वि0 गुईया, धारचूला, पिथौरागढ़	वि0ख0 कनालीछीना/ विण/भूनाकोट, पिथौरागढ़	स्वय की 55 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी0एम0ओ0 पिथौरागढ़ का पत्र दिनांक 16.10. का प्रमाण पत्र
22.	श्रीमती हेमलता खोलिया, स0अ0, रा0प्रा0वि0 सिरकुच, भूनाकोट, पिथौरागढ़	रा0प्रा0वि0 सातशिलिंग (सुगम) / मड (सुगम)/ चौपखिया (सुगम) / मडकटिया (दुर्गम) / बाननी (दुर्गम) / मसौली (सुगम), भूनाकोट, पिथौरागढ़	पति की क्रोनिक एंजियोप्लास्टी एल0वी0 ई0एफ0 45 प्रतिशत खरात होने के दृष्टिगत। रा0चि0प0 का दिनांक 04.07.19 का प्रमाण पत्र
23.	श्री पूर्ण सिंह पंवार, स0अ0, रा0प्रा0वि0 बनाड़ी तल्ली, चिन्वालीसोड, उत्तरकाशी	रा0प्रा0वि0 बधाणगांव (सुगम) / चुपल्या (दुर्गम)/ अनोल (सुगम) / खाल (सुगम) / जुग्याड़ा (सुगम) / मडकोट (सुगम) / बरोल प्रथम (सुगम)/बादसी (दुर्गम) / कोठालडी (सुगम)/बड़ी मणी (सुगम) चिन्वालीसोड, उत्तरकाशी	स्वय क्रोनिक एंजियोप्लास्टी रोग से पीड़ित होने के दृष्टिगत। रा0चि0प0 का दिनांक 05.08.21 का प्रमाण पत्र
24.	श्रीमती नीमा बेलवाल स0अ0 रा0प्रा0वि0 रानीबाग बेटालघाट नैनीताल	रा0प्रा0वि0 गौजाजाली/जवाहरज्योति/ देवलचौड/फूलचौड/ गांधीनगर/ जीतपुर नेगी/बौद्धखत्ता /चीडखत्ता/ प्रेमपुर/रेलवे लालकुआ	पति किडनी रोग से पीड़ित जिनको लगातार हेमोडायलिसिस की सलाह दी गयी है। राज्य चिकित्सा परिषद का प्रमाण पत्र दिनांक 20.6. 2019
25.	श्री योगेश राज स0अ0 रा0प्रा0वि0 मठिया देवी काशीपुर उधमसिंह नगर	रा0प्रा0वि0 मडैयादेवी काशीपुर उधमसिंह नगर	पत्नी की मानसिक बीमारी के दृष्टिगत। राज्य चिकित्सा परिषद का प्रमाण पत्र दिनांक 21.11. 2019
26.	श्रीमती रोहिणी यादव स0अ0 रा0प्रा0वि0 वार्ड नम्बर 2 किच्छा रुद्रपुर उधमसिंह नगर	रा0प्रा0वि0 वार्ड नम्बर 9/10 किच्छा/किच्छा प्रथम रुद्रपुर उधमसिंह नगर	पुत्र की 70 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर
27.	श्री जमाल अहमद स0अ0 रा0प्रा0वि0 तिलियापुर सितारगंज उधमसिंह नगर	विकास खण्ड काशीपुर उधमसिंह नगर	पति की मानसिक बीमारी के दृष्टिगत। एम्स ऋषिकेश के चिकित्सा प्रमाण पत्र दिनांक 31. 10.2016
28.	श्री संजय कुमार स0अ0 रा0प्रा0वि0 उकरौली सितारगंज उधमसिंह नगर	रा0प्रा0वि0 सूतमिल (सुगम)/निवार मण्डी (सुगम) /धमानागर (सुगम) /मंडरा (सुगम) / नारायपुर (सुगम) जसापुर उधमसिंह नगर	स्वय कैंसर रोग से पीड़ित होने के दृष्टिगत। राज्य चिकित्सा परिषद प्रमाण पत्र दिनांक 1.4. 2021
29.	श्री हरीश कुमार स0अ0 रा0प्रा0वि0 विचपुरी बाजपुर उधमसिंह नगर	विकास खण्ड जसापुर उधमसिंह नगर	स्वय 42 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी0एम0ओ0 उधमसिंह नगर का प्रमाण पत्र दिनांक 19.6.19
30.	श्री कौटिल्य कुमार स0अ0 रा0प्रा0वि0 बाजपुर गांव बाजपुर उधमसिंह नगर	विकास खण्ड जसापुर /काशीपुर उधमसिंह नगर	पत्नी की 45 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उधमसिंह नगर का प्रमाण पत्र दिनांक 15.5.19
31.	श्रीमती कमला नेगी, स0अ0,	वि0ख0 यमकेश्वर, पौड़ी	स्वय 65 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत

	रा०प्रा०वि० पोखरीगांव, पानौ, पौड़ी		सी०एम०ओ० पौड़ी का दिनांक 07.08.96 का प्रमाण पत्र
32.	श्री आनन्द सिंह, स०अ०, रा०प्रा०वि० चौडाबुगली, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़	रा०प्रा०वि० वनकोट (दुर्गम) / सिमटा (दुर्गम) / तुपरीली (दुर्गम) / देवराडीवोरा(सुगम) / गणाई (सुगम) गंगोली (सुगम) / सिरसोली (सुगम) गंगोलीहाट, पिथौरागढ़	पुत्र 88 प्रतिशत मानसिक दिव्यांगता। सी०एम०ओ० पिथौरागढ़ का प्रमाण पत्र दिनांक 28.08.17 का प्रमाण पत्र
33.	श्रीमती गीता शर्मा, स०अ०, रा०प्रा०वि० दाडिमपाटा, धारचूला, पिथौरागढ़	वि०ख० कनालीछीना / विण / मूनाकोट, पिथौरागढ़	स्वयं 45 प्रतिशत अस्थि दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी०एम०ओ० पिथौरागढ़ का दिनांक 16.08.95 का प्रमाण पत्र
34.	श्रीमती दीपा डबराल, स०अ०, रा०प्रा०वि० माण्डई, दुगड़डा, पौड़ी	रा०प्रा०वि० ध्रुवपुर (सुगम) / लालपानी (सुगम) / पनियाली (सुगम) / न०पालिका नं० 4 (सुगम) / शक्तिचौड़ (सुगम) / न०पालिका नं० 2, (सुगम) दुगड़डा, पौड़ी	पति 55 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी०एम०ओ० पौड़ी का दिनांक 21.05.14 का प्रमाण पत्र
35.	श्रीमती विनीता शर्मा, स०अ०, रा०प्रा०वि० अष्टाड, कालसी, देहरादून	वि०ख० कालसी, विकासनगर, देहरादून	पुत्र मानसिक रोग से पीड़ित होने के दृष्टिगत। रा०वि०प० का दिनांक 20.06.19 का प्रमाण पत्र
36.	श्री संजय राय, स०अ०, रा०प्रा०वि० आन्के-1, बहादुराबाद, हरिद्वार	रा०प्रा०वि० रायली महदूद नं०-2, (सुगम) बहादुराबाद, हरिद्वार	स्वयं हृदय रोग से पीड़ित स्ट्रोक पड़ने के दृष्टिगत। रा०वि०प० का दिनांक 06.09.18 का प्रमाण पत्र
37.	श्रीमती आराधना रानी, स०अ०, रा०प्रा०वि० नकुलिया, सितारगंज, उ०सि०न०	वि०ख० काशीपुर, उ०सि०न०	पुत्र की 75 प्रतिशत मानसिक दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी०एम०ओ० उधमसिंह नगर का दिनांक 27.01.21 का प्रमाण पत्र
38.	श्री वीरेन्द्र सिंह, स०अ०, रा०प्रा०वि० देवासारी मल्ला, देवाल, चमोली	रा०प्रा०वि० पमना, चमोली	स्वयं 50 प्रतिशत अस्थि दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी०एम०ओ० चमोली का प्रमाण पत्र दिनांक 26.10.13
39.	श्रीमती ममता नैथानी, स०अ०, रा०प्रा०वि० नराया, कालसी, देहरादून	नगर क्षेत्र देहरादून	पति पैक्रियाज कैंसर से पीड़ित होने के दृष्टिगत। रा०वि०परिषद का प्रमाण पत्र दिनांक 19.08.2021
40.	श्री मलय साह, स०अ०, रा०प्रा०वि० श्यामखेत, रामगढ़, नैनीताल	वि०ख० हल्दानी, नैनीताल	स्वयं लगवाग्रस्त होने के दृष्टिगत। रा०वि०प० का दिनांक 07.10.21 का प्रमाण पत्र
सहायक अध्यापक (प्राथमिक) चिकित्सा व्यथा के दृष्टिगत (अर्न्तजनपदीय)			
क्र०सं०	शिक्षक का नाम / पदनाम एवं वर्तमान में कार्यरत विद्यालय का नाम	प्रस्तावित स्थानान्तरण / तैनाती का स्थान	स्थानान्तरण का कारण / प्रमाण पत्र
1.	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान, स०अ०, रा०प्रा०वि० किया वि०ख० मोरी, उत्तरकाशी	देहरादून	पत्नी मानसिक रोग से पीड़ित होने के दृष्टिगत। राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 6.7.2017
2.	श्रीमती लता बलोनी, स०अ०, रा०प्रा०वि० घण्डियालधार, देवप्रयाग, टि०ग०	देहरादून	स्वयं कैंसर रोग से पीड़ित होने के दृष्टिगत। राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 15.7.2021
3.	श्री अभीर सिंह बिष्ट, स०अ०, रा०प्रा०वि० किमोली, नारायणगढ़, चमोली	देहरादून	बेटे की 100 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी०एम०ओ० देहरादून का प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2021
4.	श्रीमती अरविन्द कुमार, स०अ०, रा०प्रा०वि० मौगी, जौनपुर, टि०ग०	हरिद्वार	पत्नी की मानसिक रोग से पीड़ित होने के दृष्टिगत। राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 3.12.2020
5.	श्री धर्मवीर सिंह, स०अ०, रा०प्रा०वि० खैण्डुड़ी, हारीखाल, पौड़ी	हरिद्वार	स्वयं की एंजियोप्लास्टी होने के दृष्टिगत। राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 3.9.2020
6.	श्री अक्षय कुमार, स०अ०, रा०प्रा०वि० समोग, चकराता, देहरादून	हरिद्वार	पुत्र हृदय रोग से पीड़ित होने के दृष्टिगत। राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 3.12.2020
7.	श्रीमती सीमा राणा रावत, स०अ०, रा०प्रा०वि० कोटी अदूर, धौलधार,	देहरादून	बेटे की 43 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी०एम०ओ० टिहरी गढ़वाल का प्रमाण पत्र दिनांक

	टि०ग०		13.7.16
8.	श्रीमती मन्जू, स०अ०, रा०प्रा०वि० चणोरा, मिलगना, टिहरी	हरिद्वार	पुत्र किडनी बीमारी/ सक्रमिit होने के दृष्टिगत । रा०चि०प० का प्रमाण पत्र संलग्न है
9.	श्रीमती वीणा थपलियाल, स०अ०, रा०प्रा०वि० बनचूरी, यमकेश्वर, पौड़ी	जनपद देहरादून	पति मृगी रोग से पीडित होने के दृष्टिगत । रा०चि०प० का दिनांक 20.02.2020 का प्रमाण पत्र
10.	श्री कमलजीत तोमर, स०अ०, रा०प्रा०वि० अंगणी, रिखणीखाल, पौड़ी	जनपद हरिद्वार	पत्नी की एंजियोप्लास्टी होने के दृष्टिगत । रा०चि०प० का दिनांक 04.03.21 का प्रमाण पत्र
11.	श्री दिगम्बर सिंह, स०अ०, रा०आ०प्रा०वि० खोलाचौरी, कोट, पौड़ी	जनपद देहरादून	स्वयं की एंजियोप्लास्टी होने के दृष्टिगत । रा०चि०प० का दिनांक 01.08.2019 का प्रमाण पत्र
12.	उषा सती देवी, स०अ०, रा०प्रा०वि० सलाण, पोखड़ा, पौड़ी	जनपद देहरादून	स्वयं कैंसर रोग से पीडित होने के दृष्टिगत । रा०चि०प० का दिनांक 04.07.2019 का प्रमाण पत्र
13.	श्री संजय कुमार जनियाल, स०अ०, रा०प्रा०वि० रिक्साल, थलीसैण, पौड़ी	जनपद टिहरी	स्वयं की एंजियोप्लास्टी होने के दृष्टिगत । रा०चि०प० का दिनांक 04.06.2020 का प्रमाण पत्र
14.	श्री रमेश चन्द, स०अ०, रा०प्रा०वि० न० 4 कोटद्वार, पौड़ी	वि०ख० यमकेश्वर/ दुगड़डा/ एकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल/ जनपद देहरादून	स्वयं की 80 प्रतिशत दिव्यांगता । सी०एम०ओ० पौड़ी का 17.06.2020 का प्रमाण पत्र
15.	श्री सतीश कुमार, स०अ०, रा०प्रा०वि० नौगांवखाल, एकेश्वर, पौड़ी	जनपद हरिद्वार	पुत्र की 45 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत । सी०एम०ओ० हरिद्वार का दिनांक 18.03.2020 का प्रमाण पत्र
16.	श्री घनश्याम, स०अ०, रा०प्रा०वि० डाबरा, कालसी, देहरादून	जनपद हरिद्वार	स्वयं की एंजियोप्लास्टी होने के दृष्टिगत । रा०चि०प० का दिनांक 16.01.2020 का प्रमाण पत्र
17.	श्री अनिल कुमार, स०अ०, रा०प्रा०वि० डामटा, नौगांव, उत्तरकाशी	जनपद देहरादून	स्वयं की एंजियोप्लास्टी होने के दृष्टिगत । रा०चि०प० का दिनांक 21.09.2017 का प्रमाण पत्र
18.	श्रीमती सुनीता भट्ट, स०अ०, रा०प्रा०वि० घवना, नौगांव, उत्तरकाशी	जनपद देहरादून/टिहरी	पुत्र के हृदय वाल्व रोग से पीडित होने के दृष्टिगत । रा०चि०प० का दिनांक 15.07.2021 का प्रमाण पत्र
19.	श्रीमती सुनीता रावत, स०अ०, रा०प्रा०वि० उमड़ा, यमकेश्वर, पौड़ी	जनपद देहरादून	पति की एंजियोप्लास्टी होने के दृष्टिगत । रा०चि०प० का दिनांक 07.11.19
20.	श्रीमती मीनाक्षी रावत, स०अ०, रा०प्रा०वि० कुशरानी तल्ली, गैरसैण, चमोली	जनपद देहरादून	स्वयं ब्लड कैंसर से पीडित होने के दृष्टिगत । रा०चि०प० का दिनांक 17.07.19 का प्रमाण पत्र
21.	श्रीमती शकुन्तला चौरसिया, स०अ०, रा०प्रा०वि० कड़कोट, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा	जनपद उधमसिंह नगर	स्वयं । case of severe cervical spondylitis C4-c5-c6 with spondylits of thoracic spine avoid prolonged journey in hilly are if बीमारी से पीडित । रा०चि०प० का दिनांक 20.02.2020 का प्रमाण पत्र
22.	श्री हरि प्रसाद, स०अ०, रा०प्रा०वि० गैरसीखाता, गुर्जर बस्ती प्रथम बहादुराबाद, हरिद्वार	जनपद देहरादून	पुत्र की 100 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत । सी०एम०ओ० देहरादून का दिनांक 03.12.14 का प्रमाण पत्र
23.	श्री प्रेम सिंह, स०अ०, रा०प्रा०वि० भिरतोली, बाराकोट, चम्पावत	देहरादून	पत्नी मानसिक रोग से पीडित होने के दृष्टिगत । रा०चि०प० का दिनांक 06.02.2020 का प्रमाण पत्र
24.	श्री सतेन्द्र कुमार सैनी, स०अ०, रा०प्रा०वि० नौगांव, स्याल्दे, अल्मोड़ा	जनपद हरिद्वार	पत्नी कैंसर रोग से पीडित होने के दृष्टिगत । रा०चि०प० का दिनांक 01.10.20 प्रमाण पत्र संलग्न है ।
25.	श्रीमती चेतना भट्ट, स०अ०, रा०प्रा०वि० लालनगरी, स्याल्दे, अल्मोड़ा	जनपद देहरादून	पुत्र कैंसर रोग से पीडित होने के दृष्टिगत । रा०चि०प० का दिनांक 07.01.21 का प्रमाण पत्र
26.	श्रीमती रेनु कटारिया, स०अ०, रा०प्रा०वि० पोखरी, गरूड़, बागेश्वर	हरिद्वार	स्वयं 45 प्रतिशत दिव्यांग होने के दृष्टिगत । सी०एम०ओ० बागेश्वर का दिनांक 26.07.21 का प्रमाण पत्र
27.	श्री उमेश सिंह, स०अ०, रा०प्रा०वि० धिरोली, बागेश्वर, बागेश्वर	चमोली	स्वयं 81 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत । सी०एम०ओ० चमोली का दिनांक 03.05.18 का प्रमाण पत्र
28.	श्री ब्रजमोहन सिंह, स०अ०, रा०प्रा०वि० नैणी, बागेश्वर, बागेश्वर	जनपद उधमसिंह नगर	पुत्री 80 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत । सी०एम०ओ० उधमसिंह नगर का 17.06.16 का प्रमाण पत्र
29.	श्री अशोक कुमार यादव, स०अ०, रा०प्रा०वि० बोहाला, बागेश्वर, बागेश्वर	जनपद उधमसिंह नगर	पत्नी की मानसिक बीमारी के दृष्टिगत । रा०चि०प० का दिनांक 18.09.20 का प्रमाण पत्र

30.	श्री अमित कुमार कश्यप, स0अ0, रा0प्रा0वि0 गूरना, बागेरवर, बागेरवर	हरिद्वार	पुत्र 100 प्रतिशत मानसिक दिव्यांगता के दृष्टिगत। रा0चि0प0 का दिनांक 15.10.2020 का प्रमाण पत्र
31.	श्री सूरजमल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 तल्ली नाकुरी, गरुड़, बागेरवर	हरिद्वार	स्वयं की एंजियोप्लास्टी होने के दृष्टिगत। रा0चि0प0 का दिनांक 15.07.2021 का प्रमाण पत्र
32.	श्रीमती ज्योति जोशी स0अ0 रा0प्रा0वि0 पोधार लमगडा अल्मोडा	जनपद नैनीताल	पुत्र की 60 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अल्मोडा-दिनांक 11-09-2018
33.	श्री भूपेन्द्र सिंह स0अ0 रा0प्रा0वि0 दुदोखी बिरसाल स्याल्दे अल्मोडा	हरिद्वार	पत्नी की मानसिक बीमारी के दृष्टिगत। राज्य चिकित्सा परिषद प्रमाण पत्र दिनांक 5.11.220
34.	श्रीमती भारती तिवारी, स0अ0 रा0प्रा0वि0 डीगा ताडीखेत अल्मोडा	जनपद नैनीताल हल्द्वानी के निकट	स्वयं ब्रेस्ट कैंसर रोग से पीड़ित होने के दृष्टिगत। राजीव गांधी कैंसर संस्थान रोहिनी दिल्ली का प्रमाण पत्र। किन्तु सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
35.	श्रीमती आमा जोशी स0अ0 रा0प्रा0वि0 कमुवाकुला धौलादेवी अल्मोडा	नैनीताल	स्वयं ब्रेस्ट कैंसर रोग से पीड़ित होने के दृष्टिगत। राज्य चिकित्सा परिषद प्रमाण पत्र दि 20.8.2020
36.	श्री रंजन बिष्ट स0अ0 रा0प्रा0वि0 हल्दी खेरड बेतालघाट नैनीताल	जनपद चमोली	स्वयं की 50 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून
37.	श्री विनोद कुमार, स0अ0, रा0प्रा0वि0 दाखिम, मुनस्यारी, विधौरागढ़	चमोली	स्वयं की 60 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी0एम0ओ0 चमोली का दिनांक 06.06.2001 का प्रमाण पत्र
38.	उमाचरन लाल गगवार, स0अ0, रा0प्रा0वि0 कालीगाड़, सल्द, अल्मोडा	जनपद उधमसिंह नगर	पत्नी की 60 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी0एम0ओ0 उधमसिंह नगर का दिनांक 24.02.21 का प्रमाण पत्र संलग्न
39.	श्री राजेश कुमार धीमान, स0अ0, रा0प्रा0वि0 खटलगंव, सल्द, अल्मोडा	उधमसिंह नगर	स्वयं की 45 प्रतिशत दिव्यांगता। सी0एम0ओ0 उधमसिंह नगर का प्रमाण पत्र दिनांक 18.3.20
40.	श्री चन्द्रशेखर गौतम, स0अ0, रा0प्रा0वि0 शिलंग, भिकियासैन, अल्मोडा	नैनीताल/ उ0सिह0 नगर	स्वयं की 42 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी0एम0ओ0 नैनीताल का प्रमाण पत्र दिनांक 19.1.09
41.	श्री देवेन्द्र सिंह, स0अ0, रा0प्रा0वि0 गैरगांव टानी, भिकियासैन, अल्मोडा	उधमसिंह नगर	स्वयं severe l4-15 lumber canal stenosis with b/l leg radiculopathy, advised surgery follow up under orthopaedic surgeon। रा0चि0प0 उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 05.9.2019
42.	श्री महेश कुमार, स0अ0, रा0प्रा0वि0 नौला, भिकियासैन, अल्मोडा	उधमसिंह नगर	पुत्र की 75 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी0एम0ओ0 उधमसिंह नगर का प्रमाण पत्र दिनांक 12.7.17
43.	श्री चन्दन राम कोहली, स0अ0, रा0प्रा0वि0 बुलेरासीम, चौखुटिया, अल्मोडा	जनपद नैनीताल	स्वयं क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित होने के दृष्टिगत। रा0चि0प0 का दिनांक 19.08.21 का प्रमाण पत्र
44.	श्रीमती बीना नयाल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 भटकोट, कोट, पौड़ी	जनपद देहरादून	पति की किडनी ट्रांसप्लाण्ट होने के दृष्टिगत। रा0चि0प0 का प्रमाण पत्र दिनांक 04.07.19 संलग्न है।
45.	श्रीमती सुनीता आर्या, स0अ0, रा0प्रा0वि0 लिणुवा, धारचूला, विधौरागढ़	जनपद नैनीताल	पुत्र 75 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। रा0चि0प0 का दिनांक 23.01.20 का प्रमाण पत्र
46.	श्री जगरोशन, स0अ0, रा0प्रा0वि0 कोटली तल्ली, सल्द, अल्मोडा	हरिद्वार	स्वयं मानसिक रोगी से पीड़ित होने के दृष्टिगत। एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश का प्रमाण पत्र दिनांक 18.8.21
47.	श्रीमती सुनीता रावत, स0अ0, रा0प्रा0वि0 कृणजीली, बीरोंखाल, पौड़ी	देहरादून	स्वयं की 50 प्रतिशत दिव्यांगता के आधार पर। सी0एम0ओ0 पौड़ी का 20.07.2015 का प्रमाण पत्र
48.	श्री योगेश कुमार स0अ0, रा0प्रा0वि0 दनसाडा, देवप्रयाग, टि0ग0	देहरादून	स्वयं की 47 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी0एम0ओ0 हरिद्वार का प्रमाण पत्र दिनांक 12.10.21
49.	श्रीमती बीना थपलियाल, स0अ0, रा0प्रा0वि0 डडवाली, नैनीडाडा, पौड़ी	देहरादून	स्वयं की 42 एवं पति की 55 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी0एम0ओ0 का प्रमाण पत्र दिनांक 19.7.08 एवं 04.02.98

50.	श्री अरविन्द कुमार, रा0अ0, रा0प्रा0वि0 भितारी तल्ला, गोरी उत्तरकाशी	हरिद्वार	पुत्र मानसिक रोग से पीड़ित होने के दृष्टिगत। रा0चि0परिषद का प्रमाण पत्र दिनांक 04.09.2021
-----	---	----------	---

प्रधानाध्यापक (प्राथमिक) चिकित्सा व्यथा के दृष्टिगत (जनपदीय)			
क्र0सं0	शिक्षक का नाम/ पदनाम एवं वर्तमान में कार्यरत विद्यालय का नाम	प्रस्तावित स्थानान्तरण / तैनाती का स्थान	स्थानान्तरण का कारण/प्रमाण पत्र
1.	श्रीमती मनीषा कण्डवाल, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 लक्कड़घाट, डोईवाला, देहरादून	रा0प्रा0वि0 नकरौदा / तुनवाला प्रथम / मियांवाला / हरवाला द्वितीय / माजरीमाफी / अघोईवाला, देहरादून (सुगम)	स्वयं की 45 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी0एम0ओ0 देहरादून का 01.01.2014 का प्रमाण पत्र
2.	श्रीमती अनीता मट्ट, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 चुरानी, रिखणीखाल, पौड़ी	वि0ख0 दुगड़डा, पौड़ी	पुत्री मानसिक बीमारी से पीड़ित। रा0चि0प0 का दिनांक 05.03.2020 का प्रमाण पत्र
3.	श्री चन्द्रमणी नौटियाल, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 सौली, नौगांव, उत्तरकाशी	वि0ख0 पुरोला, उत्तरकाशी	स्वयं की एंजियोप्लास्टी होने के दृष्टिगत। रा0चि0प0 का दिनांक 18.03.2021 का प्रमाण पत्र
4.	श्री प्रदीप चन्द्र कर्नाटक, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 नाकोट, लोहाघाट, चम्पावत	वि0ख0 चम्पावत, चम्पावत	स्वयं की एंजियोप्लास्टी होने के दृष्टिगत। रा0चि0प0 का दिनांक 21.06.18 का प्रमाण पत्र
5.	श्रीमती राजेश्वरी कर्नाटक, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 कोटबसान, लोहाघाट, चम्पावत	वि0ख0 चम्पावत, चम्पावत	पति की एंजियोप्लास्टी होने के दृष्टिगत। रा0चि0प0 का दिनांक 21.06.18 का प्रमाण पत्र
6.	श्रीमती पार्वती जोशी, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 सिमलखेत, कोटाबाग, नैनीताल	वि0ख0 हल्द्वानी, नैनीताल	स्वयं की 45 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। रा0चि0प0 का दिनांक 04.03.21 एवं भारत सरकार के मेडिकल अर्थरटी नैनीताल का प्रमाण पत्र दिनांक 22.3.21
7.	श्रीमती कुसुम बौधियाल, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 खत्ता, डोईवाला, देहरादून	वि0ख0 रायपुर / डोईवाला के नजदीक, देहरादून	पुत्री 55 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी0एम0ओ0 देहरादून का दिनांक 19.04.17 का प्रमाण पत्र
8.	श्री मोहन सिंह नेगी, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 पुण्डेरगांव, जयहरीखाल, पौड़ी	वि0ख0 रिखणीखाल / रा0प्रा0वि0 बडगांव, (दुर्गम) जयहरीखाल, पौड़ी	पुत्र 50 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी0एम0ओ0 कोटद्वार, पौड़ी का दिनांक 02.05.12 का प्रमाण पत्र
9.	श्रीमती चन्द्रा टम्टा, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 पुरानाथल, बेरीनाग, पिथौरागढ़	रा0प्रा0वि0 गङ्गतिर, बेरीनाग, पिथौरागढ़ (सुगम)	पुत्री 75 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी0एम0ओ0 पिथौरागढ़ का प्रमाण पत्र


प्रधानाध्यापक (प्राथमिक) चिकित्सा व्यथा के दृष्टिगत (अन्तर्जनपदीय)			
क्र0सं0	शिक्षक का नाम/ पदनाम एवं वर्तमान में कार्यरत विद्यालय का नाम	प्रस्तावित स्थानान्तरण / तैनाती का स्थान	स्थानान्तरण का कारण/प्रमाण पत्र
1.	श्रीमती शान्ति रावत, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 सासी, एकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल	देहरादून	पति कैंसर रोग से पीड़ित होने। राज्य चिकित्सा परिषद का प्रमाण पत्र दिनांक 16.9.21
2.	श्री दीपक डंगवाल, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 जीसली, हवालबाग, अल्मोड़ा	जनपद नैनीताल	स्वयं की एंजियोप्लास्टी होने के दृष्टिगत। रा0चि0प0 का दिनांक 04.02.21 का प्रमाण पत्र
3.	श्री सलेन्द्र कुमार सेनी, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 नौगांव, स्याद, अल्मोड़ा	हरिद्वार	पत्नी कैंसर रोग से पीड़ित होने के दृष्टिगत। राज्य चिकित्सा प्रमाण पत्र दिनांक 1.10.20
4.	श्रीमती रेखा जोशी, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 विशाल, पोखरी, चमोली	देहरादून	स्वयं 50 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी0एम0ओ0 चमोली का प्रमाण पत्र दिनांक 16.4.15
5.	श्रीमती कविता पाठक, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 पुरकुनी कपकोट, चांगेश्वर	उधमसिंह नगर	पुत्री 100 प्रतिशत मानसिक दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी0एम0ओ0 उधमसिंह नगर का प्रमाण पत्र दिनांक 12.10.2000

सहायक अध्यापक (उच्च प्राथमिक) चिकित्सा व्यथा के दृष्टिगत (जनपदीय)			
क्र०सं०	शिक्षक का नाम/ पदनाम एवं वर्तमान में कार्यरत विद्यालय का नाम	प्रस्तावित स्थानान्तरण / तैनाती का स्थान	स्थानान्तरण का कारण/प्रमाण पत्र
1.	श्री मनेन्द्र सिंह रावत, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० झण्डीचौड उत्तरी, दुगड़डा, पौड़ी गढ़वाल	रा०उ०प्रा०वि० उदयरामपुर (सुगम)/ भदालीखाल (सुगम), दुगड़डा। रा०उ०प्रा०वि० बिरमोलीखाल, द्वारीखाल, पौड़ी (दुर्गम)	पुत्र की 60 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी०एम०ओ० कोर्टद्वारा पौड़ी गढ़वाल का प्रमाण दिनांक 6.8.2008
2.	श्री सतीश चन्द्र नौटियाल, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० बालो गंज मसूरी, देहरादून	वि०ख० रायपुर/डोईवाला देहरादून	पत्नी की किडनी रोग से पीड़ित एवं डायलिसिस पर होने के दृष्टिगत। राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 20.4.17
3.	श्री सविता रावत, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० पणायसा, कालसी, देहरादून	वि०ख० सहसपुर, रायपुर देहरादून	पति की 50 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी०एम०ओ० देहरादून का प्रमाण पत्र दिनांक 4.9.2002
4.	श्री अरमियान सिंह जयाडा, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० बाडवाला, विकासनगर, देहरादून	वि०ख० रायपुर, सहसपुर, देहरादून	पुत्री मानसिक विकृति होने के दृष्टिगत। राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 07.06.2018
5.	श्री बिजेन्द्र लाल नगवाण, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० ढकरानी, विकासनगर, देहरादून	वि०ख० रायपुर, डाईवाला, सहसपुर, नगरखेत्र, देहरादून	स्वयं की 50 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी०एम०ओ० टिहरी का प्रमाण पत्र दिनांक 05.03.2014
6.	श्री प्रमोद प्रसाद भट्ट, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० सरकण्डा, भितंगना, टिहरी	वि०ख० चम्बा/ नरेन्द्रनगर, टिहरी	स्वयं की 60 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी०एम०ओ० टिहरी का दिनांक 17.03.21 का प्रमाण पत्र
7.	श्रीमती सुमित्रा आर्य, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० सिवालधार, पावी, पौड़ी	वि०ख० दुगड़डा, पौड़ी	पति की एंजियोप्लास्टी एवं स्टेंट पडने के दृष्टिगत। रा०चि०प० का दिनांक 03.01.2020 का प्रमाण पत्र
8.	श्री तुतारोचन बिजोला, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० रैस, द्वारीखाल, पौड़ी	वि०ख० दुगड़डा, पौड़ी	स्वयं की 80 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी०एम०ओ० पौड़ी का दिनांक 17.05.2017 का प्रमाण पत्र
9.	श्री अनिल चन्द्र डिमरी, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० बड़ागीहर, सहसपुर, देहरादून	वि०ख० रायपुर, रा०उ०प्रा०वि० उम्बेदपुर, सहसपुर, देहरादून (सुगम)	पुत्र की 75 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी०एम०ओ० का दिनांक 14.06.2017 का प्रमाण पत्र
10.	श्रीमती मातेरवरी भट्ट, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० झाला, भटवाड़ी, उत्तरकाशी	वि०ख० डुण्डा/ भटवाड़ी उत्तरकाशी	पति के हृदय का ऑपरेशन होने के दृष्टिगत। रा०चि०प० का दिनांक 18.06.15 का प्रमाण पत्र
11.	श्रीमती कंचन वर्मा, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० चमोलीगांजा, ओखलकांडा, नैनीताल	वि०ख० हल्द्वानी/ भीमताल नैनीताल	पुत्री 67 प्रतिशत डाउन सिन्ड्रोम से ग्रस्त। सी०एम०ओ० नैनीताल का दिनांक 28.07.17 का प्रमाण पत्र
12.	श्रीमती सुशीला उप्रेती, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० मज्यूली धारी नैनीताल	जनपद नैनीताल नगर क्षेत्र हल्द्वानी	स्वयं की दिव्यांगता 75 प्रतिशत होने के दृष्टिगत। मेडिकल अथोरिटी नैनीताल
13.	श्री लवकुश चौहान, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० नकुलिया सितारगंज उधमसिंह नगर	विकास खण्ड जसपुर उधमसिंह नगर	पुत्र की 75 प्रतिशत विकलांगता होने के दृष्टिगत। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र
14.	श्रीमती कान्ता कोरगा, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० विजयपुर, कोटाबाग, नैनीताल	रा०उ०प्रा०वि० सडैल सुयाल, हल्द्वानी, नैनीताल	पुत्र कैंसर की बीमारी से पीड़ित होने के दृष्टिगत। रा०चि०प० उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 02.05.19
15.	श्री उमेश कुमार भारद्वाज, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० बाघना, कालसी, देहरादून	वि०ख० विकासनगर, देहरादून	स्वयं की एंजियोप्लास्टी एवं स्टेंट पडने के दृष्टिगत। राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 3.09.2020
16.	श्री खिलानन्द खोलिया, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० मेर्धा, डीडीहाट, पिथौरागढ़	वि०ख० विण/ मूनाकोट पिथौरागढ़	स्वयं की एंजियोप्लास्टी एवं स्टेंट पडने के दृष्टिगत। रा०चि०प०परिषद् उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 4.6.15
17.	श्री जसवन्त सिंह, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० रैकुना, ओखलकाण्डा, नैनीताल	वि०ख० रामनगर, नैनीताल	स्वयं का सी०एम०ओ० उधमसिंह नगर प्रमाण पत्र संलग्न
18.	श्रीमती गीता पाण्डे, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० गूनीगांव, धारी, नैनीताल	वि०ख० हल्द्वानी, नैनीताल	पति की 60 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी०एम०ओ० नैनीताल का प्रमाण पत्र
19.	श्रीमती हेमा पाण्डेय, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि०	रा०उ०प्रा०वि० लून्ड्यूडा	पति 45 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत।

	दिगलोली, विण, पिथौरागढ़	(सुगम)/तिलदुकरी (सुगम)/पौष (सुगम) / जाख (सुगम)/धनोडा (सुगम) / सुगोली (सुगम)/गठना (सुगम) /पुनडी (सुगम) / नैनीताल (सुगम) विण, पिथौरागढ़	सी०एम०ओ० पिथौरागढ़ का दिनांक 17.07.17 का प्रमाण पत्र
20.	श्री प्रवीन कुमार, स०अ० रा०उ०प्रा०वि० बरी, मोरी, उत्तरकाशी	हरिद्वार/देहरादून	पुत्री की बीमारी FVC of CMD VSD operated TGA Patient needs life long followup and treatment. का प्रमाण पत्र दि० 2.12.2021

सहायक अध्यापक (उच्च प्राथमिक) चिकित्सा व्यथा के दृष्टिगत (अन्तर्जनपदीय)			
क्र०सं०	शिक्षक का नाम/ पदनाम एवं वर्तमान में कार्यरत विद्यालय का नाम	प्रस्तावित स्थानान्तरण /तैनाती का स्थान	स्थानान्तरण का कारण/प्रमाण पत्र
1.	श्रीमती आशा रावत, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० डुंग्रा, रुद्रप्रयाग	देहरादून	स्वयं 50 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी०एम०ओ० पौड़ी गढ़वाल का प्रमाण
2.	श्रीमती सुधा भट्ट, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० कुमालडा, जौनपुर, टिहरी गढ़वाल	देहरादून	स्वयं 55 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी०एम०ओ० टिहरी का प्रमाण पत्र दिनांक 7.3.2014
3.	श्री सुनील नौटियाल, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० पुण्डोली नैलचामी, भिलंगना, टिहरी	देहरादून	स्वयं की एजियोप्लास्टी होने के दृष्टिगत। राज्य चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 20.02.2020
4.	श्रीमती नीलिमा मेवाड़, स०अ० रा०उ०प्रा०वि० कुण्ड, यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल	जनपद देहरादून	पति की एजियोप्लास्टी एवं स्टैट पडने के दृष्टिगत। पति का रा०वि०प० का दिनांक 02.03.2017 का प्रमाण पत्र
5.	श्रीमती रेनु भण्डारी, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० तल्ला बनास, पौड़ी गढ़वाल	वि०ख० रायपुर/डोईवाला देहरादून	पति की एजियोप्लास्टी होने के दृष्टिगत। रा०वि०प० का प्रमाण पत्र दिनांक 05.12.2019 संलग्न
6.	श्री बिशन सिंह रावत, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० रिखाड़, वीरोंखाल, पौड़ी	जनपद देहरादून	स्वयं की 50 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी०एम०ओ० देहरादून का प्रमाण पत्र दिनांक 27.09.2000
7.	श्री जय प्रकाश बहुखण्डी, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० बिरमोली, डारौखाल, पौड़ी	जनपद देहरादून	स्वयं केसर रोग से पीड़ित होने के दृष्टिगत। रा०वि०प० का दिनांक 01.12.2010 का प्रमाण पत्र
8.	श्रीमती सविता चमोली, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० जामटा, नौगांव, उत्तरकाशी	जनपद देहरादून	स्वयं की 42 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी०एम०ओ० देहरादून का दिनांक 13.05.18 का प्रमाण पत्र संलग्न
9.	श्रीमती आरती नौटियाल, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० सीतापुर, उखीमठ, रुद्रप्रयाग	जनपद देहरादून	पति की 55 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। पति का सी०एम०ओ० चमोली का दिनांक 03.07.95 का प्रमाण पत्र
10.	श्री प्रदीप सिंह, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० घुडदोड़ी, पौड़ी गढ़वाल	जनपद देहरादून	स्पाईन की हड्डी का ऑपरेशन होने के दृष्टिगत। रा०वि०प० का दिनांक 16.05.19 का प्रमाण पत्र
11.	श्री प्रदीप कुमार बड़ई, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० रुद्रपुर, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर	देहरादून	पुत्री 100 प्रतिशत दिव्यांगता के दृष्टिगत। सी०एम०ओ० उधमसिंह नगर का दिनांक 26.06.13 का प्रमाण पत्र
12.	श्रीमती करुणा महतोड़ी भट्ट, स०अ०, रा०पू०मा०वि० निडिल, लोहाघाट, चम्पावत	देहरादून	पुत्री 75 प्रतिशत डाउनसिन्ड्रोम एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त। सी०एम०ओ० चम्पावत का दिनांक 06.06.19 का प्रमाण पत्र
13.	श्री नन्दा बल्लभ तिवारी, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० पालडी, बागेश्वर, जनपद बागेश्वर	नैनीताल	पुत्र की 74 प्रतिशत दिव्यांगता। सी०एम०ओ० नैनीताल का प्रमाण पत्र दिनांक 15.10.10
14.	श्रीमती रेनु डोडियाल, स०अ०, रा०उ०प्रा०वि० सल्ला, नैसियाघाना, अल्मोडा	नैनीताल	पुत्र की 80 प्रतिशत दिव्यांगता। सी०एम०ओ० अल्मोडा का प्रमाण पत्र दिनांक 31.5.17
15.	श्री मुकेश कुमारी, स०अ०, रा०आ०उ०प्रा०वि० जैनल भिव्यासन, अल्मोडा	हरिद्वार	पति की एजियोप्लास्टी एवं स्टैट पडने के दृष्टिगत। रा०वि०प० का दिनांक 15.03.18 का प्रमाण पत्र

प्रधानाध्यापक (उच्च प्राथमिक) चिकित्सा व्यथा के दृष्टिगत (जनपदीय)			
क्र०सं०	शिक्षक का नाम / पदनाम एवं वर्तमान में कार्यरत विद्यालय का नाम	प्रस्तावित स्थानान्तरण / तैनाती का स्थान	स्थानान्तरण का कारण/प्रमाण पत्र
1.	श्री पाकेश कुमार प्र०अ० रा०उ०प्रा०वि० रतनपुरा बाजपुर उधमसिंह नगर	रा०उ०प्रा०वि० लालपुर/भरतपुर / रहमापुर/भगवन्तपुर / मेधावाला / जसपुर / महुवाडाबरा / नादेडी / किशनपुर / जगनपुर पुरी उधमसिंह नगर	स्वयं की विकलांगता 50 प्रतिशत के दृष्टिगत। मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधमसिंह नगर
2.	श्री ललित मोहन, प्र०अ०, रा०उ०प्रा०वि० रैतपुरा, जयहरीखाल, पौड़ी	वि०ख० दुगड़डा	स्वयं की विकलांगता 50 प्रतिशत के दृष्टिगत। मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल का प्रमाण पत्र।


(प्रदीप जाँशी)
संयुक्त सचिव।

सहायक अध्यापक / प्रधानाध्यापक (प्राथमिक / उच्च प्राथमिक)			
क्र०सं०	शिक्षक का नाम / पदनाम एवं वर्तमान में कार्यरत विद्यालय का नाम	प्रस्तावित स्थानान्तरण / तैनाती का स्थान	स्थानान्तरण का कारण / प्रमाण पत्र
1.	श्री अर्जुन सिंह, स०अ० रा०प्रा०वि० जुड़डा, यमकेश्वर, पौड़ी	नगर क्षेत्र विकास खण्ड रायपुर / डोईवाला, देहरादून	-
2.	श्रीमती मीना रोतेला, स०अ० रा०प्रा०वि०रांथी, पिथौरागढ़	रा०प्रा०वि० धारचूला, पिथौरागढ़	-
3.	श्रीमती चन्द्रकला खण्डूरी, प्र०अ० रा०प्रा०वि० नैना, नैनीताल	भवाली में किंसी प्रा०वि० में	-
4.	श्री ओम प्रकाश बगोली, स०अ० रा०प्रा०वि० झिंगोली, तोली धोलादेवी, अल्मोड़ा	रा०प्रा०वि० फोर्ती / डंसली / पाटन - पाटनी / सुई, चम्पावत	-

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग-01
संख्या:- /XXIV-A-1/2022-27/2021 T.C.
देहरादून: दिनांक 07/जनवरी, 2022

कार्यालय ज्ञाप

अधोलिखित तालिका में अंकित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों को निम्नानुसार स्थानान्तरित किये जाने की एतद्वारा सहमति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	जनपद	नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती	प्रस्तावित विद्यालय/वि०ख०/जनपद
1.	टिहरी गढ़वाल	श्री सूर्यमणि उनियाल	स०अ० भाषा	रा०उ०प्रा०वि० पौखार भिलंगना टि०ग०	1- रा०उ०प्रा०वि० बड़ेडा नरेंद्र नगर टि०ग० 2- रा०उ०प्रा०वि० आराकोट चम्बा टि०ग०
2.	टिहरी गढ़वाल	श्री सत्यप्रसाद	स०अ० भाषा	रा०उ०प्रा०वि० पौखार भिलंगना टि०ग०	रा०उ०प्रा०वि० लंगडासू जौनपुर टि०ग०
3.	टिहरी गढ़वाल	श्रीमती ऊमा सेमवाल	स०अ०	रा०प्रा०वि० चकचौड भिलंगना टि०ग०	रा०प्रा०वि० थापला (कफुल्खा) जौनपुर टि०ग०
4.	टिहरी गढ़वाल	श्री कीर्ति लाल बरवाण	स०अ०	रा०प्रा०वि० कटखेत थोलधार टि०ग०	रा०प्रा०वि० गैर (गगुण) थोलधार टि०ग०
5.	टिहरी गढ़वाल	श्री रामनुज बहुगुणा	स०अ० गणित	रा०उ०प्रा०वि० चौरढी आगर भिलंगना टि०ग०	रा०उ०प्रा०वि० नंदगाँव जाखणीधार टि०ग०
6.	टिहरी गढ़वाल	श्री वीर सिंह	स०अ०	रा०प्रा०वि० कणेली कीर्तिनगर टि०ग०	रा०प्रा०वि० कोठगा प्रतापनगर टि०ग०
7.	टिहरी गढ़वाल	श्रीमती सावित्री सिमल्टी	स०अ० विज्ञान	रा०उ०प्रा०वि० पौखार भिलंगना टि०ग०	1- रा०उ०प्रा०वि० भंडारगाँव चम्बा टि०ग० 2- रा०उ०प्रा०वि० आराकोट चम्बा टि०ग० 3- रा०उ०प्रा०वि० बहेडा नरेंद्रनगर टि०ग०
8.	टिहरी गढ़वाल	श्री विजय प्रकाश रतूड़ी	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० ओडाधार भिलंगना टि०ग०	रा०प्रा०वि० मरोडा जौनपुर टि०ग०
9.	टिहरी गढ़वाल	श्रीमती रंजना डंगवाल	स०अ० भाषा	रा०उ०प्रा०वि० खेतु जौनपुर टि०ग०	रा०उ०प्रा०वि० देहरादून
10.	टिहरी गढ़वाल	श्री राजेन्द्र चन्द्र चमोला	स०अ०	रा०पा०वि० छौती जौनपुर टि०ग०	रा०उ०प्रा०वि० रायपुर/डोईवाला देहरादून
11.	टिहरी गढ़वाल	श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान	स०अ०	रा०प्रा०वि० जौनपुर टि०ग०	रा०प्रा०वि० रायपुर/डोईवाला देहरादून
12.	टिहरी गढ़वाल	श्री हरीश दत्त रतूड़ी	स०अ०	रा०प्रा०वि० गवालीडाण्डा जौनपुर टि०ग०	1- नगर क्षेत्र देहरादून 2- विकास खण्ड रायपुर देहरादून 3- वि०ख० डोईवाला
13.	टिहरी गढ़वाल	श्री रमेश सिंह बत्वाल	स०अ०	रा०प्रा०वि० बैजवाड़ी कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल	1- रा०प्रा०वि० कीर्तिनगर टि०ग० 2- रा०प्रा०वि० डांग कीर्तिनगर टि०ग०
14.	टिहरी गढ़वाल	श्री कमलेश्वर प्रसाद डिमरी	स०अ०	रा०प्रा०वि० डांडा बुडाली कीर्तिनगर टि०ग०	विकासखण्ड जौनपुर टि०ग०
15.	टिहरी गढ़वाल	श्री मुकेश प्रसाद	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० रैताड़ी डागर कीर्तिनगर टि०ग०	1- रा०प्रा०वि० औतण जौनपुर टि०ग० 2- रा०प्रा०वि० कालिका मण्डी 3- रा०प्रा०वि० डांडा की बेली
16.	टिहरी गढ़वाल	प्रतिमा शर्मा	स०अ०	रा०प्रा०वि० आलूचक जौनपुर टि०ग०	जनपद देहरादून
17.	टिहरी गढ़वाल	श्री जितेन्द्र कुमार	स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० चमसारी जौनपुर टि०ग०	कोटद्वार के निकट
18.	रुद्रप्रयाग	पुष्पा पन्त	स०अ०	रा०प्रा०वि० कुनियाली	रा०प्रा०वि० चिफलतरा धारचूला पिथौरागढ़

19.	रुद्रप्रयाग	विजयलक्ष्मी खत्री	विज्ञान	जखोली रुद्रप्रयाग	जखोली रुद्रप्रयाग	1- रा0प्रा0वि0 नैनीताल कीर्तिनगर टि0ग0 2- रा0प्रा0वि0 धारकोट कीर्तिनगर टि0ग0 रा0प्रा0वि0 जखोली (जखोली) रुद्रप्रयाग
20.	रुद्रप्रयाग	श्री शैलेन्द्र प्रसाद गौड़	स0अ0 सामान्य	रा0प्रा0वि0 क्यार्क अग्रस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग	रा0प्रा0वि0 काण्डई	रा0प्रा0वि0 डोईवाला / रायपुर
21.	रुद्रप्रयाग	सरिता थपलियाल	स0अ0	रा0प्रा0वि0 बच्छगरसु अग्रस्त्यमुनि	रा0प्रा0वि0 विफलतरा	विकासखण्ड देहरादून
22.	पिथौरागढ़	विनोद चन्द्र	स0अ0 विज्ञान	रा0प्रा0वि0 भारनूला पिथौरागढ़	रा0प्रा0वि0 दुर्गाआगर	रा0प्रा0वि0 कुनियाली जखोली रुद्रप्रयाग
23.	पिथौरागढ़	श्रीमती नीतू रानी चौहान	स0अ0	रा0प्रा0वि0 गंगोलीहाट पिथौरागढ़	रा0प्रा0वि0 सांगो पाटी	गदरपुर विकासखण्ड उ0सि0न0
24.	चम्पावत	माला गिल	स0अ0	रा0प्रा0वि0 चम्पावत	रा0प्रा0वि0 मन्चने पाटी	रा0प्रा0वि0 जगजीतपुर बहादुराबाद हरिद्वार
25.	चम्पावत	अनीता	स0अ0	रा0प्रा0वि0 चम्पावत	रा0प्रा0वि0 खाल पोखरी चमोली	विकासखण्ड डोईवाला देहरादून
26.	चमोली	श्री विष्णु दत्त भट्ट	स0अ0 सामान्य	रा0प्रा0वि0 चमोली	रा0प्रा0वि0 मथाली	विकासखण्ड डोईवाला देहरादून
27.	उत्तरकाशी	श्री अरविन्द्र रावत	स0अ0	रा0प्रा0वि0 उत्तरकाशी	रा0प्रा0वि0 चिन्यालीसोड उत्तरकाशी	1- रा0उ0प्रा0वि0 निसौर उत्तरकाशी 2- रा0उ0प्रा0वि0 मलासी डुण्डा उत्तरकाशी 3- रा0उ0प्रा0वि0 सिंगुणी डुण्डा उत्तरकाशी 4- रा0प्रा0वि0 मौघ चिन्यालीसोड उत्तरकाशी
28.	उत्तरकाशी	श्री नीरज कुमार	स0अ0 अंग्रेजी	रा0प्रा0वि0 सरनौल नौगाँव उत्तरकाशी	रा0प्रा0वि0 सिल्ला	जनपद हरिद्वार का कोई विद्यालय
29.	उत्तरकाशी	श्री कमलेश्वर प्रसाद	स0अ0	रा0प्रा0वि0 गटवाड़ी उत्तरकाशी	रा0प्रा0वि0 सौरा	1- रा0प्रा0वि0 उत्तरो उत्तरकाशी 2- रा0प्रा0वि0 गणेशपुर उत्तरकाशी 3- रा0प्रा0वि0 सौरा उत्तरकाशी
30.	उत्तरकाशी	श्रीमती तन्नु	स0अ0	रा0प्रा0वि0 ओड़खोला उत्तरकाशी	रा0प्रा0वि0 जयकण्डी	जनपद हरिद्वार का कोई विद्यालय
31.	बागेश्वर	श्री राजेन्द्र सिंह	स0अ0 अंग्रेजी	रा0उ0प्रा0वि0 हरकोट कपकोट	रा0प्रा0वि0 अग्रस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग	1- रा0उ0प्रा0वि0 जेनकरास बागेश्वर 2- रा0उ0प्रा0वि0 तिमिलाबागड कपकोट बागेश्वर
32.	बागेश्वर	खट्टी गनधरिया	स0अ0 हिन्दी	रा0उ0प्रा0वि0 गरूड बागेश्वर	रा0प्रा0वि0 अग्रस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग	1- रा0उ0प्रा0वि0 बोहराकून भीमताल 2- रा0उ0प्रा0वि0 भरतपुर भीमताल
33.	अल्मोड़ा	श्री कुलदीप सिंह राणा	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 जैठा दौखुटिया अल्मोड़ा	रा0प्रा0वि0 अग्रस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग	रा0प्रा0वि0 जयकण्डी अग्रस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग
34.	अल्मोड़ा	पायल गुप्ता	स0अ0	रा0प्रा0वि0 क्वैसाला अल्मोड़ा	रा0प्रा0वि0 अग्रस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग	विकासखण्ड बाजपुर उ0सि0न0 के अन्तर्गत
35.	अल्मोड़ा	ममता वर्मा	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 अनेरियाकोट अल्मोड़ा	रा0प्रा0वि0 अनेरियाकोट लमगड़ा अल्मोड़ा	वि0ख0 भीमताल नैनीताल का सुगम विद्यालय
36.	नैनीताल	ममता राणा	स0अ0	रा0प्रा0वि0 नैनीताल	रा0प्रा0वि0 नाई	1- रा0प्रा0वि0 पिण्डारी सितारगंज उ0सि0न0 2- रा0प्रा0वि0 साधुनगर 3- रा0प्रा0वि0 पिण्डारी
37.	उ0सि0न0	श्री संजीव कुमार	स0अ0	रा0प्रा0वि0 भाख निसौर सितारगंज	रा0प्रा0वि0 भाख निसौर सितारगंज	1- रा0प्रा0वि0 आसपुर काशीपुर जसपुर 2- रा0प्रा0वि0 अहरपुर काशीपुर जसपुर 3- रा0प्रा0वि0 देवीपुर काशीपुर जसपुर
38.	उ0सि0न0	पूनम जोशी	स0अ0	रा0प्रा0वि0 मलपुरा	रा0प्रा0वि0 मलपुरा	1- रा0प्रा0वि0 गदरपुर प्रथम 2- रा0प्रा0वि0 गदरपुर द्वितीय 3- रा0प्रा0वि0 रामजीवनपुर नं0-1 4- रा0प्रा0वि0 लखनऊ उ0सि0न0

28

39.	देहरादून	रूपक पुरी	स0अ0 विज्ञान	रा0प्रा0वि0 कुंगेलखेडा कालसी देहरादून	1- रा0प्रा0वि0 सिरवालगढ़ रायपुर देहरादून 2- रा0प्रा0वि0 अखवाड़ी मिल्या रायपुर देहरादून 3- रा0प्रा0वि0 द्वारा रायपुर देहरादून
40.	पौड़ी गढ़वाल	रेखा कटैत	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 उच्चाकोट यमकेश्वर पौड़ी	देहरादून के निकट कोई विद्यालय
41.	पौड़ी गढ़वाल	श्री राजेन्द्र सिंह	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 चैड़ पाबौ पौड़ी	जनपद देहरादून स्थित कोई विद्यालय

2- उक्त आदेश का तत्काल अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या:- 80 / XXIV-A-1/2022-27/2021 T.C. तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्त निर्देशों के क्रम में इस आशय से प्रेषित की उक्त तालिका में अंकित शिक्षकों के तत्काल आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करें।
3. अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(दीप्ति सिंह)
अपर सचिव।

Mail

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

1. अपर निदेशक (प्रा०शि०)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल
2. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
उत्तराखण्ड

पत्रांक:

प्रा०शि०/दो(05)/12490-92 /2021-22 दिनांक 13 जनवरी 2022

विषय:

शासनादेश संख्या- 78, 79 एवं 80 दिनांक 07.01.2022 द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत किये गये स्थानान्तरण के फलस्वरूप कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने वाले कार्मिकों के स्थानान्तरण निष्प्रभावी किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-137/XXIV-B-1/22-13(05)/2021 दिनांक 12 जनवरी 2022 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि दिनांक 08.01.2022 के अपराह्न 03.30 बजे से राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के दृष्टिगत बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या-78, 79, 80 दिनांक 07.01.2022 द्वारा हुए स्थानान्तरणों में किसी भी कार्मिक के कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण सम्बन्धी कोई कार्यवाही न की जाय तथा इस मध्य यदि किसी कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित स्थल से कार्यमुक्त होकर नीवन स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है तो उसे निष्प्रभावी करते हुए उन्हें उनकी मूल तैनाती स्थल (स्थानान्तरण से पूर्व विद्यालय) पर ही अग्रेत्तर आदेशों तक बनाये रखना सुनिश्चित करें।

अतः निर्देशित करना है कि शासन द्वारा प्रदत्त उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन

सुनिश्चित कराया जाए।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय

(बन्दी गार्गल) 8/01/2022

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन संख्या: प्रा०शि०/दो(05)/12490-92/2021-22 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचना प्रेषित:-

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन को शासन के उक्त सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12 जनवरी 2022 के कम में।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

(बन्दी गार्गल)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

शु

प्रेषक,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

878

30.03.2022

D.D. संक-2

कृ. अतिरिक्त सेवा

2 J.D.
कॉ. 30/3/2022

सेवा में,

निर्देशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक-प्रा.शि./अति.से.ला./ 11292-500 /S/V(04)/2021-22 दिनांक 28 मार्च, 2022
विषय- शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार प्राप्त श्रीमती उर्मिला सिंह पुण्डीर, स0अ0 रा0उ0प्रा0वि0 माधोपुर हजरतपुर, वि0ख0 रुड़की, हरिद्वार को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त 02 वर्ष का अतिरिक्त सेवा लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक/प्रा.शि.-सेवा-2(5)/16185/20/2021-22 दिनांक 21 मार्च, 2022 द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या-885/XXIV-2/2005 दिनांक 29 अगस्त 2005 एवं शासनादेश संख्या-320/XXIV-/2007 दिनांक 22 अगस्त, 2007 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य शैक्षिक पुरस्कार प्राप्त श्रीमती उर्मिला सिंह पुण्डीर, स0अ0 रा0उ0प्रा0वि0 माधोपुर हजरतपुर, वि0ख0 रुड़की, हरिद्वार को अधिवर्षता आयु दिनांक 31.03.2022 को पूर्ण करने के पश्चात् दो वर्ष का अतिरिक्त सेवा का लाभ प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि 02 वर्ष की अतिरिक्त सेवावधि का लाभ सेवानिवृत्तिक लाभों के लिए अनुमन्य नहीं होगा।
कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

ह0/-

(बंशीधर तिवारी)

महानिदेशक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/प्रा.शि./अति.से.ला./ 11292-500 /S/V(04)/2021-22 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
- 2- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, हरिद्वार।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, हरिद्वार।
- 6- संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 7- प्रधानाचार्य, रा0उ0प्रा0वि0 माधोपुर हजरतपुर, वि0ख0 रुड़की, हरिद्वार।
- 8- श्रीमती उर्मिला पुण्डीर, स0अ0 रा0उ0प्रा0वि0 माधोपुर हजरतपुर, वि0ख0 रुड़की, हरिद्वार।
- 9- कार्यालय आदेश पंजिका।

(आर0के0 उन्नीयाल)

अपर निदेशक,

महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग,
देहरादून।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा -हरिद्वार।

पत्रांक :- प्रा0शि0-सेवा-2(6)/ 17 255-56 /से0वि0-20/2021-22 दिनांक : 31 मार्च, 2022
विषय श्रीमती उर्मिला पुण्डरीर, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 माधोपुर हजरतपुर, वि0ख0 रुड़की, हरिद्वार को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त दो वर्ष का अतिरिक्त सेवा का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) हरिद्वार के पत्र संख्या : प्रब0रा0वे0/12310-12/सेवा विस्तार/2021-22 दिनांक 12 जनवरी, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्रीमती उर्मिला पुण्डरीर, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 माधोपुर हजरतपुर, वि0ख0 रुड़की, हरिद्वार को शैलेश मटियाली राज्य शैक्षिक पुरस्कार-2017 प्राप्त होने पर अधिवर्षता आयु पूर्ण करने की तिथि (31.03.2022) से दो वर्ष के अतिरिक्त सेवा का लाभ स्वीकृत किये जाने हेतु प्रत्यावेदन संलग्नकों सहित इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है।

उपरोक्त प्रस्ताव पर महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्र संख्या: अति0से0ला0/11492-500/s/v(04)/2021-22 दिनांक 28 मार्च, 2022 द्वारा शासनादेश संख्या : 885/XXIV-2/2005 दिनांक 29 अगस्त, 2005 एवं शासनदेश संख्या :-320/XXIV-2/2007 दिनांक 22 अगस्त, 2007 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य शैक्षिक पुरस्कार प्राप्त श्रीमती उर्मिला पुण्डरीर, स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 माधोपुर हजरतपुर, वि0ख0 रुड़की, हरिद्वार को अधिवर्षता आयु दिनांक 31.03.2022 को पूर्ण करने के पश्चात दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा का लाभ प्रदान किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि 02 वर्ष की अतिरिक्त सेवावधि का लाभ सेवानिवृत्तिक लाभों के लिए अनुमन्य नहीं होगा।

अतः महानिदेशालय से प्राप्त अनुमति पत्र मूल में संलग्न कर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(बन्दना गुब्ब्याल)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृ0सं0 : प्रा0शि0-सेवा-2(6)/ 17 255-56 /20/2021-22 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि: महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को अवगतार्थ प्रेषित।

(बन्दना गुब्ब्याल)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक-अति.से.ला./ 1383-91 /S/V(01)/2021-22 दिनांक 31 जुलाई, 2021

विषय:- शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार प्राप्त श्रीमती सुशीला बर्त्वाल, स0अ0 रा0उ0प्रा0वि0 रानो, वि0ख0 पोखरी, चमोली (वर्तमान तैनाती, स्थल-वार्डन, आवासीय विद्यालय नामा हाउस ऋषिकेश) को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त 02 वर्ष का अतिरिक्त सेवा लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशालय के पत्रांक-अति.से.ला./1368-76/S/V(02)/2021-22 दिनांक 31 जुलाई, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य शैक्षिक पुरस्कार प्राप्त श्रीमती सुशीला बर्त्वाल, स0अ0 रा0उ0प्रा0वि0 रानो, वि0ख0 पोखरी, चमोली (वर्तमान तैनाती, स्थल-वार्डन, आवासीय विद्यालय नामा हाउस ऋषिकेश) को दिनांक 31.07.2021 को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात दो वर्ष का अतिरिक्त सेवा का लाभ प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त पत्र में त्रुटिवश श्रीमती बर्त्वाल की सेवानिवृत्ति तिथि 31.07.2021 के स्थान पर 30.07.2021 अंकित हो गई है।

अतः श्रीमती सुशीला बर्त्वाल की अधिवर्षता आयु दिनांक 30.07.2021 के स्थान पर दिनांक 31.07.2021 पढ़ा जाय।

(बन्दना मटियानी)
अपर निदेशक,
महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा,

पू0सं0/प्रा.शि./अति.से.ला./ 1383-91 / S/V(02)/2021-22 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
- 2- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
- 3- मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, चमोली।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, चमोली।
- 6- संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 7- प्रधानाचार्य, रा0उ0प्रा0वि0 रानो, वि0ख0 पोखरी, चमोली।
- 8- श्रीमती सुशीला बर्त्वाल, स0अ0 रा0उ0प्रा0वि0 रानो, वि0ख0 पोखरी, चमोली (वर्तमान तैनाती, स्थल-वार्डन, आवासीय विद्यालय नामा हाउस ऋषिकेश)।
- 9- कार्यालय आदेश पंजिका।

(बन्दना मटियानी)
अपर निदेशक,
महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा,

प्रेषक,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

70
25.06.2021

सेवा-2
कृ. प्रशासकी

25/6

पत्रांक-प्रा.शि./अति.से.ला./557-58 /S/V(01)/2021-22 दिनांक 24 जून, 2021
विषय:- शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार प्राप्त श्री कमल चन्द्र भट्ट प्र०अ०,
रा०उ०प्रा०वि० मलुवाताल वि०ख० भीमताल, नैनीताल को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने
के उपरान्त 02 वर्ष का अतिरिक्त सेवा लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक/प्रा.शि.-सेवा-2(5)/1304/सेवाविस्तार-20/
2020-21 दिनांक 17 जून, 2021 द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर शासनादेश सख्या-885
/XXIV-2/2005 दिनांक 29 अगस्त 2005 एवं शासनादेश सख्या-320/XXIV-2 /2007
दिनांक 22 अगस्त, 2007 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य शैक्षिक पुरस्कार प्राप्त श्री
कमल चन्द्र भट्ट प्र०अ०, रा०उ०प्रा०वि० मलुवाताल वि०ख० भीमताल, जनपद नैनीताल को
अधिवर्षता आयु दिनांक 30.06.2021 को पूर्ण करने के पश्चात् दो वर्ष का अतिरिक्त सेवा का
लाभ प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि 02 वर्ष की अतिरिक्त
सेवावधि का लाभ सेवानिवृत्तिक लाभों के लिए अनुमन्य नहीं होगा।

कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

ह०/-

(विनय शंकर पाण्डेय)

महानिदेशक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/प्रा.शि./अति.से.ला./ 557-58 /S/V(01)/2021-22 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
- 2- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- 3- मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 6- संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 7- प्रधानाचार्य, रा०उ०प्रा०वि० मलुवाताल वि०ख० भीमताल, जनपद नैनीताल।
- 8- श्री कमल चन्द्र भट्ट प्र०अ०, रा०उ०प्रा०वि० मलुवाताल वि०ख० भीमताल, नैनीताल।
- 9- कार्यालय आदेश पंजिका।

(बन्दीना गौतम)
अपर निदेशक,
24/06/2021

महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग,
देहरादून।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा
नैनीताल।

पत्रांक :- प्रा0शि0-सेवा-2(6)/ 1544-45 /20/2021-22 दिनांक : 26 जून, 2021
विषय श्री कमल चन्द्र भट्ट, प्र0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 मलुवाताल वि0ख0 भीमताल, जनपद नैनीताल को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त दो वर्ष का अतिरिक्त सेवा का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कुमाँऊमण्डल नैनीताल के पत्र संख्या : बेसिक/04/सेवा विस्तार/04(15)/281-82/2021-22 दिनांक 17 मई, 2021 द्वारा श्री कमल चन्द्र भट्ट, प्र0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 मलुवाताल वि0ख0 भीमताल, जनपद नैनीताल को शैलेश मटियाली राज्य शैक्षिक पुरस्कार-2014 प्राप्त होने पर अधिवर्षता आयु पूर्ण करने की तिथि (30.06.2021) से दो वर्ष के अतिरिक्त सेवा का लाभ स्वीकृत किये जाने हेतु प्रत्यावेदन संलग्नकों सहित इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है।

उपरोक्त प्रस्ताव पर महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्र संख्या: अति0से0ला0/557-58/5/01/2020-21 दिनांक 24 जून, 2020 द्वारा शासनादेश संख्या : 885/xxiv-2/2005 दिनांक 29 अगस्त, 2005 एवं शासनदेश संख्या :-320/xxiv-2/2007 दिनांक 22 अगस्त, 2007 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य शैक्षिक पुरस्कार प्राप्त कमल चन्द्र भट्ट, प्र0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 मलुवाताल वि0ख0 भीमताल, जनपद नैनीताल को अधिवर्षता आयु दिनांक 30.06.2021 को पूर्ण करने के पश्चात दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा का लाभ प्रदान किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि 02 वर्ष की अतिरिक्त सेवावधि का लाभ सेवानिवृत्तिक लाभों के लिए अनुमन्य नहीं होगा।

अतः महानिदेशालय से प्राप्त अनुमति पत्र मूल में संलग्न कर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि। भवदीय

(वी0एस0 रावत)
अपर निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पू0सं0 : प्रा0शि0-सेवा-2(6)/ 1544-45 /20/2021-22 उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपि: महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को अवगतार्थ प्रेषित।

(वी0एस0 रावत)
अपर निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

012

प्रेषक,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

79
24/6/2020

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक/अति0से0ला0/650-58 /SN(02)/2020-21 दिनांक 24 जून, 2020
विषय: राज्य तथा राष्ट्रीय शैक्षिक पुरस्कार प्राप्त श्रीमती सरस्वती लखेड़ा, प्रधानाध्यापिका,
रा0प्रा0वि0 नौगांव, सहसपुर, देहरादून को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त
02 वर्ष का अतिरिक्त सेवा लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

O.D. सं०-2
कृ. म. वि. वि. वि.
महोदय,
356
श्री. माडारी
डा. जे. ए. (क. वि. वि.)
DD
24/6/2020

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक:-
प्रा0शि0-सेवा-2(5)/1754/सेवा विस्तार-20/2020-21 दिनांक 09 जून, 2020 द्वारा दी गयी
संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या-885/XXIV-2/2005 दिनांक 29 अगस्त 2005 एवं
शासनादेश संख्या-320/XXIV-2/2007 दिनांक 22 अगस्त 2007 में निहित प्राविधानों के
अन्तर्गत राज्य तथा राष्ट्रीय शैक्षिक पुरस्कार प्राप्त श्रीमती सरस्वती लखेड़ा, प्रधानाध्यापिका,
रा0प्रा0वि0 नौगांव, सहसपुर, देहरादून को अधिवर्षता आयु दिनांक 30.06.2020 को पूर्ण करने के
पश्चात दो वर्ष का अतिरिक्त सेवा का लाभ प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि 02 वर्ष की अतिरिक्त
सेवावधि का लाभ सेवानिवृत्तिक लाभों के लिए अनुमन्य नहीं होगा।

कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

ह0/-

(आलोक कुमार पाण्डेय)

महानिदेशक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पू0सं0: /अति0से0ला0/650-58 /SN(02)/2020-21 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
- 2- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 3- मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, देहरादून।
- 6- संबंधित उप शिक्षा अधिकारी।
- 7- प्रधानाध्यापक, रा0प्रा0वि0 नौगांव, सहसपुर, देहरादून।
- 8- श्रीमती सरस्वती लखेड़ा, प्रधानाध्यापिका, रा0प्रा0वि0 नौगांव, सहसपुर, देहरादून।
- 9- कार्यालय आदेश पंजिका।

(बन्दीमा मर्स्याल)

अपर निदेशक,

महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूसखेड़ा, तपोवन मार्ग,
देहरादून।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा
देहरादून।

पत्रांक :- प्रा0शि0-सेवा-2(5)/ 2799-2800 /20/2020-21 दिनांक : 29 जून, 2020
विषय श्रीमती सरस्वती लेखडा, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 नौगांव वि0ख0 सहसपुर, देहरादून को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त दो वर्ष का अतिरिक्त सेवा का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या : प्र0रा0बे0-1/809-11/2020-21 दिनांक 23 मई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्रीमती सरस्वती लेखडा, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 नौगांव वि0ख0 सहसपुर, देहरादून को शैलेश मटियाली राज्य शैक्षिक पुरस्कार-2008 प्राप्त होने पर अधिवर्षता आयु पूर्ण करने की तिथि (30.06.2020) से दो वर्ष के अतिरिक्त सेवा का लाभ स्वीकृत किये जाने हेतु प्रत्यावेदन संलग्नकों सहित इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है।

उपरोक्त प्रस्ताव पर महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्र संख्या: अति0से0ला0/650-58/5/V(02)/2020-21 दिनांक 24 जून, 2020 द्वारा शासनादेश संख्या : 885/xxiv-2/2005 दिनांक 29 अगस्त, 2005 एवं शासनदेश संख्या :-320/xxiv-2/2007 दिनांक 22 अगस्त, 2007 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य तथा राष्ट्रीय शैक्षिक पुरस्कार प्राप्त श्रीमती सरस्वती लेखडा, प्र0अ0, रा0प्रा0वि0 नौगांव वि0ख0 सहसपुर, देहरादून को अधिवर्षता आयु दिनांक 30.06.2020 को पूर्ण करने के पश्चात दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा का लाभ प्रदान किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि 02 वर्ष की अतिरिक्त सेवावधि का लाभ सेवानिवृत्तिक लाभों के लिए अनुमन्य नहीं होगा।

अतः महानिदेशालय से प्राप्त अनुमति पत्र मूल में संलग्न कर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक-यथोपरि।

भुवदीय
(वी0एस0 रावत)
अपर निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पू0सं0 : प्रा0शि0-सेवा-2(5)/ 2799-2800 /20/2020-21 उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपि: महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को अवगतार्थ प्रेषित।

(वी0एस0 रावत)
अपर निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

66
10-06-2020

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

फाइल-2

300578 करी

पत्रांक/अति०से०ला०/ 459-67 /SN(01)/2020-21 दिनांक 20 जून, 2020

11/6

विषय: राष्ट्रीय शैक्षिक पुरस्कार प्राप्त श्री हुकुम सिंह उनियाल, प्रधानाध्यापक, रा०पू०मा०वि० देहरा-55 राजपुर रोड़, देहरादून को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त 02 वर्ष का अतिरिक्त सेवा लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

7. डूव

11/6

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक:- प्रा०शि०-सेवा-2(5)/789/सेवा विस्तार-20/2020-21 दिनांक 20 मई, 2020 द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या-885/XXIV-2/2005 दिनांक 29 अगस्त 2005 एव शासनादेश संख्या-320/XXIV-2/2007 दिनांक 22 अगस्त 2007 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक पुरस्कार प्राप्त श्री हुकुम सिंह उनियाल, प्रधानाध्यापक, रा०पू०मा०वि० देहरा-55 राजपुर रोड़, देहरादून को अधिवर्षता आयु दिनांक 30.06.2020 को पूर्ण करने के पश्चात दो वर्ष का अतिरिक्त सेवा का लाभ प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि 02 वर्ष की अतिरिक्त सेवासिद्धि का लाभ सेवानिवृत्तिक लाभों के लिए अनुमन्य नहीं होगा।

कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

ह०/-

(आलोक कुमार पाण्डेय)

महानिदेशक,

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: /अति०से०ला०/ 459-67 /SN(01)/2020-21 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
- 2- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पोड़ी।
- 3- मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, देहरादून।
- 6- संबंधित उप शिक्षा अधिकारी।
- 7- प्रधानाध्यापक, रा०पू०मा०वि० देहरा-55 राजपुर रोड़, देहरादून।
- 8- श्री हुकुम सिंह उनियाल, प्रधानाध्यापक, रा०पू०मा०वि० देहरा-55 राजपुर रोड़, देहरादून।
- 9- कार्यालय आदेश पंजिका।

(बन्दना मुख्याल)

अपर निदेशक,

महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

51

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग,
देहरादून।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा-देहरादून।

पत्रांक :- प्रा0शि0-सेवा-2(5)/ 2040-49 /20/2020-21 दिनांक : 16 जून, 2020
विषय श्री हुकम सिंह उनियाल, प्रधानाध्यापक, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय देहरा-55 राजपुर रोड़, देहरादून का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त होने पर दो वर्ष का अतिरिक्त सेवा का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या : प्र0रा0वे0-2/14068/सेवा विस्तार /2019-20 दिनांक 19 मार्च, 2020 द्वारा श्री हुकम सिंह उनियाल, प्रधानाध्यापक, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय देहरा-55 राजपुर रोड़, देहरादून को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2015 प्राप्त होने पर अधिवर्षता आयु पूर्ण करने की तिथि (12.06.2020) से दो वर्ष के अतिरिक्त सेवा का लाभ स्वीकृत किये जाने हेतु प्रत्यावेदन संलग्नकों सहित इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है।

उपरोक्त प्रस्ताव पर महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्र संख्या: अति0से0ला0/459-67/S/V(01)/2020-21 दिनांक 09 जून, 2020 द्वारा शासनादेश संख्या : 885/XXIV-2/2005 दिनांक 29 अगस्त, 2005 एवं शासनदेश संख्या :-320/XXIV-2/2007 दिनांक 22 अगस्त, 2007 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक पुरस्कार प्राप्त श्री हुकम सिंह उनियाल, प्रधानाध्यापक, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय देहरा-55 राजपुर रोड़, देहरादून को अधिवर्षता आयु दिनांक 30.06.2020 को पूर्ण करने के पश्चात दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा का लाभ प्रदान किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि 02 वर्ष की अतिरिक्त सेवावधि का लाभ सेवानिवृत्तिक लाभों के लिए अनुमन्य नहीं होगा।

अतः महानिदेशालय से प्राप्त अनुमति पत्र मूल में संलग्न कर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(वी0एस0 रावत)

अपर निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0 : प्रा0शि0-सेवा-2(5)/

प्रतिलिपि: महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को अवगतार्थ प्रेषित।

/20/2020-21 उक्तदिनांकित।

(वी0एस0 रावत)

अपर निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड